(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 2] षष्ठम् विधान सभा के द्वितीय सत्र का सातवां दिवस [संख्या 5

सोमवार,

दिनांक 12 सितम्बर, 1977

विधान सभा की बैठक म० पू० 11 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न।

श्री औंकारलाल चौहान ?

कोटा जिले में लघु उद्योग स्थापित करने की योजना

93. श्रीमती श्यामा कुमारी (कपासन) [श्री औंकारलाल (मटरू) की अनुपस्थिति में] : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार कोटा जिले में विशेष कर छबड़ा सब डिवीजन (तहसील अटरू, तहसील छीपां बड़ौद व तहसील छबड़ा) में लघु उद्योग स्थापित करने की कोई योजना बना रही है ?

(2) यदि हां, तो कौन-कौन से उद्योग ?

(3) इन लघु उद्योगों से ग्रामीण जनता को कितना रोजगार मिलेगा ?

राज्य मन्त्री, उद्योग (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) जी नहीं। लघु उद्योग उपक्रमियों द्वारा स्थापित किये जाते हैं।

(2) प्रश्न नहीं उठता है।

(3) प्रश्न नहीं उठता है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय को यह जानकारी देना चाहता हूं कि अटरू तहसील जिला कोटा में स्थित है और वहां पर कोहली नाम की एक विशेष जाति रहती है जिसका काम दरी बुनने का है। क्या मन्त्री महोदय कुछ जानकारी करके यहां पर उनके बारे में जानकारी देने की कृपा करेंगे ?

श्री कैलाश मेघवाल : लघु उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए कई एजेन्सियां हैं। राज्य सरकार भी उसमें मदद देती है। जो लघु उद्योग लग सकते हैं उनको राज्य सरकार हर तरह से प्रोत्साहन देगी। उसके बारे में जांच और सर्वे भी किया जायेगा।

प्रश्न संख्या 94

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

Page No 2

(2)

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न संख्या 95

श्री रामरघुनाथ !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 96

श्री खेतसिंह राठोड़ !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

श्री ईश्वरचन्द्र !

मीसा में बन्द बन्दी की भूमि की नीलामी।

97. श्री ईश्वर चन्द्र (पिड़ावा) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि मीसा के अन्तर्गत बन्दी श्री सत्यनारायण आजाद जिला झालावाड़ की भूमि जिलाधीश झालावाड़ के स्टे आर्डर के बावजूद तहसीलदार, पचपहाड़ द्वारा सन् 1976 में नीलाम कर दी गई थी ? अगर ऐसा किया गया, तो क्या अब राज्य सरकार उनकी क्षति-पूर्ति करने का विचार रखती है या नहीं ?

गृह मन्त्री (श्री केदारनाथ) : जी नहीं।

श्री ईश्वरचन्द्र : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय गलत बयानी से काम ले रहे हैं। श्री सत्यनारायण मीसा में बन्द थे और सन् 1976 में उनकी भूमि तहसील द्वारा नीलाम कर दी गई थी। उनके कुए की बिजली का कनेक्शन काट दिया गया, उनके बच्चों को स्कूल से रेस्टीकेट कर दिया। यह सारा जुल्म हुआ। ऐसा लगता है कि मन्त्री महोदय को जो जवाब आई. ए. एस. अधिकारी बना कर देते हैं उससे वे सन्तुष्ट हो जाते हैं, वे खुद नहीं देखते। "जी नहीं" इस सवाल का उत्तर नहीं है। मैं यह कहना चाहूंगा कि मन्त्री महोदय पूरे तथ्य देखें मीसा बन्दियों के बारे में जिसकी वजह से वे आज गृह मन्त्री बने हुए है, हम विधायक बने हुए है। क्या सरकार यह बतायेगी कि मीसा बन्दियों के ऊपर जो जुल्म हुए हैं, सरकार की उनके पुनर्वास के बारे में क्या नीति है ?

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय का जवाब स्पष्ट आ चुका है।

श्री ईश्वरचन्द्र : मैं निवेदन करना चाहता हूं, कि आज भी जमीन के ऊपर केस चल रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्रीमती मदन कोर !

श्री केदारनाथ : सन् 1975 में स्टे आर्डर था, सन् 1976 में कोई स्टे ऑर्डर नहीं था इसलिए जमीन नीलाम की गई है। बिजली का कनेक्शन काटा गया है या कोई ज्यादती हुई है उसकी जांच करवायेंगे।

श्री ईश्वरचन्द्र : आपने स्वयं स्वीकार किया है कि 1975 में स्टे ऑर्डर था। सन् 1976 में जमीन नीलाम कर दी गई। क्या स्टे ऑर्डर केवल एक साल के लिये था ?

श्री मूलचन्द डागा (पाली) स्टे आर्डर की नकल पढ़वा लें।

मेजर श्री फतहसिंह (भीम) : क्या माननीय सदस्य जो पूछ रहे हैं, वह सही है ?

श्री केदारनाथ : आर्डर से नीलाम हुई है।

Page No 3

(3)

श्री ईश्वरचन्द्र : वे जेल के अन्दर बन्द थे। मीसाबन्दी के मुकदमे में कोई कार्यवाही नहीं की गई। राजनैतिक कारणों से वे जेल में बन्द थे। उनको जमीन से बेदखल कर दिया गया। क्या सरकार मीसा बन्दियों के पुनर्वास के लिये कुछ कर रही है?

श्री केदारनाथ : मैं इसके बारे में जांच करने के आदेश आज प्रसारित कर दूंगा। पुनर्वास का प्रश्न इस प्रश्न के स्कोप में नहीं आता, वह अलग प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर बिल्कुल स्पष्ट आ चुका है। सप्लीमेंट्री की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्रीमती मदन कौर!

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : उनकी जमीने भी सरकार ने दूसरे लोगों को अलाट कर दी हैं, क्या इसकी जांच करवाने की कृपा करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष : राज्य सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है।

श्री रतनलाल वर्मा : किसी भी काश्तकार को पूरी कार्यवाही किये बिना बेदखल नहीं किया जा सकता।

श्री उपाध्यक्ष : आप भाषण न दें। कोई प्रश्न पूछना हो तो प्रश्न पूछिये। इसका जवाब दे दिया गया है।

नेक्स्ट। श्रीमती मदन कौर।

पचपदरा नमक उद्योग से राज्य सरकार को आय

98. श्रीमती सुमित्रासिंह (झुंझुनू) [श्रीमती मदनकौर पंचपदरा की अनुपस्थिति में] क्या राजकीय उपक्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गत पांच वर्षों में पचपदरा नमक उद्योग से राज्य सरकार को प्रति वर्ष कितनी शुद्ध आय हुई?

(2) इन्हीं वर्षों में इस उद्योग पर राज्य सरकार द्वारा कितनी धनराशि प्रति वर्ष मदवार व्यय की गई?

(3) गत पांच वर्षों में इस नमक उद्योग पर प्रति वर्ष प्रशासनिक व्यय कितना आया और यह कुल किये गये व्यय का कितना प्रतिशत है?

राज्यमन्त्री, राजकीय उपक्रम (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) गत पांच वर्षों में पचपदरा नमक उद्योग से राज्य सरकार को प्रति वर्ष जो शुद्ध आय हुई उसका वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है:—

वर्ष	लाभ/हानि लाख रु० में
1972-73	(-) 0.13
1973-74	(-) 3.81
1974-75	(-) 3.62
1975-76	(-) 0.13
1976-77	प्रोफार्मा लेखे तैयार किये जा रहे हैं)

(2) इन्हीं वर्षों में इस उद्योग पर राज्य सरकार द्वारा जो धनराशि प्रति वर्ष वर्षवार व्यय की गई उसका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है जिसमें विभिन्न मदें दी गई हैं।

Page No 4

(४)

(श्री कैलाश मेघवाल)

(3) गत पांच वर्षों में इस नमक उद्योग पर प्रति वर्ष जो प्रशासनिक व्यय आया उसका विवरण एवं कुल किये गये व्यय का प्रतिशत ब्योरा निम्न प्रकार है:—

वर्ष	कुल प्रशासनिक व्यय (लाख रुपयों में)	कुल व्यय का प्रतिशत
1972-73	2.95	23 प्रतिशत
1973-74	2.91	63 ,,
1974-75	3.60	20 ,,
1975-76	3.52	39 ,,
1976-77	3.52	44 ,,

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट !

श्रीमती सुमित्रासिंह : सप्लीमेंट्री पूछना है।

श्री उपाध्यक्ष : जल्दी पूछिये।

श्रीमती सुमित्रासिंह : मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि, क्या यह सही नहीं है कि जो कुल प्रशासनिक व्यय है वह 66 प्रतिशत आता है ?

श्री कैलाश मेघवाल : मेरे पास जो आंकड़े हैं उनमें केवल 1973-74 के वर्ष में 63 प्रतिशत का व्यय आया है। इसका कारण यह है कि नमक उद्योग और राज्य सरकार के बीच में मुकदमा चला था। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा चला था। जो नमक उत्पादक थे उन्होंने यह तय किया था कि राज्य सरकार को नमक नहीं बेचेंगे और अलग से नमक बेचा था, इसकी वजह से राज्य सरकार को जितने नमक की खरीद होनी चाहिये थी वह नहीं हुई। इसलिये प्रतिशत ज्यादा है। 66 प्रतिशत सही नहीं है।

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय मंत्री महोदय इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि जब खान वालों से नमक लेते हैं तो उनको प्रति क्विंटल 1.98 रुपये देते हैं वापस जब बेचते हैं तो उसी के 6 रुपये लेते हैं तो क्या यह खान वालों का शोषण नहीं है ? आपको घाटा हुआ, उत्पादन की वजह से नहीं हुआ बल्कि आपकी ढेरियां पानी में बह गई इसलिये आपको घाटा हुआ।

श्री कैलाश मेघवाल : जो आपने अभी घाटे की स्थिति बताई है उसका एक ही कारण नहीं है, कई कारण हैं। जिस रेट पर खरीद की गई वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार की गई है। विक्रय जो किया जाता है नमक का उसमें यह है कि कई बार उसको रखना पड़ता है। उसके बाद प्रशासनिक व्यय और अन्य व्यय जोड़ कर भाव तय किया जाता है।

श्रीमती सुमित्रासिंह : राजकीय उपक्रम के इस प्रकार घाटे में चलते रहने का आप औचित्य समझते हैं क्या ?

श्री कैलाश मेघवाल : मैं माननीय सदस्या से निवेदन करूंगा कि इस पर पुन: विचार किया जा रहा है। अब लाभ होना चालू हो गया है। आप देखेंगे कि इस साल कितना लाभ होता है।

श्री शिवचरणसिंह (बयाना) : दयनीय स्थिति वालों पर क्या आप दया करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री गंगाराम चौधरी !

गुढ़ा मालानी एवं धोरीमना क्षेत्र को बिजली से जोड़ने की योजना

99. श्री गंगाराम चौधरी (गुढ़ा मालानी) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला बाड़मेर के गुढ़ा मालानी एवं धोरीमना क्षेत्र को बिजली से जोड़ने के लिए क्या कोई योजना विद्युत मण्डल के विचाराधीन है ?

(2) क्या यह सही है कि जिला विकास अधिकरण बाड़मेर ने इस क्षेत्र को बिजली से जोड़ने हेतु सिफारिश की है और कुछ राशि भी आवंटित की है ? यदि हां, तो उस पर सरकार एवं विद्युत मण्डल क्या विचार कर रहे हैं ?

(3) क्या इस क्षेत्र को जालोर जिले के निकटतम बिन्दु सांचोर अथवा दूधवड़िया से जोड़ा जा सकता है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक योजना बन जायेगी और कब तक कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ?

विद्युत मंत्री (श्री सम्पतराम) :

(1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं ।

(3) जी नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री भंवरलाल शर्मा !

श्री गंगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, सप्लीमेन्ट्री तो पूछ लेने दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष : पूछिये ।

श्री गंगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने 'जी नहीं' कहा है तो क्या यह सही नहीं है कि जिला विकास अधिकरण ने अपने प्रस्ताव के जरिए 11 लाख रुपये आर० एस० ई० बी० को देना तय किया था और आर० एस० ई० बी० के अधिकारियों ने इस सम्बन्ध में पिछली मीटिंग में बताया था कि विचार कर रहे हैं ?

श्री सम्पतराम : उपाध्यक्ष महोदय, इस बात को जानने की मैंने भी कोशिश की थी । यह बात सही नहीं है । एक और बात सही है और वह यह है कि स्पेशल आर्गेनाइजेशन स्कीम के द्वारा अनुदान जरूर दिया गया था ।

श्री गंगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि जिला विकास अधिकरण ने 11 लाख रुपया दिया था । इसकी सूचना नहीं है तो क्या आप जानकारी करेंगे ?

श्री सम्पतराम : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने विभाग से ही जानकारी नहीं की बल्कि जिलाधीश से भी बातचीत की है । उनसे बात करने पर बताया गया कि इस तरह का रुपया नहीं दिया गया है ।

श्री गंगाराम चौधरी : प्रस्ताव पास किया गया है । मंत्री महोदय ऐसा कैसे कहते हैं ? इसकी जानकारी करवा लें ।

श्री सम्पतराम : मैंने पूरी जानकारी कर ली है । अगर माननीय सदस्य को शंका है तो फिर जानकारी कर सकते हैं । अगर जानकारी करने के बाद यह पाया गया कि यह जानकारी ठीक नहीं है तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जायगी ।

Page No 6

(6)

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री भंवरलाल शर्मा!

100. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल, जयपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) आपातकाल में राजस्थान स्टेट को-आपरेटिव बैंक लि०, जयपुर के कर्मचारियों में से मेरिट फार्मूले के आधार पर कितने व्यक्तियों को पदोन्नत किया गया? इनमें क्या 8 से 12 वर्ष से कार्यरत लिपिकों की सेवाओं का कोई ध्यान नहीं रखा गया? यदि हां, तो इसका पूरा विवरण देने की कृपा करें।

(2) आपातकाल के पूर्व हुए समझौतों को निरस्त कर दिया गया तथा इसके पश्चात् नये समझौतों को ठुकराने का क्या औचित्य है? कृपया पूर्ण विवरण एवं नये और पुराने समझौतों की प्रतियां सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(3) एक अनुभवहीन लीगल ऑफिसर की नियुक्ति से बैंक के लिटिगेशन में क्या लाभ प्राप्त हुआ है?

सहकारिता मंत्री (श्री त्रिलोक चन्द जैन) : (1) राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव बैंक लि०, जयपुर द्वारा अपने कर्मचारियों में से कुल 18 कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया है। जी नहीं।

(2) नया समझौता नहीं हुआ। पूर्व समझौतों को निरस्त करने के लिये बैंक द्वारा नोटिस दिया गया था परन्तु यूनियन द्वारा यह विषय समझौता अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया गया था। अभी भी पुराने समझौते के अनुसार वेतन, भत्ते इत्यादि दिये जा रहे हैं।

(3) बैंक के बढ़ते कार्य को देखते हुये विधि अधिकारी का पद आवश्यक था। कार्यरत विधि अधिकारी अपने कार्य को सुचारु रूप से सम्पादित कर रहा है।

(समझौता फार्म के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा, क्या एक कैशियर, एक स्टेनो और 8 लेखाकार सभी को स्टॉफ यूनियन के सदस्य होने के कारण पदोन्नत किया गया, या किस आधार पर पदोन्नत किया गया? मेरिट फार्मूले के आधार पर पदोन्नत किया गया या सीनियोरिटी के आधार पर पदोन्नत किया गया?

श्री त्रिलोकचन्द जैन : उपाध्यक्ष महोदय, जो वहां पर लेखाकार हैं, हैड कैशियर हैं, स्टेनो हैं उनकी पदोन्नति मैरिट फार्मूले के आधार पर नहीं उनकी शैक्षणिक योग्यता, ग्रेजुएट होने की शैक्षणिक योग्यता और इन्टरव्यू के आधार पर पदोन्नति की गई है। मैरिट फार्मूला किसी व्यक्ति से सम्बन्धित नहीं है। यह जानकारी नहीं है कि उस आधार पर है।

श्री कौशल किशोर जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा एक ग्रेजुएट वरिष्ठ लिपिक 12 वर्ष से अधिक समय से वहां कार्यरत है और उत्कृष्ट सेवायें होने के उपरांत केवल आर. एस. एस. के व्यक्ति होने के कारण पदोन्नत नहीं किया गया?

श्री त्रिलोक चन्द जैन : इस सम्बन्ध की जानकारी नहीं है। आपने बताया है तो जांच करवा लेता हूं।

श्री कौशल किशोर जैन : क्या लीगल आफिसर की नियुक्ति जनरल बाडी की अनुमति से की गई है ?

श्री त्रिलोकचन्द जैन : लीगल जो अधिकारी है, उनके लिए बैंक का प्रस्ताव है। उस प्रस्ताव के आधार पर ही नियुक्त किया गया है। संचालक मण्डल का प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 24-8-76 है। गठित चयन समिति के द्वारा साक्षात्कार कर उनका 8-12-76 को किया गया।

श्री कौशल किशोर जैन : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : आपने सप्लीमेन्ट्री काफी पूछ लिये हैं। अधिक सप्लीमेन्ट्री नहीं पूछ सकते हैं।

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय प्रस्ताव है फिर भी चयन के फार्मूले का पूरा ख्याल क्यों नहीं रखा गया है? इसका जवाब न देकर मन्त्री महोदय ने टालमटोल की है। यह केवल एक ही सहकारी समिति का प्रश्न नहीं है तमाम सहकारी समितियों का है। उनमें पक्षपात ही नहीं किया गया। बल्कि भाई भतीजावाद को पनपाया गया है। सदन में मेरा यह आरोप है कि लाखों रुपयों का गबन हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : भाषण नहीं। सप्लीमेन्ट्री पूछ सकते हैं।

श्री रतनलाल वर्मा : मैं पूछना चाहता हूं, ऐसा क्यों किया? 8 से 12 साल की सर्विस वालों को पदोन्नत न करके दूसरों को क्यों मौका दिया है ?

श्री उपाध्यक्ष : आप इन्फार्मेशन कम लेते हैं और भाषण ज्यादा देते हैं।

श्री त्रिलोकचन्द जैन : मेरी जानकारी के आधार पर सही है। अगर आप लिखित में सूचना देंगे तो मैं जांच करूंगा। पदोन्नति के सिलसिले में दो तरह की बात है। जो पहले से काम कर रहे हैं; यदि वे पदोन्नति लेना चाहते हैं तो उसमें कोई कठिनाई नहीं है। यदि पदोन्नति के बाद वे आफिसर्स क्लास में आते हैं तो उनको सीमित रूप से 500) रु. मंहगाई भत्ता मिलता है इसीलिए वे पदोन्नति नहीं लेना चाहते हैं और अपने सामान्य पद पर ही रहना चाहते हैं। जो सूचकांक मंहगाई का होता है उसके आधार पर ज्यादा लाभ मिल सकता है। वह होते हुए भी स्वेच्छा से इन्कार कर दिया है। इस प्रकार की कई परिस्थितियां होती हैं आप कह रहे हैं तो स्पेसिफिक बतायें, जांच करवा लेंगे।

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, हमने ऐसा दुनिया में नहीं सुना कि पदोन्नति नहीं लेना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री गिरधारी लाल भार्गव ?

कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर द्वारा रोड रोलर्स की खरीद।

101. श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल बाजार, जयपुर) : इस सत्र का शुभ नम्बर एक सौ एक।

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर ने 1975-76, 1976-77 व 1977-78 में कुछ रोड रोलर्स खरीदे हैं ? यदि हां, तो कब कब, कहां-कहां और किस-किस मूल्य में ?

Page No 8

(8)

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर द्वारा रोड रोलर्स की खरीद के विषय में भूतपूर्व विधायक ने माननीय मंत्री महोदय से व राज्य सरकार से कुछ पत्र व्यवहार किया था ? अगर हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

कृषि मंत्री (श्री सम्पतराम) : (1) जी हां। वर्ष 1975-76 व 1976-77 में क्रमशः 6 व 12 रोड रोलर खरीदे गए। वर्ष 1977-78 में कोई आर्डर नहीं दिया गया।

अन्य वांछित सूचना संलग्न है।

(2) जी हां। एक भूतपूर्व विधायक ने इस बारे में पत्र लिखे थे। इस सम्बन्ध में बोर्ड से प्राप्त टिप्पणी पर विचार विमर्श करने के पश्चात् राज्य सरकार इस नतीजे पर पहुँची है कि बोर्ड ने जो निर्णय किये थे वह उस समय के हालात को देखते हुए उचित थे।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : 1975-76 में आपने कौन-कौन सी कम्पनियों से रोड रोलर्स खरीदे ? एक प्रश्न। इसके साथ-साथ यह भी उत्तर दे दीजिए कि इनमें जो इंजिन लगे हुई थे जो रस्टन, परकान, किर्लोस्कर इंजिन हैं उनमें 17,165) रु० प्रति इंजिन का फर्क है ?

श्री सम्पतराम : 1975-76 में खरीदे गए इंजिनों की संख्या चार है। एक पटना की फर्म से खरीदा गया, एक बम्बई की फर्म से खरीदा गया और चार कलकत्ता की फर्म से खरीदे गये हैं। डी.जी.एस.डी. की रेट निर्धारित हैं जिन पर रोड रोलर खरीदे गए

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : इसमें हमारा एक सवाल है। क्या मंत्री महोदय इसकी जानकारी देंगे कि रोड रोलर जो खरीदे गए उनमें भारी कमीशन लिया गया है और जो इंजिन सप्लाई करने थे वे बदल कर सप्लाई किए गए हैं ? मतलब यह है कि जिस ताकत के इंजिन होने चाहिए थे उससे कम ताकत के इंजिन सप्लाई किए गए।

श्री गिरधारीलाल भार्गव: क्या यह सही है कि लायन ब्राण्ड कम्पनी के जो कोटेशन थे उनको नहीं मान कर दूसरी कम्पनी से चार रोड रोलर खरीदने के आदेश दिए गए ?

श्री सम्पतराम : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं इस बात को बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं। मैंने इस विषय में काफी गहराई में जाने की कोशिश की है। माननीय सदस्य ने जैसा संकेत किया है, मैंने खुद इस प्रश्न के अध्ययन में समय लगाया है और बराबर इस बात को पकड़ने के लिए मैंने काफी कोशिश की है लेकिन इसमें कोई दम नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : गलती ढूंढने में आप असफल हो गए।

श्री भंवरलाल ऐरन (नसीराबाद) : क्या यह सही है कि जो रोड रोलर खरीदे गए और जिन पर पी० डब्ल्यू० डी० का काफी पैसा खर्च हुआ है वे ठीक नहीं हैं, ठीक तरह से काम नहीं करते हैं और उनका परफार्मेन्स ठीक नहीं है ?

श्री सम्पतराम : इनकी रेट डी० जी० एस० डी० से तय होती है जिसको भारत सरकार तय करती है। यह गवर्नमेंट की पब्लिक अण्डरटेकिंग है इसलिए पब्लिक अण्डरटेकिंग से खरीदने में आमतौर पर धारणा यही रहती है कि उसमें गबन घोटाले या पैसा खाने को कोई गुंजाइश नहीं होती। इसलिए.......

श्री शिवचरणसिंह (बयाना) : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न....

श्री सम्पतराम : पहले आप मेरा उत्तर सुन लें। मैंने इसमें डिटेल में, गहराई में जाकर देखने की कोशिश की है। मैंने कमिश्नर को भी आर्डर दिया था कि आप इसको डिटेल में देखिए और पूरी तरह से जानकारी करके मुझे रिपोर्ट दें लेकिन उनको भी कोई तथ्य नहीं मिले जिससे यह कहा जा सके कि इसमें कोई गड़बड़ हुई है।

श्री मूलचन्द डागा : कोशिश करिये साहब गड़बड़ निकालने की।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार के उद्योग मंत्री श्री टी० एन० पई ने भी राज्य सरकार को कोई पत्र लिखा था कि भविष्य में जितने भी रोड रोलर्स खरीदे जावें वे किस कम्पनी से खरीदे जावें ? राज्य सरकार के जितने भी विभाग हैं, चाहे पी० डब्ल्यू० डी० हो, इरिगेशन हो या और कोई और विभाग हो उसमें ये ही रोड रोलर्स खरीदे जावें। इसमें किसी प्रकार का कोई घोटाला या गबन नहीं है, इस प्रकार का आश्वासन क्या मंत्री महोदय दे सकते हैं ?

(व्यवधान)

श्री शिवचरणसिंह : क्या यह सही है कि टी० एन० पई के लेटर के आधार पर ही इन रोड रोलर्स की खरीद की गई थी ?

श्री भंवरलाल ऐरन : क्या यह सम्भव है, रिकार्ड के आधार पर इस बात का पता लग सकता है कि किस को कितना कमीशन रोड रोलर्स खरीदने में दिया गया है ? क्या यह भी सम्भव है रिकार्ड के आधार पर मालूम करना कि जिस हार्स पावर के इंजिन खरीदने थे उसी हार्स पावर के इंजिन खरीदे गए ?

श्री सम्पतराम : मैंने पहले ही निवेदन किया है, उपाध्यक्ष महोदय, यह पब्लिक अण्डरटेकिंग है। पब्लिक अण्डरटेकिंग्स से खरीदने के लिये भारत सरकार का भी निर्देश था, बल्कि एडवाइस थी। जैसा कि भारत सरकार के उद्योग मंत्री पई का जिक्र किया गया है वह भी इसमें शामिल था इसलिए पब्लिक अण्डरटेकिंग्स से खरीदने में मैं समझता हूं कि कमीशन का प्रश्न उठता नहीं है।

श्री शिवचरणसिंह : क्या यह सही है कि जिस कम्पनी के लिए भारत सरकार ने सिफारिश की वह मूंदड़ा की कम्पनी थी ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : क्या यह सही है कि इस कम्पनी के सोल सेलिंग एजेंट जालान मोदी हैं ? इस ग्रोव्स कॉटन कम्पनी के वे ही एजेंट हैं जो मारुति, जो कि संजय गांधी की कम्पनी है, के भी सोल सेलिंग एजेंट है ?

श्री सम्पतराम : मुझे खुशी होती इसका जवाब देने में लेकिन मुझे खेद है कि मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है।

Page No 10

(10)

श्री शिवचरणसिंह : क्या यह सही है कि इस कम्पनी के एजेन्ट जालान हैं ? इन जालान के जरिये रोड रोलर खरीदे गए हैं जो कई कम्पनियों के मालिक हैं और संजय गांधी के पार्टनर हैं ?

श्री सम्पतराम : नहीं, इसमें ग्रीव्स कॉटन कम्पनी से खरीदने का कारण यह है कि ये उनके सोल सेलिंग एजेंट हैं। उसके माध्यम से खरीदने से हाफ पर्सेंट का फायदा हुआ है। मैंने इसमें काफी जानकारी करने की कोशिश की है कि कॉटन कम्पनी से क्यों खरीदे गये और पब्लिक अण्डरटेकिंग कम्पनी से क्यों नहीं खरीदे गये, तो मुझे बताया गया है कि ग्रीव्स काटन कम्पनी से खरीदने में हाफ पर्सेन्ट का स्टेट को फायदा होता है।

(व्यवधान)

श्री शिवचरणसिंह : ग्रीव्स कॉटन कम्पनी से इसलिए खरीदे गये क्योंकि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता जोधपुर के हैं उनके जरिये खरीदे हैं। उनको ओब्लाइज करने के लिए खरीदे हैं। इसमें बहुत बड़ा घोटाला है। ये उतने हार्स पावर के भी नहीं है, इनकी परफार्मेन्स भी ठीक नहीं है। डी० जी० एस० डी० की रेट से ज्यादा में खरीदे हैं और राज्य सरकार को इसमें बहुत बड़ा घाटा हुआ है। इसके इंजिन किर्लोस्कर और दूसरी रस्टन वगैरह कम्पनी से इनफिरियर हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय ने काफी गहराई से इस प्रश्न को देख लिया है, काफी प्रश्न इस पर पूछ चुके हैं। जब उनको कोई गड़बड़ नहीं मिल रही है तो क्या जवाब देंगे ?

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : क्या यह बात सही है कि मंत्री महोदय पुराने पापों पर पर्दा डाल रहे है ?

श्री सम्पतराम : माननीय सदस्य जैसी भाषा में चाहें विचार प्रकट कर सकते हैं, वे जैसा चाहें वैसा विचार रख सकते हैं लेकिन मैं तो इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि जब मेरे पास यह क्वेश्चन आया तो मैंने कमिश्नर को खास तौर से कहा कि मैं इस प्रश्न को अप्रूव नहीं करना चाहता, मुझे इस मामले में घोटाला लगता है। आप इस प्रश्न की डिटेल्स में, गहराई में पर्सनली जाईये और एग्जामिन करके मुझे रिपोर्ट दीजिए। उन्होंने इस प्रश्न को डिटेल में देखा। उनकी रिपोर्ट आई जिसको मैंने भी एग्जामिन किया है लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं मिली। बिना किसी तथ्य के इस तरह से स्ट्रक्चर पास करने में कोई फायदा नहीं है।

श्री रतनलाल वर्मा : क्या यह सही है कि आपको प्रश्न का उत्तर सही नहीं दिया गया है कमिश्नर के द्वारा ?

(व्यवधान)

श्री सम्पतराम : मैंने हण्ड्रेड पर्सेन्ट सही जवाब दिया है।

श्री मूलचन्द डागा : क्या मुंह तोड़ जवाब मिला है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा एक स्पेसिफिक प्रश्न है। क्या यह सही है कि एक रोड रोलर की खरीद में, प्रत्येक में 33,915) का अन्तर है ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें लगभग 6 लाख 40 हजार का घोटाला है। क्या मंत्री

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)...

महोदय सी० बी० आई० से इस सारे घोटाले की जांच कराने को तैयार हैं ?

श्री मूलचन्द डागा: How many times will he repeat the reply ?

श्री सम्पतराम : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, काफी गहराई में जाकर जितना देख सकता था मैंने देख लिया है और मुझे कोई तथ्य नहीं मिले हैं।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, इसकी जांच कराई जाय।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : काफी प्रश्न पूछे जा चुके हैं।

नेक्स्ट । श्री उमरावसिंह ढाबरिया !

श्री रतनलाल वर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसको जांच कराई जाय। लाखों रुपयों का घोटाला है इसमें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष जी; मैं निवेदन करना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि क्या वह इसकी सी. बी. आई. से जांच कराने को तैयार है? जब आपने भ्रष्टाचार मिटाने का वायदा किया है तो क्या आप इसकी सी. बी. आई. से जांच कराने को तैयार हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : आप कोई कमीशन बिठा दें।

(व्यवधान)

कमीशन बिठाओ कमीशन।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं खड़ा हुआ हूं तो आपको बोलने का अधिकार नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : A member cannot put questions seven times. There should be some limit.

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ! माननीय सदस्य !

श्री मूलचन्द डागा : माननीय उपाध्यक्ष जी, एक मेम्बर क्या सात-सात क्वेश्चन करेंगे जब मंत्री महोदय ने जवाब दे दिया फिर भी क्या एक सदस्य सात-सात बार क्वेश्चन करते रहेंगे ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप लोगों को बचाना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मेरी बात सुनिए, माननीय सदस्य !

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल (जैतारण) : क्या जनता पार्टी के सदस्यों का मंत्री में विश्वास नहीं है ?

श्री मूलचन्द डागा : आयोग बिठाने की बात करें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : काफी विवाद हो चुका है। आप मंत्री महोदय से जानकारी प्राप्त कर लें।

(व्यवधान)

(श्री उपाध्यक्ष)

नेक्स्ट । श्री उमरावसिंह ढाबरिया !

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष : काफी सप्लीमेन्ट्री हो चुके हैं । अब मैं आगे इजाजत नहीं दूंगा । आपको जानकारी मंत्री महोदय दे देंगे ।

एक माननीय सदस्य : इस भ्रष्टाचार की जांच करवाई जानी चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : आप इसकी जानकारी दे दें ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कुल 6 लाख 40 हजार का घोटाला है ।

श्री उपाध्यक्ष : आप इसकी जानकारी दे दें ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय मंत्री महोदय इसकी जांच करवाने का आश्वासन दें । हाउस के सामने आश्वासन दें ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर-ग्रामीण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जांच करवाने में क्या दिक्कत है ?

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : क्या यह सही है कि मौजूदा मंत्री महोदय पहले कांग्रेस में मंत्री पद पर थे इसलिए वे इस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह तो XXX

श्री मूलचन्द डागा : आयोग बिठाओ । आयोग बिठाओ ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपकी पोल खुलने जा रही है ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पहले मुझे सुन लीजिए । ऐसा है, इस पर काफी चर्चा हो चुकी है । आगे भी आप इस पर चर्चा करना चाहते हैं तो आधे घंटे की चर्चा का विषय बना कर इस पर चर्चा कर लीजिए । आधे घंटे की चर्चा बना कर इस विषय को आप उठा सकते हैं । आप लोग शान्त रहिए । आप बिराजिए ।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : (नीम का थाना) उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना चाहता हूं । डागा साहब, इस तरह से बात नहीं बनेगी ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव । XXX

श्री शंकरलाल : आप माननीय सदस्य डागा जी पर आरोप लगा रहे हैं, यह गलत है ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचौर) : आप की खुद की सरकार है आप माननीय सदस्य पर इस तरह का आरोप नहीं लगा सकते ।

एक माननीय सदस्य : ये कांग्रेसी बंधु इस तरह से हल्ला क्यों कर रहे हैं ?

मेजर श्री फतहसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं....

XXX अभिव्यक्ति अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

श्री मूलचन्द डागा : आप कोई निवेदन नहीं कर सकते। अब कोई निवेदन नहीं हो सकता।

मेजर श्री फतहसिंह : उपाध्यक्ष महोदय; माननीय सदस्य श्री गिरधारीलाल भार्गव ने इस प्रश्न के सम्बन्ध में 6 लाख रुपये के घोटाले का प्रश्न उठाया है। यह आरोप लगाया है। क्या इसकी जांच माननीय मन्त्री महोदय करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मेरा सुझाव है कि इस सदन की एक समिति गठित कर दी जावे।

श्री खेतसिंह राठोड़ (शेरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन कर देना चाहता हूं। हम किसी को बचाना नहीं चाहते, चाहे वह कितना बड़ा कांग्रेस का नेता हो। निश्चित तौर पर इसकी जांच करवाई जानी चाहिए और गलती हो तो पनिशमेंट दें परन्तु इस तरह से आप कांग्रेस पार्टी और हमारे माननीय सदस्य पर लांछन लगाते हैं तो यह गलत है। उपाध्यक्ष महोदय, आप इनको हिदायत दीजिये। सारी कांग्रेस पार्टी को ये बदनाम कर रहे हैं; यह गलत है।

श्री रतनलाल वर्मा : इसकी जांच करवाई जाये।

(व्यवधान)

मेजर श्री फतहसिंह : इसका स्पष्ट उत्तर आना चाहिये।

श्री मूलचन्द डागा : आप इसकी जांच करवाइये।

मेजर श्री फतहसिंह : आप और हम दोनों बराबर इसकी जांच करेंगे। एक समिति इस सदन के सदस्यों की नियुक्त कर दी जावे। वह इसकी जांच करे।

श्री रतनलाल वर्मा : इसमें एक कांग्रेस का भी मेम्बर हो।

श्री सम्पतराम : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय सदस्यों ने जो भावनायें यहां पर व्यक्त की हैं, उनकी मैं इज्जत करता हूं। मैंने खुद ने जितना प्रयत्न हो सकता था, वह किया है। यह फाइल आप चाहें तो देख सकते हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : सदन की समिति नियुक्त हो ?

श्री सम्पतराम : यह कोई तरीका नहीं है। आप सुनने को भी तैयार नहीं है। मेरी मंशा या सरकार की मंशा किसी ने भी कोई गड़बड़ी की है तो उसकी शील्ड करने की नहीं है। मैं इस बात के लिए तैयार हूं कि माननीय प्रश्नकर्त्ता और माननीय मेजर फतहसिंह इस सारी पत्रावली को देख लें, इसका अध्ययन कर लें और उसके बाद, (व्यवधान).... यह मेरा सुझाव है, स्वीकार करना या न करना, यह सदन की मर्जी है। मेरा यह कहना है कि इस पत्रावली को वे देख लें और उसके बाद वे यदि इस नतीजे पर पहुंचे कि इसमें कोई गड़बड़ है, कोई घोटाला है, गबन है या कोई प्राइमाफेसी केस बनता है तो उनके सुझाव के मुताबिक सरकार चाहे जो कार्यवाही करने को तैयार है।

(व्यवधान)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरे पास यह सारा रिकार्ड मौजूद है।

(14)

श्री मूलचन्द डागा : इनको तो जनता पार्टी के मन्त्री से सन्तोष नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। इस प्रश्न पर काफी विवाद हो चुका है। इस पर आगे डिबेट अलाउ नहीं करूंगा। आप स्थान ग्रहण करें।

एक माननीय सदस्य : एक मिनट---

श्री उपाध्यक्ष : बिल्कुल नहीं। मैं आपको परमिट नहीं करूंगा।
नेकस्ट ! श्री उमरावसिंह ढाबरिया !

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न पहले है। यह पहले लिया जावे।

श्री मूलचन्द डागा : It is a very important question.

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रद्युम्नसिंह। प्रश्न सं० 102

आपातकाल में मीसा एवं डी० आई० आर० के अन्तर्गत गिरफ्तार राजनैतिक बंदी

102. **श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) आपातकाल के दौरान कितने राजनैतिक बन्दी, जो मीसा व डी० आई० आर० के तहत गिरफ्तार हुए थे, माफी मांग कर छूटे ? उनके नाम की सूची मय पते के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) कितने ऐसे राजनैतिक बन्दी थे, जिन्होंने माफी मांगी लेकिन सरकार ने उनकी माफी मन्जूर नहीं की ? उनके नाम की सूची मय उनके पतों के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) कितने राजनैतिक बन्दी, जो मीसा व डी० आई० आर में गिरफ्तार किये गये थे, को पैरोल पर छोड़ा गया तथा वह कितने समय तक पैरोल पर रहे ? उनके नाम की सूची मय पतों के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

गृह मन्त्री (श्री केदारनाथ) : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की पूरी सूचना हमारे पास एकत्रित नहीं हो सकी है। यह प्रश्न अभी विचाराधीन है। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम किसी प्रश्न को विद् हेल्ड नहीं करना चाहते हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : हम मन्त्री महोदय का भाषण नहीं सुनना चाहते हैं। हम जवाब चाहते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : आप जवाब दीजिए। भाषण क्यों दे रहे हैं ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : इनके पास जानकारी है। पिछली बार जब यह प्रश्न पूछा गया तो कह दिया कि यह सेपरेट क्वेश्चन है। आप बताना नहीं चाहते हैं कि कौन आदमी माफी मांग कर आये हैं। कौन आदमी पैरोल रहे। कितने दिन पैरोल पर रहे और पैरोल पर आकर माफी मांगी है। इस प्रश्न को सरकार टालना चाहती है। इस सेशन के अन्दर ही पहले नम्बर पर इसका जवाब दिलाया जाये।

श्री खेतसिंह राठोड़ : आप बताना नहीं चाहते हैं। छुपाना चाहते हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मन्त्री महोदय भाषण दे रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : जनता पार्टी के कौन-कौन मन्त्री हैं जो माफी मांग कर आये हैं ?

श्री शंकरलाल : आप इसकी पूरी जांच करा लीजिए।

श्री मूलचन्द डागा : पूरी जांच करा लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : One at a time

श्री प्रद्युम्नसिंह : क्या मन्त्री महोदय स्पष्ट जवाब देंगे ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : सारे हिन्दुस्तान में इस इनफार्मेशन को छुपाया गया है। आप जवाब नहीं देना चाहते हैं।

श्री शिवचरणसिंह : कितने लोगों ने माफी मांगी है ? इसका जवाब दिया जाये।

श्री प्रद्युम्नसिंह : माफी मांग कर आये हैं और हीरो बने हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कम से कम मन्त्री महोदय को सुनने का प्रयत्न करें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : हम जो पूछना चाहते हैं, वह हम को बताया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य !

(व्यवधान)

श्री केदारनाथ : इस प्रश्न को टालने का हमारा कोई इरादा नहीं है। आप इसका मखौल करना चाहें तो दूसरी बात है।

श्री मूलचन्द डागा : हम चाहते हैं। जवाब दिया जाये। हम आपसे जवाब चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नकर्ता स्वयं स्वीकार करेंगे, मन्त्री महोदय ने जानकारी एकत्र करने के लिए कहा है तो उनको समय देना चाहिए।

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि अभी कुछ दिन पहले श्री भंवरलाल शर्मा का सवाल था। मीसा में डिटेन किये गये लोगों के बारे में सवाल था। मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन था। मन्त्री महोदय ने कहा था कि यह अलग से प्रश्न है। स्वयं मुख्य मन्त्री महोदय ने कहा था कि यह अलग से प्रश्न है। इसलिए मैंने अलग से प्रश्न दिया है। पोस्टपोन करने का सवाल कहां है। अलग से प्रश्न दिया है।

श्री मूलचन्द डागा : प्रश्न करने के बाद सारे हाउस का प्रश्न हो जाता है।

(व्यवधान)

कौन-कौन से मन्त्री माफी मांग कर आये हैं ? सदस्यगण माफी मांग कर आये हैं ? इसका आप जवाब दे दीजिए।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : मौजूदा मन्त्रियों में ऐसे कितने हैं जिन्होंने माफी मांगी है ? कितने सदस्य हैं ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मन्त्री महोदय जान-बूझकर जानकारी छुपा रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : आप स्टेटिस्टिक्स बता दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष : हो सकता है, जानकारी नहीं हो ।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता (दांता रामगढ़) : कोई माफी मांग ले तो क्या उसको बुराई मानते हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : नो नो । यह यह बुराई क्यों मानेंगे ?

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आप कृपया डाइरेक्शन दें । मैं सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता । सवाल का अगले हफ्ते में रिप्लाई दिया जाये ।

श्री केदारनाथ : इन्होंने प्रश्न पूछा है । हम उसका जवाब देंगे ।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, कितना समय लेना है ? होम डिपार्टमेन्ट यहां है । तीन चार दिन ले लीजिए, उपाध्यक्ष महोदय बहुत समझदार व्यक्ति हैं ।

(व्यवधान)

श्री केदार शर्मा : मैं दो सप्ताह में इसका जवाब दे दूंगा ।

श्री कौशलकिशोर जैन : ये बड़े बड़े बैठे हैं । इन लोगों ने XXX XXX की है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य । माननीय सदस्य ।

श्री मूलचन्द डागा : अरे XXX क्या जानो ।

(व्यवधान)

श्री सुरेशकुमार : उपाध्यक्ष महोदय; यह प्रश्न स्पष्ट नहीं है । ऐसा मालूम पड़ता है जैसे सारे हिन्दुस्तान की जानकारी इस प्रश्न में मांगी है । मैं समझता हूं कि····

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : नो नो । गलत गलत ।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मुझे आपत्ति है, इस प्रश्न पर ।

श्री मूलचन्द डागा : नो, प्वाइन्ट आफ आर्डर । सवाल ही पैदा नहीं होता ।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह : मैं यह निवेदन कर रहा था कि XXX शब्द का जो यूज किया है इसको एक्सपन्ज किया जाय ।

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानकारी देना चाहता हूं कि मीसा कानून में·······

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप यह जानकारी नहीं दे सकते ।

श्री केदारनाथ : उपाध्यक्ष महोदय, 15 दिन के अन्दर·······

XXX शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किये गये ।

श्री उपाध्यक्ष : हो सकता है कि यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण हो जिस प्रकार से संजय गांधी की यात्राओं पर जो खर्च हुआ उसके बारे में श्री मुख्य मन्त्रीजी ने कहा था कि यह बड़ा एग्जाक्टिव प्रश्न है और यह हो सकता है कि गृह मन्त्रीजी की भी यही स्थिति हो। इसके लिए आप इनको अवसर दीजिये। इस प्रश्न को स्थगित रखा जाय।

श्री मूलचन्द डागा : आप समय निश्चित करिये, 10 दिन 15 दिन 7 दिन 8 दिन, कुछ भी करिये।

श्री उपाध्यक्ष : मैं चेम्बर में बुलाकर व्यवस्था कर दूंगा।

श्री केदारनाथ : उपाध्यक्ष महोदय, 15 दिन के अन्दर दे देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री उमरावसिंह ढाबरिया।

(व्यवधान)

श्री केदारनाथ : यह जानकारी 15 दिन में उपलब्ध करवा देंगे। जिन्होंने टोरचर्ड कन्डीशन में माफीनामा एक्स्टार्ट किया है, और जिन्होंने एक्स्टार्ट कराया है उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जायगी।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपको सुझाव देने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न स्थगित कर दिया गया है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया !

श्री सूर्यनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि मीसा कानून के अन्तर्गत पेरोल का कोई प्रावधान नहीं है। जहां तक माफीनामे का प्रश्न है....

श्री उपाध्यक्ष : आप कानून की जानकारी मत दीजिये।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : You cannot challenge the ruling of the speaker. आप चेम्बर के खिलाफ कुछ नहीं कह सकते।

श्री उपाध्यक्ष : मैं व्यवस्था दे चुका हूं। अब इस प्रश्न के सम्बन्ध में कुछ नहीं सुना जायगा।

(व्यवधान)

बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री उमरावसिंह ढाबरिया।

भीलवाड़ा में खेती की जमीन का औद्योगिक क्षेत्र में परिवर्तन

103. श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भीलवाड़ा शहर में सन् 1965-66 में किन-किन की खेती की जमीन औद्योगिक क्षेत्र में परिणित की गई है ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(2) क्या अभी भी किन्हीं लोगों की दरख्वास्तें (अप्लीकेशन्स) ऐसे परिवर्तन के लिये विचाराधीन पड़ी है ? यदि हां, तो इन पर कब तक कार्यवाही होने की उम्मीद है ?

Page No 18

(18)

राज्य मंत्री, उद्योग (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। चार मामले शेष हैं, जिन पर शीघ्र कार्यवाही की जा रही है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उपाध्यक्ष महोदय, जो सूची मेरे सामने है, मैंने इसको अच्छी तरह से देखा है। जिस व्यक्ति के लिए मैंने यह प्रश्न पूछा है उसकी जानकारी छिपाई गई है।

श्री मूलचन्द डागा : सभी छिपा रहे हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : श्रीमान्, आप खुद भीलवाड़ा के रहने वाले हैं। जबर प्लास्टिक की जमीन, जो कि नाहर ब्रादर्स के पेट्रोल पम्प के सामने है, को कन्वर्ट किया या जो कि एग्रीकल्चरल लैण्ड थी। इसका नाम इसमें क्यों नहीं दर्ज किया गया ?

श्री उपाध्यक्ष : आप उस व्यक्ति का नाम बता सकते हैं, जिससे मन्त्री महोदय को आसानी होगी।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : जबर प्लास्टिक्स की जमीन जे. पी. शर्मा वहां पर कलेक्टर था उसके पीरियड में उसको कन्वर्ट किया गया। साढ़े तीन लाख रुपये रिश्वत ली गई। जे. पी. शर्मा का ट्रांसफर हुआ उसके बाद जो ट्रांजेक्शन हुए उसमें से एक भी इस लिस्ट में नहीं है। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि उस जिलाधीश ने उस पीरियड में साढ़े तीन लाख की रिश्वत ली।

श्री मूलचन्द डागा : एन्क्वायरी हो आयोग बिठाइये।

(व्यवधान)

श्री सम्पतराम (कृषि मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आयोग के बारे में बार-बार चर्चा हो रही है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अब वह दिन दूर नहीं है। दो-चार दिन में आयोग भी बैठ जायगा।

श्री मूलचन्द डागा : बिठाइये आज ही, शाम को और दो की घोषणा कर दें। आयोग बिठाने वाले काम नहीं कर सकते। आयोग बिठा दीजिये।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आयोग में आपको भी सदस्य बनाया जायगा।

श्री मूलचन्द डागा : यह धमकी देने की आदत भूल जाइये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : धमकियों से नहीं डरते हम।

श्री सम्पतराम : माननीय उपाध्यक्षजी, जब मैंने आयोग का नाम लिया तो मैं समझता हूं सब तरफ खुशी होनी चाहिए। आयोग की बात सुनकर जो की चिरमिराहट और नाराजगी हो रही है, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। आयोग दोषी व्यक्तियों के खिलाफ बिठाया जायगा। इसके बारे में अपोजीशन करके क्यों चलते हैं ? जिस व्यक्ति के खिलाफ चार्जेज होंगे उसी के खिलाफ आयोग जांच करेगा।

श्री मूलचन्द डागा : आपके यहां एक ही काम होगा, आयोग बिठाने का रोज बिठा दो।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो भूमि परिवर्तित की गई है उसकी सूची मेरे पास है और जो मामले विचाराधीन हैं, उसकी भी मेरे पास सूची है। इसके अलावा माननीय सदस्य जिस मामले के बारे में बता रहे हैं, मैं उसकी जानकारी करके उनको सूचित कर दूंगा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आपने कहा 4 एप्लीकेशन्स पेंडिंग हैं, वे कहां-कहां है ?

श्री कैलाश मेघवाल : यह जो 4 मामले विचाराधीन हैं वे हैं—

1.	भीलवाड़ा जिला साबुन केमिकल संघ, भीलवाड़ा।	6 बीघा 12 बिस्वा
2.	सर्वश्री सत्यनारायण, सूर्यप्रकाश एवं श्यामसुन्दर पिता सावरमल सोमाणी निवासी भीलवाड़ा।	3548 वर्ग गज
3.	श्रीमती कमला देवी धर्म पत्नी मूलचन्द शर्मा, निवासी भीलवाड़ा।	1 बीघा 5 बिस्वा
4.	श्री पुखराज सिसोदिया, निवासी भीलवाड़ा	2 बीघा 10 बिस्वा

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मेरा प्रश्न साफ है। अभी भीलवाड़ा में राजस्थान शिल्प मिल नाम से जो उद्योग खोला गया है उसको जमीन को भी कन्वर्ट कर दिया गया है। श्री लड्ढा, भूतपूर्व सिंचाई मंत्री के लिए आदेश हो चुके हैं, उनका नाम लिस्ट में क्यों नहीं दिया ?

श्री उपाध्यक्ष : 1965-66 की जानकारी आपने मांगी है वह दी है।

श्री मूलचन्द डागा : जब म्यूनिसिपल एरिया में खेती की जमीन आबादी में परिवर्तित की जाती है, तो क्या नगरपालिका से नो-आब्जेक्शन सर्टीफिकेट लिया जाता है या नहीं ? म्यूनिसिपैलिटी का नो-आब्जेक्शन सर्टीफिकेट लेने के बाद आप जमीन को आबादी में कन्वर्ट करते हैं या बिना म्यूनिसिपैलिटी से नो-ओब्जेक्शन सर्टीफिकेट लिए हुए कर देते हैं ?

श्री कैलाश मेघवाल : इस बारे में वस्तुस्थिति क्या है, इसकी जानकारी अभी मुझे नहीं है। मैं जानकारी करके आपको भेज दूंगा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैंने जो नाम लिया है उसी तरह के 10 आदमी हैं जिनकी जमीनें कन्वर्ट कर दी गई हैं मंत्री महोदय आश्वासन दें कि इस तरह के जितने मामले हुए हैं उनकी जांच करवायेंगे और अगर वे नाजायज हैं तो जिस जिलाधीश ने यह कार्यवाही की है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इस बात का आश्वासन दें कि आप फाइल मंगाकर खुद निरीक्षण करेंगे।

श्री कैलाश मेघवाल : ऐसी जमीन परिवर्तित करने में यदि कोई अनियमितता की गई है और माननीय सदस्य अगर मुझे सूची देंगे तो उसकी जांच की जायगी। जिन्होंने अनियमितता में सहयोग दिया है, उनके विरुद्ध भी कार्यवाही की जायगी।

श्री मूलचन्द डागा : आप मंगवायें, माननीय सदस्य क्या सूची ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

जल महल व उसके आस-पास के क्षेत्र के विकास की योजना

94. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जयपुर-आमेर सड़क पर स्थित जल महल व उसके आस-पास के क्षेत्र के विकास हेतु कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(2) क्या सरकार जल महल क्षेत्र के चारों ओर विदेशी पर्यटकों के सार्थ भ्रमणार्थ सड़क (रिंग रोड) निर्माण कराने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या राज्य सरकार के पास जल महल को नाहरगढ़ पहाड़ पर स्थित चरण मन्दिर से एक (रोप वे) द्वारा जोड़ने की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार अब इस प्रकार की योजना बना कर समयबद्ध कार्यक्रम में पूर्ण करने का विचार रखती है ?

(4) जल महल क्षेत्र में क्या लीज पर एक-एक बीघा भूमि कृषकों को प्रतिवर्ष आवंटित की जाती है ? यदि हाँ, तो सरकार इस समस्त भूमि को जल महल विकास योजना में सम्मिलित कर इस क्षेत्र का समयबद्ध कार्यक्रमानुसार शीघ्र ही विकास कर पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु उद्यान बनायेगी ?

उत्तर

(1) उक्त कथित योजना पर्यटन विभाग के विचाराधीन नहीं है। यह योजना मुख्यतया गन्दे पानी की सफाई से सम्बन्धित है अतः उक्त योजना जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग के कार्य क्षेत्र में आती है।

(2) जी नहीं, वांछित क्षेत्र के समुचित विकास के पूर्व वर्तमान में रिंगरोड निर्माण कराने की योजना बनाना अनुपयुक्त होगा।

(3) जी नहीं, यह योजना बहुत अधिक धनराशि वाली होगी, जिसमें विभिन्न विभागों के समन्वय की आवश्यकता है।

(4) जल महल के क्षेत्र का स्वामित्व पर्यटन विभाग के पास नहीं है। यदि किसी समय इस सारे क्षेत्र का स्वामित्व विभाग को सौंपा तो वित्तीय साधनों को दृष्टिगत रखते हुए इस पर विचार किया जा सकता है।

कातरे एवं सफेद लट से फसलों को क्षति

95. श्री रामरघुनाथ (डेगाना) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में कातरे एवं सफेद लट (गोजा) का अधिक प्रकोप किस-किस जिले में हुआ है तथा इससे कितने प्रतिशत फसलों को हानि हुई है ?

(2) इसकी रोकथाम के लिए राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? तथा

Page No 21

(२१)

(श्री रामरघुनाथ)

इस सम्बन्ध में इस वर्ष में क्या-क्या काम किया गया है ?

(3) क्या राज्य सरकार इस होने वाली हानि के लिए किसानों को कोई राहत देने का विचार कर रही है ?

(4) क्या राज्य सरकार के पास ऐसी कोई योजना है जिससे कि कातरे एवं सफेद लट (गोजा) के खतरे से बचने के लिए किसानों को प्रारम्भिक रूप से प्रेरित करे और इससे होने वाली सम्भावित हानि से किसान को बचाया जा सके ?

उत्तर

(1) राजस्थान में कातरे का अधिक प्रकोप सीकर, झुन्झुनू, चूरू, बीकानेर, दौसा, जयपुर, श्रीगंगानगर के कुछ क्षेत्रों में एवं जोधपुर व नागौर जिलों में हुआ है। इन जिलों में लगभग 10 से 60 प्रतिशत तक हानि मुख्यतया दलहन खरीफ की फसलों को हुई है।

सफेद लट से प्रभावित क्षेत्र नागौर, दौसा, सीकर, झुन्झुनू, सवाई माधोपुर, पाली व अजमेर जिले हैं। इनमें से जयपुर व दौसा जिले अधिक प्रभावित हैं। प्रभावित क्षेत्रों में अनुमानित नुकसान 40 से 50 प्रतिशत तक रहा है। पूरा अनुमान तो गिरदावरी के बाद ही होगा।

(2) विभाग द्वारा कातरा व सफेद लट को समय पर नष्ट करने के लिए कृषकों को रेडियो प्रसारण एवं समाचार पत्र के माध्यम से चेतावनियाँ दी जाकर मार्ग दर्शन कराया गया। कातरे की तितली को लाइट ट्रेप द्वारा एवं इसकी लट को प्रारम्भिक अवस्था में ही रसायन द्वारा नियंत्रण के बारे में मार्ग दर्शन दिया गया। इसके अतिरिक्त कृषि प्रसार कार्यक्रम के अन्तर्गत चक भ्रमण में कार्यकर्ताओं द्वारा कृषकों को कीट नियन्त्रण के बारे में बतलाया गया। जिलों में आवश्यक मात्रा में कीट नाशक औषधियाँ व मशीन का प्रबन्ध कराया गया।

(3) राज्य सरकार द्वारा सीकर, झुन्झुनू, चूरू, बीकानेर, दौसा, जयपुर, श्रीगंगानगर जिलों में कीट महामारी घोषित की गई जिसके अन्तर्गत कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान पर कीट नाशक औषधियाँ वितरित की गईं।

सफेद लट की प्रौढ़ (बीटल) को एकत्रित कर नष्ट करने एवं इसको रसायन द्वारा नष्ट करने के लिए भी कृषकों को पूर्व में ही मार्ग दर्शन दिया गया। सफेद लट नियन्त्रण हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत जयपुर व दौसा कृषि जिलों में कीट नाशक औषधियों की कीमत पर केन्द्र सरकार द्वारा 50 प्रतिशत एवं राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत अनुदान भी दिया गया।

(4) राज्य सरकार द्वारा कातरा से ग्रस्त क्षेत्र (चूरू, झुन्झुनू, बीकानेर, जोधपुर, जालौर, टोंक, सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, अजमेर, जयपुर, नागौर जिलों) में कृषि कार्य हेतु खाद बीज रसायन आदि की व्यवस्था के लिए 87.5 लाख रुपये का तकावी ऋण सम्बन्धित जिलाधीशों के माध्यम से कृषकों को वितरित करने हेतु आवंटित किया गया है और तकावी भी दी जावेगी ताकि उन्हें रबी की फसल में कठिनाई न हो।

(कृषि मंत्री)

कातरे की तितली को लाइट ट्रेप द्वारा नष्ट करने एवं लट को प्रारम्भिक अवस्था में रसायन द्वारा नष्ट करने के लिए कृषकों को प्रेरित किया जावेगा।

सफेद लट के नुकसान से बचने के लिए प्रौढ़ कीट (बीटल) का मैकेनिकल कन्ट्रोल योजना के लिए किसानों को प्रेरित किया जा रहा है। यह योजना पिछले वर्ष जयपुर जिले की कुछ पंचायत समितियों में प्रदर्शन के रूप में शुरू की गई थी।

अगले तीन वर्ष तक यह योजना राज्य के 10 जिलों में क्रियान्वित करने हेतु केन्द्र सरकार को एनडेमिक योजना में सम्मिलित करने की स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत प्रौढ़ कीट (बीटल) एकत्रित करने पर कुछ राशि (इनसेन्टिव) देने का भी प्रावधान है।

कारागृहों में हड़ताल

96. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या कारागृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य मन्त्री कारागृह, जोधपुर तथा जयपुर कारागृह में निरीक्षण हेतु कौन-कौन सी तारीखों को गए तथा वहाँ बंदियों को क्या क्या आश्वासन दिये ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य मन्त्री के आश्वासनों की तामील न होने के कारण कारागृहों में हड़तालें चलीं ? यदि हाँ, तो कितने दिन ? और फिर किन के प्रयत्नों से जयपुर जेल की हड़ताल समाप्त हुई ?

(3) क्या यह सही है कि जयपुर जेल के बन्दियों ने 32 सूत्री माँग-पत्र राज्य सरकार को प्रस्तुत किया है ? यदि हाँ, तो उनकी क्या माँगें हैं ? उनमें से कौन-कौन सी माँग पर सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है ?

(4) क्या यह सही है कि कारागृह विभाग के प्रहरियों ने अपना एक संगठन माननीय राज्य मन्त्री के आश्वासन पर बना लिया है ? क्या राज्य सरकार इस अर्ध-सैनिक विभाग में ऐसा संगठन उचित समझती है ?

(5) क्या यह सही है कि जेल मन्त्री जी बन्दियों को विभाग के अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं ? और स्वयं ने शिकायतें लिखने के लिए एक रिम कागज सभी कैदियों को जयपुर कारागृह में बंटवायें ?

उत्तर

(1) केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर तथा केन्द्रीय कारागृह, जयपुर का निरीक्षण क्रमशः दिनांक 5-7-77 एवं 14-7-77 को किया गया था। मेरे समक्ष कुछ शिकायतें बन्दियों की ओर से प्रस्तुत की गई थीं, मैंने उनकी तत्काल जाँच कर आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया था।

जी नहीं।

(2) जी हाँ।

(3) माँगों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है, इन पर विचार किया जा रहा है।

(कारागृह मंत्री)

(4) जी नहीं। प्रहरियों का ऐसा संगठन गत दो वर्ष से चल रहा है। प्रहरियों के संगठन के औचित्य के बारे में सरकार विचार कर रही है।

(5) जी नहीं।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है:—

(1) श्री ताराचन्द, सदस्य विधान सभा की ओर से जिला भरतपुर के अन्तर्गत कस्बा रूपवास में हायर सेकेण्डरी स्कूल के प्रधानाध्यापक की कार्यवाहियों के कारण गत 3 सितम्बर से स्कूल में हो रही हड़ताल के विषय में।

इस प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(2) दिनांक 7 सितम्बर, 1977 को श्री खेतसिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से आयुर्वेद स्नातकों के घोषित वेतनमानों को लागू न करने के फलस्वरूप उनके द्वारा किये जा रहे सत्याग्रह व प्रदर्शन के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई थी।

मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार इस विषय पर दिनांक 14 सितम्बर, 1977 को सदन में एक वक्तव्य दे। स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : जब आपने कह दिया कि राज्य सरकार वक्तव्य दे तो फिर अस्वीकार कैसे हो गया ? वह तो अपने आप स्वीकार हो गया।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आज के लिए अस्वीकार किया है।

श्री उपाध्यक्ष : 14 तारीख को इस पर वक्तव्य होगा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री शंकरलाल (जेतारण) : परिवहन निगम के कर्मचारियों द्वारा भूख हड़ताल के बारे में मेरा 8 तारीख का स्थगन प्रस्ताव था। शासन ने व्यवस्था दी कि सरकार का वक्तव्य होगा। उस बारे में समझौता भी हो गया है। वह क्या समझौता हुआ है ?

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय ने कहलवाया है कि पूरे तथ्य प्राप्त नहीं हुए हैं। मैं उनसे कहूंगा कि शीघ्रातिशीघ्र वह पूरे तथ्य पेश करें।

श्री शंकरलाल : समझौता हो गया है ?

श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) : मेरा भी स्थगन प्रस्ताव था। आपने राज्य सरकार से जानकारी चाही थी। तो क्या एक दो दिन में नम्बर आएगा ? कोटपूतली का बहुत ही गम्भीर मसला है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि मुझसे चेम्बर में आकर सम्पर्क स्थापित करें।

श्री रामकरणसिंह : मैंने सदन के अन्दर कहा था कि यह गम्भीर मामला है। मैंने दो महीने पहले सरकार को सतर्क किया। उस सूचना के बाद अब स्थिति ऐसी उत्पन्न

(श्री रामकरणसिंह)
हो गई है कि बड़ा खिलवाड़ हुआ है, हजारों पशु और आदमी मर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूं। आप मुझसे चेम्बर में मिल कर जानकारी दें।

श्री मूलचन्द डागा : नियम 295 के तहत मेरा तनख्वाह के सम्बन्ध में सवाल है। यह सब सदस्यों का सवाल है। मुझे तनख्वाह मिलनी चाहिए, 14 जून से और वित्त मन्त्री तनख्वाह दे रहे हैं 22 जून से। पीपुल्स रिप्रेजेन्टेशन एक्ट की धारा 67 (ए) साफ कहती है :

"For purpose of this Act the date on which the result is declared by the Returning Officer"........

शर्माजी को 14 तारीख से डिक्लेयर किया है। सुराणा को 14 से डिक्लेयर किया है।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने इस बारे में कहा भी था।

श्री मूलचन्द डागा : विधि मन्त्री जवाब देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : देंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पिछले सोमवार को दिया था। मेरे क्षेत्र में 40 प्राइमरी स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें अध्यापक नहीं। अध्यक्ष महोदय, ने विश्वास दिलाया था कि इस पर निश्चित तौर से सामुदायिक विकास मन्त्री से वह निवेदन करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : मैं सम्बन्धित अधिकारी से जानकारी लूंगा। यदि अध्यक्ष महोदय ने जानकारी प्राप्त की है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप उनसे चेम्बर में आकर मिलें। अगर जानकारी प्राप्त हुई है तो आपको दूंगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : अध्यक्ष महोदय ने मेरे प्रस्ताव पर व्यवस्था दी थी कि जालौर जिले में सीमेंट की कमी के बारे में जानकारी मांगी जा रही है। लोगों में इस समय असन्तोष है। शायद जानकारी आ गई होगी।

श्री उपाध्यक्ष : आप चेम्बर में मुझसे मिल लें। अगर जानकारी आ गई होगी तो पेश कर दूंगा।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : सितम्बर को मेरा स्थगन प्रस्ताव था, वह बहुत ही महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव था। 15 अगस्त, 1977 को बाड़मेर नगर में सांस्कृतिक समारोह के अवसर पर रात के समय कुछ लोगों द्वारा गुण्डागर्दी की गई थी। उस अवसर पर कई युवकों और युवतियों के साथ गुण्डागर्दी की गयी थी। उसके सम्बन्ध में मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था। मेरा निवेदन है कि आप राज्य सरकार द्वारा जानकारी मंगाकर एक स्टेटमेन्ट दिलवा देवें तो ठीक रहेगा। उसके बारे में क्या हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें मैं माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि जानकारी चाहने के बारे में आप लोग मेरे से चेम्बर में आकर मिललें तो ठीक रहेगा। इससे सदन का समय भी बचेगा और आप लोगों को जानकारी

(श्री उपाध्यक्ष)

भी मिल जायगी। मैं यहां पर दस बजे आ जाता हूँ। मैं आप सभी माननीय सदस्यों से यह अपेक्षा करूंगा कि आप लोग इसमें मुझे अपना सहयोग प्रदान करेंगे। इससे आपकी कठिनाई भी हल हो जायगी और सदन के समय की भी काफी बचत होगी।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है। दिनांक 9 सितम्बर, 1977 की 'राजस्थान पत्रिका' के मुख पृष्ठ पर यह खबर छपी है कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने सदन में अपने भाषण में यह कहा; 'आप चिन्ता नहीं करें। मैं आपके साथ गृह मन्त्रीजी के पास चलूंगा।' उपाध्यक्ष महोदय, जब माननीय सदस्य श्री गणेशलाल बोल रहे थे नैनवा काण्ड के बारे में तब, उपाध्यक्ष महोदय, आप जिस पद पर सुशोभित हैं और जो आपके पद की गरिमा है उसको देखते हुए आपका गृह मन्त्री जी से मिलने जाना उपयुक्त नहीं है। आपको तो गृह मन्त्री जी को बुला कर अपने चेम्बर में बात करनी चाहिए। आपके बारे में यह लिखा जाना उचित नहीं है कि मैं आपके साथ गृह मन्त्री जी से मिल लूंगा। आपका सदन में यह कहना कि मैं गृह मन्त्री जी से मिलूंगा, सदन की स्वस्थ परम्पराओं के विपरीत होगा। आपको तो मेरा यह निवेदन है कि इस प्रकार की कार्यवाहियों के लिये गृह मन्त्री जी को चेम्बर में बुलाकर डांटना चाहिये। आप तो उनको बुलाकर अपने चेम्बर में डांटो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागा जी, आप भी वकील हैं और मैं भी वकील हूँ। आप को यह मालूम होना चाहिये कि मैंने यह कहा कि मैं आपके साथ मिल लूंगा; इसका मतलब यह नहीं कि मैं मन्त्री महोदय के घर जाकर या आफिस में जाकर मिलूंगा। मैं उनसे अपने चेम्बर में बुलाकर भी मिल सकता हूं। मेरे चेम्बर में बुलाकर मन्त्री महोदय से बातचीत कर सकता हूँ। इस सम्बन्ध में मैंने आपसे पहले ही कह दिया था और मैं खुद इस स्थिति को अच्छी तरह समझता हूं।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय; यह गलत बात कर रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : क्या गलत बात करते हैं, रतनलाल जी; यह भिनाय नहीं है यह विधान सभा है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : उपाध्यक्ष महोदय; मैंने एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव आपके सम्मुख रखा है जिसमें पी. एम. टी. की परीक्षा के बारे में निवेदन किया है कि उसमें गड़बड़ियां हुईं। उससे विश्वविद्यालय के अधिकारियों में खलबली मच गयी है। एक सूरजकुमारी व्यास पी० एम० टी० की परीक्षा में बैठी थी उसके बारे में क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य; स्थान ग्रहण करें। आपने जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया वह समय पर नहीं पहुँचा होगा इसलिये उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। आपको मालूम होना चाहिये कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव मेरे पास प्रातः साढ़े दस बजे तक मेरे चेम्बर में पहुँच जाना चाहिये। इस संबन्ध में पहले ही नियम निर्धारित किये हुए हैं। निर्धारित

(श्री उपाध्यक्ष)

नियमों में किसी प्रकार की फेर बदल आपकी असावधानी के कारण नहीं की जा सकती। आपको समय पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव देना चाहिये।

ध्यान आकर्षण प्रस्ताव।

श्री कौशल किशोर जैन प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत मेवाड़ टैक्सटाइल मिल्स, भीलवाड़ा में तालाबन्दी व मजदूरों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति की ओर श्रम मन्त्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। श्रम मन्त्री केदारनाथ एक वक्तव्य देंगे।

इस संबंध में निम्न सदस्यों ने भी ध्यान आकर्षण व स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है अतः उन्हें भी बोलने का अवसर दिया जायेगा। (1) श्री रामप्रसाद लढ्ढा, (2) श्री भैरूंलाल (3) शंकरलाल, (4) श्री रणजीतसिंह राठौड़, (5) श्री रघुनाथ विश्नोई, (6) श्रीमती सुमित्रासिंह; (7) श्री रिडमलसिंह, (8) श्री मूलचन्द डागा।

मैं माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस कार्य के अलावा भी अपना जो निर्धारित एजेन्डा है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके ऊपर भी कई माननीय सदस्य बोलेंगे और फिर बाद में वित्त मन्त्री महोदय अपना रिप्लाई प्रस्तुत करेंगे। यों तो इस ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर बोलने वालों की संख्या करीब 8-9 है अगर सभी सदस्य बोलेंगे तो मैं समझता हूं कि इसमें सदन का बहुत समय लगेगा। इससे हमारा निर्धारित एजेन्डा है उसमें काफी देरी होने की सम्भावना है इसलिये मेरा माननीय सदस्यों से यह निवेदन है कि सभी 8-9 सदस्य नहीं बोलें। मैं यह चाहता हूं कि मुख्य मुख्य दलों की ओर से एक एक सदस्य बोलें। जिन सदस्यों ने प्रस्ताव मूव किया है वह आपस में तय कर लें। इसमें एक बात यह भी है कि अगर किसी सदस्य के पास कुछ अधिक जानकारी हो तो वह अपने दल के बोलने वाले सदस्य को बता दें। इससे सदन का समय भी बचेगा और पूरी जानकारी भी आ जायेगी।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस स्थगन प्रस्ताव को सबसे पहले मैंने इस सचिवालय में पेश किया था। मैं लगातार चार दिन से इसकी पैरवी करता रहा हूं। पर मेरा यह दुर्भाग्य है कि मेरा नाम इस ध्यान आकर्षण प्रस्ताव को देने वालों की लिस्ट में सबसे पीछे लिखा हुआ है। आपके सचिवालय ने ऐसा किया है। यह आपके यहां का क्या प्रोसिजर है कि पहले जो प्रस्ताव दे उसका नाम पीछे दें और जो पैरवी नहीं करे उसका नाम पहले दें? इसके साथ ही मेरा एक निवेदन ह भी है कि इस पर सत्तारूढ़ दल वालों को तो बोलने नहीं दिया जाय। क्योंकि सत्तारूढ़ दल की तरफ से तो मन्त्री महोदय जवाब देंगे ही। बाकी कांग्रेस और विरोधी दल वाले कोई और बोलना चाहें तो उनको सात बजे तक बोलने दिया जाय। फिर कल वित्त मन्त्री जी अपना जवाब दे दें तो उचित रहेगा।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें तथा शान्त रहें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय; मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, आप हमें जरा यह बताने का कष्ट करें कि कब तो वित्त मन्त्री जी का रिप्लाई होगा और

कब मुख्य मन्त्री जी इसमें इन्टरवीन करेंगे ? अगर समय का पता लग जाये तो सभी के लिये सहूलियत रहेगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मुख्य मन्त्री जी कितने बजे इन्टरवीन करेंगे, यह तो मुख्य मन्त्री जी की इच्छा पर निर्भर है। वह चाहेंगे तब इन्टरविन करेंगे। वित्त मन्त्री जी आज मध्याह्न पश्चात् बजट पर वादविवाद पर रिप्लाई प्रस्तुत करेंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : फिर भी पता तो लग जाये कि मुख्य मन्त्री जी चार बजे, पांच बजे, छः बजे इन्टरवीन करेंगे और वित्त मन्त्री जी कितने बजे अपना रिप्लाई करेंगे ?

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि सभी माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जाय। यह भी मेरा नम्र निवेदन है कि सदन का समय बढ़ाया जाय। मैं आपको पिछले चार रोज से लगातार प्रार्थना कर रहा हूं। आप मुझे बोलने का समय दें तो आपकी बड़ी महती कृपा होगी। मेरा तो आपसे यह नम्रतापूर्वक निवेदन है कि आप दस-दस मिनट सभी विरोधी पक्ष के सदस्यों को दें। आज शाम सात बजे तक सभी सदस्य बोल लें,जैसा कि मैंने पहले विवेदन किया, आज शाम तक हम बोल लें और कल वित्त मन्त्री जी अपना रिप्लाई सदन में दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : डागाजी आप की स्थिति बहुत ही घाटे की है क्योंकि आप को बोलने का समय आपके दल के दूसरे सदस्यों ने कन्जूम कर लिया है। उसके अनुसार आप तो घाटे में ही रहेंगे। सदन में पहले ही समय का बंटवारा किया जा चुका था। अब उसमें मैं क्या कर सकता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : मैं नम्रतापूर्वक प्रार्थना कर रहा हूं ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री कौशलकिशोर : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव।

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत मेवाड़ टैक्सटाइल....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। स्थान ग्रहण करें।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले यह कहा था कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में आप लोग मुझे सहयोग प्रदान करें और आपने सुझाव दिया कि एक सदस्य एक पार्टी के बोल लें। इसमें मेरा यह निवेदन है कि वैसे तो सभी सदस्य, जिन्होंने यह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव या इसे स्थगन प्रस्ताव के रूप में पेश किया है, बोलने के अधिकारी हैं लेकिन सदन के समय की बचत के लिये अगर पहले सम्बन्धित मन्त्री महोदय अपना स्टेटमेन्ट दे दें फिर जिन-जिन लोगों ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया है वह कोई क्वेरी करना चाहें तो प्रश्न पूछ लें तो इससे काफी सदन के समय की बचत हो सकती है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : डागाजी अभी आपने यह कहा कि यह मेरा दुर्भाग्य है। आपसे मेरी पूरी सहानुभूति है किन्तु दुर्भाग्य की बात आप कहां तक करेंगे।

यह रोना तो आप छोड़ो। यह तो आपके दल को ग्रसित किये हुये है। उसकी कार्यवाहियों के लिये आपको रोना पड़ रहा है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : रोना तो आपको भी पड़ सकता है। पहले आप रोते थे....

(व्यवधान)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स, भीलवाड़ा में तालाबन्दी व मजदूरों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, शान्त रहें, स्थान ग्रहण करें।

श्री कौशल किशोर जैन।

श्री कौशल किशोर जैन : उपाध्यक्ष महोदय, यह मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। डागा जो बीच में बोल रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स, भीलवाड़ा में तालाबन्दी व मजदूरों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति की ओर श्रम मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूँ।

श्री मूलचन्द डागा : गृह मंत्रीजी, श्रम मंत्रीजी पहले ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का जवाब दे दें। अभी तो उनका जवाब ही नहीं आया है। आप क्या बोल रहे हैं। कौशलकिशोरजी, मैं आपका मददगार हूं। पहले उनको स्टेटमेन्ट देने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्रम मंत्रीजी।

श्री केदारनाथ (श्रम मंत्री) : मेवाड़ टेक्सटाइल मिल, भीलवाड़ा के मैनेजमेंट को दिनांक 13 जुलाई, 1977 को जनता मिल मजदूर संघ की तरफ से एक नोटिस दिया गया कि मिल में कार्य करने वाले मजदूरों का विगत दो वर्षों का बोनस नहीं दिया गया है अतः मजदूरों को दो वर्षों का बोनस 30 प्रतिशत के हिसाब से प्रति वर्ष अविलम्ब दिया जावे। यह नोटिस 20 दिन का था। दिनांक 2-8-77 से श्रमिकों ने मिल में पूरा काम करने के बजाय आधा काम शुरू कर दिया। दिनांक 27-8-77 तक मजदूरों ने आधा काम ही चालू रखा। मैनेजमेंट ने सोचा कि मिल की तालाबन्दी कर दी जावे। इसकी सूचना मजदूरों को हो गई अतः मजदूरों ने यह निर्णय कर लिया कि दूसरी पारी के मजदूर जब तक अन्दर नहीं चले जावें तब तक पहली पारी के मजदूर बाहर नहीं आवें। दिनांक 28-8-77 को सुबह 7 बजे मिल मैनेजमेंट ने तालाबन्दी का नोटिस गेट पर लगा दिया लेकिन उस दिन इस शिफ्ट के 180 मजदूर बाहर नहीं निकले। उस दिन प्रथम पारी के 200 मजदूर गेट कीपर को धक्का देकर मिल में घुस गये तथा अन्य मिल मजदूर मिल के बाहर नारे लगाते रहे और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। दिन में 3 बजे वाली शिफ्ट खत्म होने के पश्चात् साइड वाले गेट से मजदूर औरतें बाहर निकाली जा रही थीं। उस समय दूसरी पारी के मजदूर, जो गेट के बाहर खड़े थे, अन्दर घुसने की कोशिश करने लगे। कुछ लोग फाटक के बाहर खड़े थे वे अन्दर घुसने की कोशिश करने लगे। कुछ लोग फाटक के बीच खड़े हो गये। कुछ लोगों ने किवाड़ पकड़े रखे। मैनेजमेंट के व्यक्तियों द्वारा गेट बन्द करने का प्रयास किया जाने लगा। इससे सारा वातावरण अशांत हो गया। पुलिस ने शांति भंग होने से रोकने की कोशिश की तो बाहर खड़े मजदूरों ने पुलिस

(श्री केदारनाथ)

पर पथराव करना शुरू कर दिया। पुलिस की एक जीप के कांच भी फोड़ दिये व मोटर साईकिल को नीचे गिरा कर आग लगाने का प्रयास किया व नुकसान पहुँचाया। इसके साथ ही जब बाहर से मजदूर पुलिस पर पथराव कर रहे थे मिल के अन्दर के मजदूरों ने भी पुलिस पर पीछे से पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। दोनों तरफ से पथराव होने से 12 पुलिस कर्मचारियों को चोटें आई और काफी मजदूर जबरन मिल में घुस गए। अतः पुलिस ने आत्म रक्षा के लिए न्यूनतम बल प्रयोग से उग्र भीड़ को पीछे हटाया। इस प्रकार मजदूरों के आगे बढ़ने से तथा पुलिस द्वारा उन्हें पीछे हटाने से पुलिस के कहने के अनुसार दो मजदूरों को मामूली चोटें आई तथा स्थिति को बड़ी मुश्किल से नियंत्रण में किया। उस दिन 9 मजदूरों ने अपनी चोटों का मुआयना कराया है तथा 24 घन्टे बाद 4 मजदूरों ने फिर अपनी चोटों का मुआयना कराया है। मजदूरों के आह्वान पर दिनांक 30-8-77 को भीलवाड़ा बन्द रखा गया था लेकिन पूर्ण शांति और व्यवस्था कायम रही।

मान्यवर, इस मंत्रिमंडल के बनने के बाद अनेक मिलों के लोक आउट खुलवाये व हड़तालें वापस हुई। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम कोशिश के बावजूद उस मिल में आपस में समझौता नहीं करा पाये और लोक आउट को नहीं खुलवा पाये। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर पूरी डिबेट कीजिये। मैं मजदूर कम्युनिटी और जनरल इन्ट्रेस्ट में काम करने के तरीके में विश्वास करता हूं। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि जनता मजदूर संघ शीघ्र ही काम पर वापस आ जावेगा।

श्री कौशलकिशोर जैन (भीलवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो जानकारी माननीय गृह मंत्रीजी ने सदन के सामने रखी है उससे मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ है। मैं उसके बारे में अपनी जानकारी निवेदन करना चाहूंगा। यह तथ्य है कि 13 जुलाई को जनता मजदूर संघ, भीलवाड़ा ने हड़ताल का नोटिस दिया और 2 अगस्त से हाफ प्रोडक्शन का एक आन्दोलन मेवाड़ टैक्सटाइल मिल्स में चलाया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मजदूर क्या चाहते थे? मजदूरों की दो मांगें थीं, एक तो थी 1975-76 को बोनस की और दूसरी मांग थी, तीन साल से मेवाड़ टैक्सटाइल मिल्स में 500 मजदूरों से 5 रुपया प्रतिदिन पर काम कराया जा रहा है अप्रेन्टिस के रूप में जब कि टैक्सटाइल एक्ट के अनुसार 6 महीने से अधिक अप्रेन्टिस नहीं रखा जा सकता। मेवाड़ टैक्सटाइल मिल्स में तीन साल से अप्रेन्टिस चल रहे हैं। मजदूरों के धैर्य की भी कोई सीमा होती है। मैनेजमेन्ट को हड़ताल का नोटिस दिया। 2 तारीख तक, मैं निवेदन करना चाहता हूं, बार-बार यह कहा गया कि 1975 का बोनस मांगने का मजदूरों को हक नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1972 में मेवाड़ टैक्सटाइल मिल को 1,05,242 रुपये का मुनाफा हुआ; 1973 में 7,31,428 रुपये का मुनाफा हुआ और 1974 के अन्दर 6,87,467 रुपये का लाभ हुआ। 1972, 1973 और 1974 इन तीनों सालों के अन्दर 13,24,137 रुपये का मेवाड़ टैक्सटाइल मिल्स को

(श्री कौशल किशोर जैन)

मुनाफा हुआ। मिल का मैनेजमेन्ट और मालिक बार-बार यह कहते हैं कि 1975 का बोनस हम नहीं दे सकते हैं। स्थिति यह है कि 1972, 1973 और 1974 का बोनस का रुपया मैनेजमेन्ट को बचा है। 1975 का बोनस मजदूरों को देना होगा।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि भीलवाड़ा स्पिनिंग मिल्स ने 1975 का शत-प्रतिशत बोनस अपने मजदूरों को दिया है। जब स्पिनिंग मिल्स के मजदूर शत प्रतिशत बोनस पाते हैं तो फिर मेवाड़ टैक्सटाइल मिल्स के मजदूरों को बोनस पाने का हक क्यों नहीं है ? 7 तारीख को पंचायत मन्त्री वहां पर पधारते हैं। मुझे यह कहते हुए बड़ा दुःख होता है, मजदूरों ने बड़ी शान्ति के साथ अपनी बात रखी, सरकार को बार बार निवेदन किया कि भीलवाड़ा के मजदूरों को न्याय दिलाया जाय, भीलवाड़ा के मजदूरों को बोनस दिलाया जाय; भीलवाड़ा के जो मजदूर अस्थायी हैं उनको स्थायी किया जाय। माननीय पंचायत मन्त्री जी ने आश्वासन दिया किन्तु वे जयपुर आकर भूल गये। 15 अगस्त को जब सारा देश स्वतन्त्रता दिवस मना रहा था; माननीय उद्योग मन्त्री जी श्री त्रिलोकचन्द जी भीलवाड़ा आये। मेवाड़ टैक्सटाइल मिल्स मजदूरों ने पूरी बात उनके सामने रखी। उन्होंने मजदूरों को आश्वासन दिया कि आपकी मांगों को राजस्थान सरकार के सामने रखूंगा। राजस्थान सरकार को हस्तक्षेप करके मैनेजमेन्ट और मिल मालिकों को इस बात के लिये मजबूर किया जाना चाहिये था कि मजदूरों के साथ न्याय किया जाय किन्तु मैं निवेदन करना चाहूंगा कि दुबारा कहा लेकिन 15 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक कुछ नहीं किया। 28 अगस्त को रक्षा बन्धन का दिन था। बहिनें अपने भाइयों की कलाइयों पर राखियां बांध रही थीं और मेवाड़ टैक्सटाइल मिल्स के 3 हजार मजदूर, जिनके परिवार के कुल मिला कर 15 हजार मनुष्य होते हैं, अपनी बहिनों से अपनी कलाइयों पर राखियां नहीं बंधवा सके। घर पर बैठे थे 28 तारीख को बन्द करना था। 29 तारीख को 7 बजे प्रातः काल मिल के बाहर बोर्ड लगा दिया कि अनिश्चित काल के लिए मेवाड़ टैक्सटाइल मिल्स को बन्द कर दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं माननीय श्रम मन्त्री जी से कि मैनेजमेन्ट को क्या अधिकार था इसका ? पहले सरकार को पूर्ण नोटिस दिया जाता और फिर मिल बन्द करना चाहिये था। सरकार को पूर्ण नोटिस नहीं दिया गया। 3॥ बजे पहली पारी बन्द हो गयी। माननीय श्रम मन्त्री जी फर्माते हैं कि दूसरी पारी में अन्दर घुसना चाहते थे मजदूर। मजदूरों ने तय कर लिया था, कि पहले अंदर वाले बाहर आवेंगे तब बाहर वाले अंदर जावेंगे। यह बिल्कुल गलत बात है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अन्दर बैठे हुए मजदूरों ने निर्णय किया था। यह सत्य है कि यह निर्णय लिया था कि कोई बाहर नहीं जायेगा। किन्तु यह भी निर्णय लिया था कि जो महिला मजदूर हैं उनको बाहर निकाल दिया जाये। उनकी सुरक्षा के लिए उनको बाहर रखा जाये। उनको बाहर निकालने के लिए जब मजदूर गेट पर खड़े थे और महिला मजदूरों को बाहर निकालने की चेष्टा कर रहे थे तब कोई हिंसा नहीं

(श्री कौशल किशोर जैन)

हुई थी, कोई तोड़-फोड़ नहीं हुई थी। उस समय ए० डी० एम० वहां पर मौजूद था, सिटी मजिस्ट्रेट वहां मौजूद था। फिर मैं पूछना चाहता हूं कि वहां पर भीलवाड़ा की पुलिस ने लाठी चार्ज किस की अनुमति से किया ? क्या पुलिस ने अपने आप लाठी चार्ज किया ? क्या सिटी मजिस्ट्रेट ने आज्ञा दी ? क्या ए० डी० एम ने आज्ञा दी ? अन्दर की महिलाएं बाहर आ रही थीं। उनको बाहर निकालने में लोग लगे हुए थे। उनको बाहर नहीं निकालें इसलिए पुलिस ने लाठी चार्ज किया। अन्दर भी लाठी चार्ज महिलाओं पर और पुरुषों पर किया गया और बाहर भी लाठी चार्ज किया गया। मैं भीलवाड़ा दो तीन बार गया था। गोपी नाम की महिला, जो कि 30 वर्ष की थी, को पुलिस ने अन्दर से घसीटा। एक बार नहीं बल्कि बार बार घसीटा। उसको डंडे लगाये गये और जिस समय मैं उसके घर गया तो उसकी हालत उठने लायक नहीं थी। दो दिन के बाद श्रम मंत्रीजी से मैं मिला। यह बताया गया कि 12 पुलिसमैन घायल हुए। भीलवाड़ा अस्पताल के अन्दर जब मैं गया तो देखा कि एक भी पुलिसमैन भर्ती नहीं हुआ।

दूसरी ओर चार मजदूरों का मैं नाम बताना चाहता हूं-श्री किशनसिंह, मोहम्मद सलीम, श्री भंवरसिंह और श्री रामस्वरूप-यह चारों लोग अस्पताल में भर्ती रहे। मैं इनसे अस्पताल में मिलकर आया हूं। उनको काफी दर्द गर्दन पर था। भगवान ने उनकी गर्दन किसी प्रकार बचाई। इसके अलावा 18 मजदूर और घायल हुए। 18 और 4 इस प्रकार से 22 मजदूर घायल हुए। लाठियां कितने मजदूरों को लगीं इसका मुझे मालूम नहीं लेकिन मेरा अन्दाजा यह है कि करीब 100 मजदूरों को लाठियां लगीं। जब मैं जिलाधीश से मिला तो मैंने पूछा कि क्या आपने लाठी चार्ज की आज्ञा दी तो उन्होंने मना कर दिया। इसी तरह से ए० डी०एम० और सिटी मजिस्ट्रेट से पूछा तो उन्होंने भी मना कर दिया। तो आखिर लाठी चार्ज की आज्ञा किसने दी ? वहां पर लाठी चार्ज एक बार नहीं दो बार हुआ। गेट के अन्दर लाठी चार्ज हुआ, बाहर हुआ और जब मजदूर रेल्वे लाइन पर चल रहे थे तब कलेक्टरी से 100 जवान ट्रक में बैठकर आये, घुड़सवार आये और फिर बेरहमी से लाठी चार्ज किया गया। आखिर घुड़सवारों को क्यों बुलाया गया ? जवानों से भरा ट्रक किस नियत से आया ? मजदूर मिल की तरफ मुंह किये बैठे थे और पीछे से आकर उनके ऊपर प्रहार किया गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्रम मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि 29 तारीख को जनता मजदूर संघ ने भीलवाड़ा बन्द का आह्वान किया और मजदूरों ने प्रदर्शन किया। 6 तारीख से आज मजदूर साथी भूख हड़ताल पर हैं। आज 8 दिन हो गए हैं। उनकी हालत खराब हो गयी। सारा भीलवाड़ा अशान्त है। मेरे पास कल भी तार आया है कि श्री आलम नूर, जो कि मजदूर साथी हैं, का जीवन खतरे में है। भीलवाड़ा की शांति खतरे में है। मुझे बड़ा दुःख है कि मेरी सरकार है लेकिन मैं तो यह समझता था कि कांग्रेस की हुकूमत के साथ····

श्री मूलचन्द डागा : मेरी सरकार के दो मतलब होते हैं।

श्री कौशल किशोर जैन : मुझे बोलने दीजिये।

श्री मूलचन्द डागा : मेरी सरकार के दो मतलब होते हैं।

श्री कौशल किशोर जैन : मैं तो यह सोचता था कि जनता पार्टी की सरकार में मजदूरों को न्याय मिलेगा लेकिन आज भी मजदूर बोनस मांगते हैं तो सरकार लाठी देना चाहती है। आखिर सरकार लाठियों से कब तक जवाब देगी ?

फिर मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि 6 तारीख से मजदूर अनशन पर हैं। आज 12 तारीख हो गई है इसलिए मेरा निवेदन है कि स्थिति बिगड़नी नहीं चाहिये। मैंने बार-बार श्रम मन्त्री जी से निवेदन किया, मुख्य मन्त्री जी से भी मिला। मैं निवेदन कर रहा हूं कि मिल मालिक अपनी बात पर अड़े हुए हैं। वह बोनस नहीं देना चाहते, वह मजदूरों को स्थाई नहीं करना चाहते हैं, वह हड़ताल के पीरियड का वेतन नहीं देना चाहते हैं। मैं पुन: निवेदन करूंगा कि कानून और व्यवस्था के लिए और भीलवाड़ा की शान्ति के लिए अगर सेठ तैयार नहीं होता तो औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत, इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के सैक्शन 10 के अनुसार राज्य सरकार को अधिकार है, यदि पक्षधारी सहमत नहीं हों तो प्रतिष्ठान को अपने अधिकार में लेकर स्वयं राज्य सरकार को उद्योग को चलाने का अधिकार है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मिल की तालाबन्दी खुलना अनिवार्य है। सेठ जी नहीं मानते, मजदूर नहीं मानते तो सरकार का दायित्व है कि वह तालाबन्दी खुलवाये, मजदूरों को एक महीने का वेतन दिलवाये, चाहे एडवान्स दिलाये और सरकार मिल को चलाये। भीलवाड़ा मिल की तालाबन्दी खुलनी चाहिये। 3 हजार मजदूर बेकार बैठे हुए हैं, 15 हजार लोग उनके ऊपर आश्रित हैं। 10 तारीख को उनको वेतन मिलना था और आज 1 महीना 8 दिन हो गये, भीलवाड़ा का मजदूर भूखा है। मैं फिर निवेदन करूंगा कि तालाबन्दी खुलवाने के लिए सरकार प्रयास करे, हस्तक्षेप करे और 29 तारीख को हुए लाठी चार्ज की इन्क्वायरी कराये कि उसमें कौन-कौन जख्मी हुए, पुलिस वाले कितने जख्मी हुए और मजदूर कितने जख्मी हुए ? पुलिस वाले यदि जख्मी हुए तो अस्पताल क्यों नहीं भर्ती हुए ? लाठी चार्ज किसकी आज्ञा से किया गया ? क्या सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा ? क्या ए. डी. एम. ने कहा ? इसकी सरकार जांच करे और तुरन्त हस्तक्षेप कर इस सारे मामले में सरकार प्रभावी कदम उठाये। मेरा निवेदन है कि अगर सरकार हस्तक्षेप करती और थोड़ा जागरूक रहती तो शायद यह हड़ताल इतनी लम्बी नहीं चलती। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह बहुत महत्व का मसला है, राजस्थान के मजदूरों के हितों का सवाल है। माननीय श्रम मन्त्री जी इस बारे में अपनी स्पष्ट नीति घोषित करें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भीलवाड़ा जिले का सवाल है। मैं भी इस जिले का प्रतिनिधित्व करता हूं इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि मैं भी कुछ निवेदन करूं। भीलवाड़ा जिले में इस बात को लेकर अशांति का वातावरण पैदा हो रहा है। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा…

श्री उपाध्यक्ष : आपकी जिम्मेदारी कौशल जी ने निभा दी है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : थोड़ी सी बातों की कमी रह गयी उनको पूरा करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में कह दें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : तालाबन्दी जो मैनेजमेन्ट की तरफ से हुई हैं वह गलत हुई है। तालाबन्दी के पहले मजदूरों को नोटिस देना चाहिये था लेकिन वह नोटिस सेठों की तरफ से नहीं आकर मैनेजर की तरफ से दिया गया जब कि मैनेजर को तालाबन्दी का नोटिस देने का कोई अधिकार नहीं है। इसके बाद मिल मैनेजमेन्ट की जवाबदेही थी कि वह मीटिंग करते लेकिन इस दौरान बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स की मीटिंग नहीं हुई। इस प्रकार से जो भी व्यवस्था मैनेजमेन्ट की तरफ से की गई वह बिलकुल गलत थी और अवैधानिक थी। इस संबंध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि तालाबन्दी तुरन्त समाप्त हो। आज भीलवाड़ा जिले के अन्दर अशांति का वातावरण है। दूसरे कामों के लिए जब हम एस. पी. से मिलते हैं या कलेक्टर से मिलते हैं तो वह कहते हैं कि मिल की व्यवस्था में लगे हुए हैं....

श्री उपाध्यक्ष : यह सब कह चुके हैं कौशल किशोर जी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हम जिले की दूसरी व्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं कि हमारी सारी व्यवस्था मिल के ऊपर लगी हुई है। भीलवाड़ा जिले की शांति खतरे में है। ऐसी स्थिति में मैं आपके माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से और जनता पार्टी की सरकार से निवेदन करूंगा कि इस मामले में पहल करें और जल्दी से जल्दी झगड़े को निपटाये और तालाबन्दी समाप्त करायें।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधिक भाषण न करके कुछ मुद्दे माननीय मंत्री महोदय के सामने रखूंगा विस्तृत रूप से श्री डागाजी आपके सामने रखेंगे।

पहला मुद्दा तो यह है; माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि 30 प्रतिशत बोनस का विवाद है। वह 30 प्रतिशत के बोनस का नहीं 64 प्रतिशत की बात है।

दूसरी बात वे स्पष्ट करेंगे कि जो जनता मिल मजदूर संघ है जिसने नोटिस दिया है, जिसने हड़ताल का आह्वान किया है जो मजदूरों के हितों की बात है क्या यह बात सही है कि यह ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं है? जो संस्था रजिस्टर्ड नहीं है उसको इस प्रकार से हड़ताल के आह्वान का कोई हक नहीं है। इसके बारे में गृह मंत्री जी स्पष्ट करें।

तीसरा मुद्दा यह है, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने बताया कि वहां पर 100 मजदूर घायल हो गये और गृह मंत्री ने बताया कि 9 घायल हुये हैं। 100 मजदूर घायल हुए या 9? गृह मंत्रीजी इसको स्पष्ट करें।

चौथी बात यह है; यह कहा गया है कि पुलिस के लोगों को चोटें आईं और उन्होंने आत्म रक्षा के अन्दर लाठी चार्ज किया। मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि पुलिस ने मजदूरों के ऊपर प्रहार किया। अतिक्रमणकारी और आक्रमणकारी कौन थे? इसका भी स्पष्टीकरण करें।

पांचवी बात यह है; सात तारीख को माननीय मंत्रीजी कैलाश मेघवाल यहां

(श्री शंकरलाल)

पधारे थे। उन्होंने आश्वासन दिया या नहीं दिया ? क्या यह सही है कि जब कैलाश मेघवालजी वहां 7 अगस्त को पधारे थे तब जनता मिल मजदूर के लोगों ने "गृह मंत्री प्रोफेसर केदार मुर्दाबाद" के नारे लगाये थे और इसके कारण वहां तनावपूर्ण स्थिति पैदा हुई ? राजनैतिक दृष्टि से, जनता पार्टी का राज आ गया, क्या उसके नाम से जो भी पार्टी हो, उसको लोगों को आह्वान करके अव्यवस्था पैदा करने का हक है ? रक्षा बन्धन पर जब कि सब जगह छुट्टी होती है, सबने कहा कि छुट्टी रखेंगे, जनता मिल मजदूर संघ के लोगों ने कहा कि हम छुट्टी नहीं रखेंगे। रक्षा बन्धन के रोज सिर्फ 400 मजदूर आये। बाकी दो हजार से ज्यादा एबसेंट थे। इसलिये ज्यादा समर्थन उन लोगों के साथ था, जनता मिल मजदूर संघ के लोगों के साथ नहीं था। इसका भी गृह मंत्रीजी स्पष्टीकरण करें कि क्या उस दिन केवल 400 मजदूर ही गये ?

इसके बाद माननीय गृह मंत्रीजी इस बात का जवाब दें कि जब भारत सरकार बोनस एक्ट की घोषणा कर चुकी है तो उसके तहत आप क्या चाहते हैं ? आप अपनी नीति स्पष्ट करिये कि मजदूरों की बात कितनी उचित समझते हैं ? अपने अधिकारों के लिये मिल मजदूरों ने हड़ताल की। 30 तारीख को जब भीलवाड़ा बन्द का आह्वान किया गया। उससे मजदूरों की हड़ताल हो नहीं हुई भीलवाड़ा में जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया वहां की दुकानों को लूटा गया। जबरदस्ती दुकानें बन्द करवाई गई। आखिर क्या है ? प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। मिल मालिकों और मजदूरों के बीच में झगड़ा हुआ उससे भीलवाड़ा जैसे शहर में सारा जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया। सरकार कहती है हमारी पुलिस को पीटा गया। उधर मजदूर कहते हैं हमको पीटा गया। आप पूरी स्थिति स्पष्ट करें। तालाबन्दी कब समाप्त करने का इरादा है ?

एक माननीय सदस्य : आप स्वयं सेठजी को जानते हैं ?

श्री शंकरलाल : न सेठजी को जानता हूं न और किसी को।

(व्यवधान)

श्री गुलचन्द डागा (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट के हाथ लम्बे होते हैं और वकीलों के हाथ उससे ज्यादा लम्बे होते हैं लेकिन कानून तोड़ने वालों के हाथ उससे भी ज्यादा लम्बे होते हैं; श्रीमान, कृपा कर यह बताइये कि ट्रेड यूनियन एक्ट के अन्तर्गत, जो एक्ट बना हुआ है उस एक्ट के अन्तर्गत कोई मजदूर की संस्था रजिस्टर्ड न हो और फिर भी आगे बढ़ जाये तो आपके कौशल किशोरजी की जनता पार्टी ने या श्रम मंत्री ने उसकी पीठ को थपथपाया या नहीं कि इतनी बहादुरी का काम किया ? इसका आप उत्तर दीजिये। कौशल किशोर जैसे युवा हैं, जो मजदूरों के पक्के हितैषी हैं इस प्रकार की कार्यवाही करने के लिये मैं तो उनको शाबाशी देता ही हूं लेकिन क्या श्रम मंत्रालय के कमिश्नर साहब ने और हमारे श्रम मंत्री ने, इस प्रकार का जो कानून है····

श्री कौशल किशोर जैन : आपके सर्टीफिकेट की आवश्यकता नहीं।

Page No 35

(35)

श्री मूलचन्द डागा : यह तो हमारा काम है।

श्री उपाध्यक्ष : डागा जी, आप अपनी स्पीच जारी रखें।

श्री मूलचन्द डागा : ट्रेड यूनियन के अन्तर्गत उस संस्था ने 65.9 प्रतिशत बोनस की मांग की है। आपको मजदूर क्षेत्र में काम करने का अवसर नहीं मिला नया मुल्ला ही बांग देता है। बोनस के लिये मजदूरों को उकसाया जाता है। क्या आप देश में अशांति पैदा करना चाहते हैं ? इसका श्रम मन्त्री उत्तर दें। मुझे बतायें श्रम मन्त्री जी, आप पुलिस मन्त्री भी हैं, क्या आप यह बात ठीक समझते हैं कि कानून को हाथ में लेकर वे इस प्रकार की बात करें माननीय मन्त्री जी कैलाश मेघवाल वहां पर चले गये। वे तो कानून के जानने वाले थे। इसके अलावा क्या श्रम मन्त्री जी इसका जवाब देंगे कि मजदूरों का श्रम मन्त्री में विश्वास नहीं है ? श्रम मंत्री के खिलाफ आरोप है कि रजिस्टर्ड यूनियन को प्रोत्साहन देना नहीं चाहते। मैं जनता सरकार पर इस प्रकार का लांछन लगाता हूं कि जो संघ रजिस्टर्ड नहीं है उसको कानून को बनाये रखने के लिये नहीं, कानून को तोड़ने में मदद देते हैं, उकसाते हैं। तालाबन्दी किसके अन्तर्गत कर ली सेठजी ने ? क्या आपके पास नोटिस आया ? श्रम मंत्री महोदय इसका जवाब दें। यह श्रम मन्त्रालय निकम्मा हो सकता है। आप कानून के अनुसार उस मिल को देखें, सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट का कानून है कि कोई भी चलती हुई मिल सरकार की बिना इजाजत के तालाबन्दी नहीं कर सकता। अब या तो आप को खुलवानी चाहिये तालाबन्दी या सरकार उस मिल को हाथ में ले ले। लेकिन मजदूरों के हित और अहित का सवाल कहां है। यहां तो जनता पार्टी के मिनिस्टर घिरे हुए हैं और आपसी टकराव में लगे हुए हैं। नेनवा में सिर फट गये। मजदूर हिम्मत करके हड़ताल पर बैठेगा। लेकिन यह मिल के एक मजदूर का सवाल नहीं है। एक मर गया तो कौन बैठेगा? एक बेचारा मर गया वह, याद नहीं नाम...

श्री एच० एन० शर्मा : आलमनूर।

श्री मूलचन्द डागा : हां, उस बेचारे के रोजे के दिन थे।

श्री एच० एन० शर्मा : अनार आपको कहां से याद आ रही है ?

श्री मूल चन्द डागा : उसको कह दिया अब कल तुम बैठो हड़ताल पर। उस बेचारे को हड़ताल पर बैठे सात दिन हो गये, हालत खराब है। वह मजदूर नहीं है मेवाड़ टेक्सटाइल मिल का। एक आदमी की हड़ताल के कारण हालत खराब हो रही है, उसकी हालत चिन्ताजनक हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं श्रम मंत्री महोदय से कि कानून को तोड़ने वाले को क्या यह सरकार प्रोत्साहन देना चाहती है अपना राजनीतिक प्रभाव जमाने के लिये ताकि आराम से सोयें और एक छत्र राज्य करें। क्या यही उद्देश्य था और क्या इसलिये आपने यह किया ? आपके चेहरे पर क्या भाव है ? हमारे उपाध्यक्ष महोदय बैठे है, वे भी भीलवाड़ा के हैं। वे भी मौन हैं। आप कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ क्या करेंगे ? क्या आपके लेबर कमिश्नर ने संघ से पूछा ? क्या आपके डिप्टी लेबर कमिश्नर ने वहां जाकर यह

(श्री मूलचन्द डागा)

नोटिस दिया कि यह काम गलत है ? आपका श्रम मंत्रालय निष्क्रिय हो गया है इधर लड़ाई मजदूरों की करवाई उधर तालाबन्दी करवाई। भूखों मरे मजदूर और संघ का नाम हो, इस प्रकार राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। कौशल किशोर जी जैसे नवयुवक वहां फंस गये। इसलिये मैं चाहता हूं मेरे चार प्रश्नों का जवाब दें। श्रम मंत्रालय ने कान्सिलियेशन प्रोसीडिंग्स चालू क्यों नहीं की, जब कि मेमोरेन्डम दे दिया गया था ? अगर वह फेल हो गई है तो यह मामला आपको ट्रिब्यूनल को रेफर करना चाहिये या आप इसका उत्तर दें। दूसरा प्रश्न यह है जो अनरजिस्टर्ड यूनियन है उसकी हरकत यह है कि भड़काने का काम कर रही है मुझे नारा याद आ गया। वहां प्रोफेसर केदार हाय हाय के नारे लगाये गये। डाबरिया जैसा आदमी वहां फंस गया।

श्री कौशल किशोर जैन : आप गलत बयानी कर रहे हैं।

श्री उमराव सिंह डाबरिया ; आपने खुद ने नारे लगाये.......

(व्यवधान)

हाय हाय के नारे तो आपने ही लगाये थे

श्री मूल चन्द डागा : धन्यवाद। आप तो यही कहोगे। हम यह कहते हैं जीते रहो लास्ट समय तक।

श्री एच० एन० शर्मा : हम तो सक्षम हैं अपने आप में, नारे क्यों लगायेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : इस प्रकार गलत काम करने वाले और यहां काल अटेन्शन मोशन लाने वाले आप लोग ही हैं। इस तरह श्रम मन्त्री जी यह तो आप पर लांछन होगा कि भारतीय मजदूर संघ को किस तरह फैलाया जाय। जो कानून की बात जाने नहीं, जिन्होंने मजदूरों में कभी काम किया नहीं वे एकदम सीधे सीधे अन्दर घुस गये। उन लोगों को आप बढ़ावा देते हैं। बढ़ावा देने के लिये ही श्रम मंत्रालय की कान्सिलियेशन प्रोसिडिंग्स फेल की हैं। खाली बातों को दबी हुई जबान से कहने पर मन के अन्दर की दबी हुई बातें बाहर आती जाती हैं। श्रम मंत्री जी आप पुलिस मंत्री होने के नाते तथ्य छिपाने लगे हैं। आप कहिये कि हमारी कांग्रेस ने जो ज्ञापन दिया उस ज्ञापन के बारे में आपने क्या कार्यवाही की ? क्या वह ट्रिब्यूनल को रेफर किया ? कब हियरिंग दी आपने ? किस किस को बुलाया ? मैं चाहता हूं फौरन से फौरन तालाबन्दी खुलवाई जाय, मजदूरों को काम दिलवाया जावे। आप यह भी बतायें कि 28 तारीख के बाद जो आज तक हड़ताल है, तालाबन्दी जो हो गई है, काम नहीं हो रहा है, उसका क्या पैसा मजदूरों को दिलवाने की व्यवस्था की जायेगी ?

श्री केदारनाथ (गृह मंत्री) : मान्यवर, यहां स्टेटमेंट के बारे में अनेक सवाल पूछे गये हैं। माननीय सदस्य भीलवाड़ा से जो आये हैं, उन्होंने लाठी चार्ज की बात कही कि वह लाठी चार्ज गलत तरीके से करवाया गया। मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन है मजदूर आन्दोलन, संगठित हड़ताल के बारे में मेरी निजी तौर पर जानकारी है। मैं मजदूरों के संगठन में, उनकी मिलिटेन्सी में और उनकी काम करने की केपेसिटी में विश्वास करता हूं। मैं यह भी मानता हूं कि मजदूर में आज सारे देश में खास तौर से इमर्जेन्सी के बाद अभी बारगेनिंग केपेसिटी पैदा नहीं

(श्री केदारनाथ)

हो पाई है, डेमोक्रेसी के राइट्स हैं वह रेस्टोर नहीं हो पाये है। मैं आज इस चीज को मानता हूँ।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमन्, काल अटेन्शन मोशन पर्टीक्यूलर प्वाइन्ट पर होता है। आप हमारे प्रश्नों का जवाब दीजिये।

श्री एच० एन० शर्मा : पहले सुनने का माद्दा रखिये। आप बीच बीच में क्यों बोलते हैं?

एक माननीय सदस्य : आप उपाध्यक्ष नहीं हैं।

श्री एच० एन० शर्मा : उपाध्यक्ष तो ये बन जाओ, महाराज।

श्री केदारनाथ : 29-8-77 को शाम को तीन बजे जब सैकिन्ड शिफ्ट बाहर आती है और थर्ड शिफ्ट अन्दर जाती है, जब अन्दर के बाहर और बाहर के अन्दर जाते हैं, उस समय चारों ओर से मजदूर आ रहे थे, उस समय पुलिस वहां थी लेकिन पुलिस ने लाठी चार्ज नही किया। केवल अपनी आत्म रक्षा के लिये और तनावपूर्ण वातावरण को कन्ट्रोल करने के लिये उन्होंने लोगों को पीछे धकेला है। मान्यवर, लाठी चार्ज हो, फालो-अप-एक्शन हो और 8-9 आदमियों के मामूली चोटें आयें। मैं समझता हूँ, लाठी चार्ज के बारे में यह पहली बार सुन रहा हूं। 29 तारीख को भील बाड़ा में मजदूरों पर लाठी चार्ज के दौरान कुछ लोगों के मामूली चोटें आई।

श्री शंकर लाल : कुछ के नहीं, 100 लोगों के चोटें आई हैं

श्री केदारनाथ : मान्यवर, दूसरा प्रश्न यह पूछा गया कि यह यूनियन रजिस्टर्ड है या नहीं? यह यूनियन अन-रजिस्टर्ड है। सरकार की ओर से आज तक किसी यूनियन को, किसी फेडरेशन को न तो कोई प्रोटेक्शन दिया गया है, न पेट्रोनाइज करने की कोशिश ही की गई है। दिनांक 2 से पार्शल स्ट्राइक की तारीफ में हड़ताल चल रही थी, उसमें पुलिस की ओर से कोई दखल नहीं दिया गया है। कोई न तो दखल दिया, न ही कोई केस रजिस्टर किया गया, न कोई गिरफ्तारी की गई। कोई ऐसा काम नहीं किया गया जिससे मजदूरों को नुकसान हो। हमारी इंटेंशन बिल्कुल स्पष्ट है, पुलिस की इंटेंशन स्पष्ट है कि किसी प्रकार का अनड्यू इन्टरफियरेन्स नहीं किया जावे जैसा कि पिछली सरकार किया करती थी।

तीसरी बात यह है, यहां पर कहा गया कि उनकी मांगें क्या थीं? अनरजिस्टर्ड यूनियन को किसी मांगों के बारे में आन्दोलन करने का मौजूदा कानून में कोई अधिकार नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : रजिस्टर्ड यूनियन कौन सी थी? उसका नाम बतायें। जिसकी कौशलकिशोरजी वकालत करते थे वह कौन सी यूनियन है?

श्री केदारनाथ : वहां पर कौन मंत्री गया और कौन नहीं गया, किसके खिलाफ नारे लगे, यह आज के स्टेटमेन्ट का स्कोप नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : बड़ा दिल है, काफी बड़ा दिल है आपका।

श्री केदारनाथ : तीसरी बात यह कही गई कि उनकी मांगें क्या थीं और उन मांगों के बारे में स्पष्ट नीति हमारी क्या है? मान्यवर, गो स्लो पार्शल स्ट्राइक की परिभाषा में आता है और पार्शल स्ट्राइक इल्लीगल है। मैं इसके बारे में बाद में निवेदन करूंगा कि गो स्लो पार्शल स्ट्राइक की तारीफ में आता है। पेंडिंग केस चल रहा है लॉ कोर्ट में। पार्शल स्ट्राइक हो, लॉ कोर्ट में डिस्प्यूट पेंडिंग हो तो कोई मालिक लोक आउट डिक्लेयर नहीं कर सकता। पोजीशन यह है कि अभी कन्सिलिऐशन प्रोसीडिंग्स चल रही है और फाइनल स्टेज पर हैं। जो भी यूनियन्स हैं, रजिस्टर्ड मजदूर संघ और भारतीय मजदूर संघ, दोनों यूनियन्स के साथ फैसला होगा। यह विश्वास रखिये कि हमारी ओर से कोई पक्षपात नहीं होगा।....

श्री मूलचन्द डागा : अभी, श्रीमान्, आपने कहा कि कोई रजिस्टर्ड यूनियन नहीं है तो किससे फैसला होगा? दोनों से कैसे फैसला होगा?

श्री कौशल किशोर जैन: आपके साथ भी करेंगे।

(व्यवधान)

श्री केदारनाथ : 1975 में 30 पर्सेन्ट बोनस दिया जावे। लिखित में जो उनकी मांगें हैं उनमें 1975 में 30 पर्सेन्ट बोनस मांगा है। सन् 1974 में 4 पर्सेन्ट, 1976 में 8.33 पर्सेन्ट, उसको देना है और देगा। यह मजदूरों का अधिकार है। अब रहा सवाल 1975 का। बैलेंस शीट मजदूर यूनियन को दे दी है, वे जांच कर रहे हैं। उनका यह क्लेम है कि डेप्रिशियेशन वगैराह में ज्यादा चार्जेज लगाए गए हैं। जो सरप्लस है वह एलोकेबल सरप्लस है, यह प्रश्न ट्रिब्यूनल को सौंपा जा सकता है और वह जांच कर सकता है लेकिन मौजूदा स्थिति में आज मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। सरप्लस क्या है, एलोकेबल सरप्लस कितना होगा, कितने बोनस का अधिकार है यह मसला है जिसको ट्रिब्यूनल को सौंपा जा सकता है।

श्री मूलचन्द डागा : आपकी कान्सिलियेशन प्रोसीडिंग्स फेल हो गई क्या?

श्री केदारनाथ : चल रही है।

श्री मूलचन्द डागा : जब लोक आउट हो रहा है, हड़ताल चल रही है, तालाबन्दी है तो आप इसमें जल्दी क्यों नहीं करते? क्यों देर कर रहे हैं।

श्री केदारनाथ : तीसरी मांग उनकी यह है कि जो अप्रेंटिस काम करते हैं उनसे काम तो पूरा लिया जाता है लेकिन उनको पांच रुपये रोज ही दिया जाता है। यह प्रेक्टिकल डिफिकल्टी है। हम भी इस बात को मानते हैं कि अप्रेंटिस जिस काम को करे और जिस काम पर लगाया जाय उसकी उसको पूरी मजदूरी दी जानी चाहिए। छः माह के बाद अप्रेंटिस जिस काम पर लगे उसको उसकी पूरी मजदूरी मिलनी चाहिए।

जिसको 240 दिन हो गए हैं उसको परमानेन्ट माना जाय। इस बारे में हमारे स्टेन्डिंग आर्डर हैं।

सन्डे को काम करें तो 15 पर्सेन्ट अधिक मिलता है। यह मसला भी विचाराधीन है। मैं समझता हूं कि इन सब

(श्री केदारनाथ)

मसलों पर आज यहां पर ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही निवेदन कर देता हूं कि कोई लाठी चार्ज नहीं किया गया और न ही इस प्रकार की कोई मंशा थी। न किया गया है, न सौ आदमी घायल हुए हैं और न मजदूरों के साथ किसी प्रकार का पक्षपात करने का हमारा कोई इरादा है। कान्सिलियेशन प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और मुझे विश्वास है कि 24 घन्टे या 48 घन्टे में लोक आउट लिफ्ट होगा, मजदूर काम पर जायेंगे और उनकी जायज मांगें मान ली जायेंगी।

परिवर्तित आय-व्ययक, 1977-78 पर अग्रेतर वाद-विवाद

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट आइटम।

परिवर्तित वार्षिक वित्तीय विवरण (आय-व्ययक) 1977-78 पर अग्रेतर सामान्य वाद-विवाद।

जनता पार्टी के जो वक्ता महोदयों की सूची मुझे दी गई है उसको देखते हुए और समय की परिधि को देखते हुए मैं वक्ता महोदयों से यह अनुरोध करूंगा कि कम से कम समय में वह अपने विचार रख दें, और समय की सीमा को देखते हुए मुझे यह अवसर नहीं दें कि मुझे घन्टी बजानी पड़े।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना यह है कि कृपया आप हमें यह बता दें कि जनता पार्टी की सूची में कौन-कौन से माननीय सदस्यों के नाम हैं ताकि हम लोग उसके मुताबिक माइण्ड बना लें और उस समय पर मौजूद रहें।

श्री मूलचन्द डागा : यह आप व्हिप से पूछें।

श्री उपाध्यक्ष : यह जानकारी करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री राम रघुनाथ : थोड़ा बहुत समय हमें भी देने की बात थी।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : घाटे का मामला है। उधर की तरफ से ही आपको उधार मिल सकता है।

श्री मूलचन्द डागा : 58 करोड़ का घाटा है, थोड़ा और भी होने दो, साहब।

श्री सुखलाल सैंगाचा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि हमने आसन का आदर किया। जो माननीय सदस्य इधर मे बोल रहे थे वे समय से ज्यादा बोलते रहे। आसन ने उनको नहीं रोका और वे बोलते रहे। हम बीच में बोल कर आसन के प्रति असम्मान प्रकट नहीं करना चाहते थे। उसकी हमको सजा मिल रही है। तो; मेरा निवेदन है कि हमें भी उचित समय दिलायें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपके विचारों का आयन्दा ध्यान रखूंगा। इस तरह की फिर शिकायत नहीं आए, इस बात की व्यवस्था करूंगा।

श्री सुखलाल सैंगाचा: उपाध्यक्ष महोदय, यह जनता पार्टी का प्रथम बजट है। कई महत्वपूर्ण मसले हैं, बिजली का मामला है, मिनिमम चार्जेज की बात है, सहकारी समितियों की वसूली की बात है, लोगों को ऋण दिलाने की बात है, कई इस तरह

(श्री सुखलाल सेंणचा)

की बातें है जिनके बारे में हम सरकार को अवगत कराना चाहते हैं। वे कांग्रेस सरकार के टाइम की बातें भी हो सकती हैं जो सुनी नहीं गई हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि हमें समय दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : यह जनता पार्टी का प्रथम बजट है तो मेरे स्वयं के द्वारा भी अध्यक्षता करने का प्रथम अवसर है जब कि मैं उपाध्यक्ष के पद पर बैठा हूं। मेरी भी परिस्थिति देखिए। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप सहयोग देंगे।

श्री रामरघुनाथ : हमने अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया था और उन्होंने कहा था....

श्री रतनलाल वर्मा : यह बार-बार सदन का समय खराब करते हैं....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं पहले बोलने वालों के नाम बता देता हूं :

1. मेजर श्री फतहसिंह
2. श्री बन्शीलाल सारस्वत
3. ,, माधोसिंह
4. ,, नाथूराम
5. ,, सुरेशकुमार
6. ,, टीकमचन्द कान्त
7. ,, सूर्यनारायण चौधरी
8. ,, मन्जूर अली
9. श्रीमती उजला अरोड़ा
10. श्री चिरंजीलाल
11. ,, बन्शीलाल
12. ,, हीरालाल आर्य
13. ,, करतारसिंह
14. ,, जगदीशसिंह

अब मैं मेजर श्री फतह सिंह जी का नाम....

श्री कौशलकिशोर जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी नाम दिया था।

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया सचेतक महोदय से बात करें।

श्री हरिकिशन : मैंने दो बार नाम पेश किया था।

श्री शिवचरणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के माननीय सदस्यों के साथ मुझे नहीं छोड़ देना।

श्री जगदीशचन्द्र शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी निवेदन किया था कि चूरू जिले की तरफ से बोलने का किसी को अवसर नहीं मिला है।

श्री हरिकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दो-तीन दिन हो गए है बराबर नाम देते हुए।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपके लिए प्रयत्न करूंगा। मैं वित्त मन्त्री महोदय से परामर्श करूंगा और उनके विचार जानने का प्रयास करूंगा कि वे रिप्लाई कब देंगे। समय की अवधि और बढ़ाई जाय, मैं आपके इन सुझावों पर विचार कर रहा हूं।

श्री टीकमचन्द कान्त : हमारा समय निर्धारित कर दीजिये।

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, जिनके नाम हैं उनसे शुरुआत करवा दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : यह लिस्ट फाइनल नहीं है। इसमें और एडिशन हो सकते हैं।

श्री टीकमचन्द कान्त : एडीशन तो आप करिए परन्तु मेरा नाम पिछली बार भी रह गया था। यह हमारे साथ अन्याय है।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा है, मुझे सुन लीजिए।

मेजर श्री फतहसिंह।

मेजर श्री फतहसिंह (भीम) : उपाध्यक्ष महोदय, जो आर्थिक कठिनाईयां हैं, उनके उपरान्त राज्य सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसका मैं स्वागत करता हूं। मैं इस बात को भी मानता हूं कि यदि अधिक चिन्तन किया जाता तो इससे भी अच्छा बजट प्रस्तुत किया जा सकता था।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ ऐसी बातें कहूंगा जो मीठी लगने वाली भी होंगी और कुछ कड़वी लगने वाली भी होंगी।

मान्यवर, राज्य सरकार ने जो कार्मशियल क्राप से सैस, उप-कर समाप्त करने की घोषणा की है, उसका मैं स्वागत करता हूं। जो घोषणा की गई है उसमें वित्त मन्त्री और राज्य सरकार ने जन भावना का आदर किया है। इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं।

मान्यवर, इसी प्रकार वित्त मन्त्री ने राज्य में लाटरी प्रथा को समाप्त करने की घोषणा की है, वह भी स्वागत योग्य है क्योंकि जनता में इससे जुए की प्रवृत्ति बढ़ रही थी। यह जो कदम उठाया गया है इसको मैं अच्छा मानता हूं। इसी प्रकार, श्रीमन् वित्त मन्त्री महोदय ने भवन एवं भूमि कर के मामले में एक लाख रुपये के मूल्य की भूमि और भवनों को कर मुक्त किया है और यह कर केवल एक लाख से ऊपर की सम्पत्ति पर लगाया है, इसका भी मैं स्वागत करता हूं। सही मायने में यह समाजवादी कदम है। केवल उन्हीं लोगों से कर वसूल किया जाना चाहिए जो कर देने की क्षमता रखते हों, गरीब लोगों को कर-भार से मुक्त रखा जावे। यही दृष्टिकोण राज्य सरकार ने इस भवन एवं भूमि कर के मामले में अपनाया है। श्रीमान मैं आपका और साथ ही सदन का ध्यान वित्त मन्त्री जी के भाषण के अन्तिम पेज में जो कुछ लिखा है और कहा है, उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उन्होंने कहा है : "आज हमारे हाथ में जो सत्ता आई हैं, वह इन्हीं फटेहाल, गरीब एवं पिछड़े हुए किन्तु साहसी लोगों के मतदान से आई है। यह 'शांतिमय क्रान्ति' इन्हीं मेहनतकशों के खुरदरे हाथों का चमत्कार है।" इसका यह अर्थ है कि हमारे दल और हमारी सरकार ने इन गरीबों के प्रति कृतज्ञता प्रकट की है जिन्होंने इस प्रदेश की सत्ता हमारे हाथ में सौंपी है। लेकिन; मान्यवर, इस सरकार की कथनी और करनी में अन्तर मालूम पड़ता है। वह किस तरह से है, मैं बताना चाहूंगा। श्रीमान, कांग्रेस के शासन में 15 रुपये तक के मूल्य के मीडियम और कोर्स के तैयार शुदा कपड़े बिक्री कर से मुक्त थे और 15/- रुपये से ऊपर के मूल्य के कपड़े पर बिक्री-कर लिया जाता था और वह 7 प्रतिशत कर वसूल किया जाता था। मीडियम और

(मेजर श्री फतहसिंह)

कोर्स के तैयार शुदा कपड़े, जिनका उपयोग अधिकतर देहाती और खुरदरे हाथों वाले मेहनतकश लोग करते हैं, इसको भूतपूर्व कांग्रेसी सरकार ने कर-मुक्त कर रखा था, लेकिन हमारे वित्त मन्त्री महोदय ने वापस कर लगाया है। मैं समझता हूं कि इन खुरदरे हाथों वाले किसानों के प्रति इस प्रदेश को सरकार की, मैं कहना चाहता हूं वित्त मन्त्री महोदय से, यह कृतज्ञता नहीं है, यह कृतघ्नता हो सकती है। मैं केवल इतना ही इस पर कहना चाहता हूं। समयाभाव के कारण यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार और वित्त मन्त्री महोदय इस समस्या पर पुन: विचार करें। मेरा तो सुझाव है कि 15 रुपये तक के तैयार शुदा कपड़े ही नहीं बल्कि 20 रुपये तक के तैयारशुदा कपड़े बिक्री कर से मुक्त रखे जाएं, उससे ऊपर के मूल्य के तैयारशुदा कपड़े पर बिक्री कर लगाया जाये परन्तु बीस रुपये मूल्य के तैयार शुदा कपड़ों को बिक्री कर से मुक्त रखा जाए। अगर बिक्री कर वसूल किया जाय तो वह 20 रुपये से ऊपर मूल्य के तैयार शुदा कपड़े पर किया जाए, फिर चाहे वह 5 प्रतिशत हो या 7 प्रतिशत, इस विषय पर मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन जो 7 प्रतिशत से बिक्री कर 5 प्रतिशत कर दिया गया है, उससे प्रतीत होता है कि राज्य सरकार और वित्त मन्त्री महोदय; उन लोगों से प्रभावित हुए हैं, जो ऊंचे मूल्य के तैयारशुदा कपड़े पहिनते हैं। इसलिए, श्रीमान, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार और वित्त मन्त्री महोदय को निवेदन करूंगा कि वे अपनी इस घोषणा को वापस ले। अधिक लाभ नहीं देना चाहते हैं तो कम से कम वह लाभ जो किसानों और गरीबों को मिलता था, जो भूतपूर्व कांग्रेसी सरकार ने इस सम्बन्ध में किसानों को दिया था, जारी रखें।

श्रीमन् इसी तरह से पेन्शन के मामले में भी वित्त मन्त्री महोदय ने यह घोषणा की है कि पेन्शन में वृद्धि होगी। पेन्शन में वृद्धि के बारे में उन्होंने कहा है कि 120 रुपये से कम पाने वालों की पांच रुपया प्रतिमाह की वृद्धि होगी। 120 से लेकर 500 रुपये से कम माहवार पाने वाले को दस रुपया प्रति माह की वृद्धि होगी और 500 व उससे ऊपर पेन्शन पाने वालों को 15 रुपया प्रति माह की वृद्धि मिलेगी। मैं समझता हूं कि यह समाजवादी व्यवस्था के सर्वथा प्रतिकूल है। अब तो जनता पार्टी ने भी समाजवादी व्यवस्था को अपनाया है। इसलिए इस दल का भी यह कर्तव्य है कि राहत उन लोगों को दी जावे जिनको ज्यादा आवश्यकता है। 500 रुपया माहवार पाने वालों की पेन्शन में 15 रुपये की वृद्धि करने का कोई औचित्य नहीं है, इसका मतलब है ऊंट की दाढ़ में जीरा। यह पेन्शन वृद्धि उन लोगों को मिलनी चाहिए जिनको उसकी जरूरत है। इसलिए मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इस पर पुन: विचार करे। मेरा एक सुझाव है कि 500 रुपए से अधिक पेन्शन पाने वाले को पेन्शन में किसी प्रकार को वृद्धि मिलनी ही नहीं चाहिए। जो कुछ भी वृद्धि मिले वह 500 रुपये से कम पेन्शन पाने वालों को मिले। यह मेरा विनम्र सुझाव है।

श्रीमन्, इसी प्रकार से अन्त्योदय योजना दरिद्र नारायण के विकास के लिए

(मेजर श्री फतहसिंह)

राज्य सरकार ने बनाई है, वह बहुत सराहनीय है। स्वागत योग्य है। राज्य सरकार की योजना के अनुसार प्रत्येक गांव से सबसे गरीब पांच गरीब परिवार लिये जायेंगे। यह सारे देश के लिए एक नयी दिशा है। सरकार ने इस योजना पर कार्य आरम्भ भी कर दिया है। मैं इस सदन से यह निवेदन करूंगा मेरे क्षेत्र से मुझे कुछ पत्र मिले हैं। मेरे क्षेत्र में उन लोगों को चयन किया जा रहा है। विकास अधिकारी और तहसीलदार उनका चयन कर रहे हैं जब कि इस योजना के अन्तर्गत यह कहा गया है, "इसके अन्तर्गत" अधिकारीगण ग्राम की स्वायत्त शासन संस्थाओं तथा जन प्रतिनिधियों की मदद से राजस्थान के लगभग 33 सहस्र गांवों में से प्रत्येक में से पांच सबसे गरीब परिवारों को छांटेंगे।" जन-प्रतिनिधि यहां बैठे हैं। मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि जब तक राजस्थान विधान सभा का अधिवेशन हो तब तक इस काम को बन्द कर दिया जाये। ताकि जन-प्रतिनिधि भी राज्य अधिकारियों की मदद कर सकें।

श्री मूलचन्द डागा : Good.

(विराम)

मेजर श्री फतहसिंह : मुझे बेरोजगारी की विकट समस्या के बारे में कुछ निवेदन करना है। जनता पार्टी और जनता पार्टी की सरकार ने घोषणा की है कि आने वाले दस सालों में बेरोजगारी समाप्त कर देंगे। जब मैं इस घोषणा पर विचार करता हूं तो मुझे विचार आता है कि कांग्रेस दल और उसकी प्रधान मन्त्री ने भी 1971 में यह घोषणा की थी। उन्होंने यह घोषणा की थी कि हिन्दुस्तान से गरीबी मिटा देंगे। लेकिन कांग्रेस और उनकी प्रधान मन्त्री देश की गरीबी नहीं मिटा पाईं। कांग्रेस सरकार गरीबी नहीं मिटा सकी। बजट भाषण में कहा गया है कि प्राथमिक विद्यालय और हायर सैकेण्डरी स्कूल, कालेज, पोस्ट ग्रेजुएट कालेज खोलेंगे जिससे रोजगार मिलेगा। लेकिन जब तक बढ़ती हुई आबादी का समन्वय करके नहीं चलेंगे, तब तक बेरोजगारी को मिटा नहीं सकते हैं। यह जो आबादी बढ़ रही है, इस पर अंकुश लगाना चाहिए। जिस तरीके से इस पर भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अंकुश लगाया था, उस तरीके से नहीं बल्कि इस बारे में समझाइश करनी चाहिये और आवश्यकता पड़ने पर कानूनी अंकुश होना चाहिए। इस बारे में सरकार को सोच विचार और चिन्तन करने की आवश्यकता है। श्रीमान, जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में घोषणा की थी कि ढाई हैक्टेयर तक जिन किसानों के पास जमीन है, उनका भू-राजस्व माफ करेंगे। इस प्रकार की घोषणा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी की गई थी। यह कहा गया था जिन किसानों के पास ढाई हैक्टेयर तक भूमि है, उनको भू राजस्व से मुक्त किया जावेगा लेकिन बजट भाषण में इसका कोई संकेत नहीं किया गया है। श्रीमन् या तो कोई घोषणा नहीं की जानी चाहिए। अगर की जाती है तो उसका पालन किया जाना चाहिए। मैं निवेदन करूं कि पिछले विधान सभा के अधिवेशन के बाद मैं अपने क्षेत्र में पहुंचा। तो मैंने वहां के लोगों को जो कुछ यहां हुआ उसकी जानकारी दी। मैंने उनको बताया कि सरकार ढाई हैक्टेयर तक भूमि भू-राजस्व

(मेजर श्री फतहसिंह)

से मुक्त करेगी। लेकिन इस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है। मैं निवेदन करना चाहूंगा मन्त्री महोदय से और मुख्य मन्त्री महोदय से कि यह केवल घोषणा मात्र ही नहीं हो।

श्रीमन्, अब मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आना चाहता हूं। आपातकाल के अन्दर मैरिट फार्मूला लागू करके कई अच्छे और योग्य अधिकारियों को पदोन्नति से वंचित किया गया था। जो अधिकारियों के कृपा पात्र थे, जो उनके चहेते थे, उनको और अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए इस मैरिट फार्मूले का आविष्कार किया था। श्रीमन्, इस मैरिट फार्मूले को लागू करने से कई ऐसे व्यक्ति, जो कि योग्य नहीं थे, आगे बढ़ गये और जो सीनियर और योग्य व्यक्ति थे वह वंचित रह गये हैं। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस मैरिट फार्मूले के जरिये आपातकाल में योग्य और सीनियर लोगों के साथ में जो अन्याय हुआ है, वह दूर किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पांच मिनट और लूंगा। इसलिए मेरा निवेदन है–

Let us undo the wrong the decision may be of the government The cabinet above uninfluenced by the officers responsible for coining this formula.

इसलिए मेरा सुझाव है, मैरिट फार्मूला में जो बहुत ऊंचे पहुंच गये थे, उनको वहीं वापस लाकर खड़ा कर दिया जाये जहां वह मैरिट फार्मूला लागू होने से पहले थे। श्रीमन्, एक बात और कहना चाहता हूं, आज हमारे देश में हड़तालें और भूख हड़तालें हो रही हैं, आन्दोलन हो रहे हैं। लेकिन देश को आगे बढ़ाने के लिए अनुशासन की आवश्यकता है। छात्रों के आन्दोलन हो रहे हैं। कर्मचारियों के आन्दोलन हो रहे हैं। उनकी जो मांगे हैं, मैं उनके औचित्य में नहीं जाना चाहता हूं। जब हम इन छात्रों और कर्मचारियों की मांगों पर विचार करते है तो मुझे वह बात याद आती है जो अमेरिका के स्वर्गीय राष्ट्रपति केनेडी ने अपने राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर अमेरिका की जनता को अपने सन्देश में कही थी। उन्होंने कहा था "My countrymen ask not what the Government will do for you. but ask yourselves what you will do for the country and the nation."

इस तरह से हम सब लोगों को अगर देश को आगे बढ़ाना है और प्रदेश को आगे बढ़ाना है तो हमें अपनी अधिक चिन्ता न करके देश की और राष्ट्र की चिन्ता अधिक करनी है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकेगा। जहां मैंने यह बात देश की जनता के लिए कही वहां मैं राज्य सरकार से भी एक बात कहना चाहता हूं, मन्त्री परिषद से भी एक बात कहना चाहता हूं कि वह लोग इन महत्वपूर्ण समस्याओं का चिन्तन करें और चिन्तन करने के लिए वह इस घेराव से बाहर आकर समय निकालें। अगर आपने इन समस्याओं का समाधान नहीं किया तो जनता में असन्तोष बढ़ता जायगा और उसका परिणाम, जैसा आपने सुना होगा कि—

"जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी,
से नृप अवसि नरक अधिकारी"

(मेजर श्री फतहसिंह)

जिस राज्य की प्रजा दुखी होती है, उस राज्य का विनाश हो जाता है। History repeats itself. इतिहास की पुनरावृत्ति होती है। जनता के असन्तोष से कांग्रेस का शासन समाप्त हुआ, क्योंकि जनता बहुत दुखी हो गई थी इसलिए जनता ने उनको ठुकरा दिया। हमें कांग्रेस की गलतियों को सुधार कर उनसे नसीहत लेनी चाहिए और जनता को सन्तुष्ट रखना चाहिये।

श्रीमान, घंटी बज चुकी है, मैं कुछ और कहना चाहता हूं। एक बात भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं, लेकिन कहूं किसको? भ्रष्टाचार को हल करने वाले मन्त्री महोदय ही उपस्थित नहीं हैं। ऐसा मालूम पड़ता है कि मैं ऐसे लोगों के सामने बोलता हूं—who want to strike but are afraid to strike. मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि केवल घोषणाएं मात्र कर देने से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए आपको कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। मैं राज्य सरकार से पूछना चाहूंगा कि जबसे आपके हाथ में सत्ता आई है, आपने कितने भ्रष्ट अधिकारियों और जनता के भ्रष्ट नागरिकों के खिलाफ कार्यवाही की? नारेबाजी से कुछ नहीं हो सकता। आपको दृढ़ कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। जब मैं कठोर कदम उठाने की बात कहता हूं मुझे अमेरिकन इतिहास की बात याद आती है। इंग्लैण्ड ने अमेरिका को, जिसको आज संयुक्त राष्ट्र अमेरिका कहते हैं, क्यों खो दिया? They wanted to strike but they were afraid to stike. यही हाल हमारी गवर्नमेंट का है। सरकार चाहती है कि भ्रष्टाचार को मिटाया जाय मगर भ्रष्टाचारियों के ऊपर कठोर कदम उठाने में यह सरकार घबराती है डरती है। मान्यवर, एक उदाहरण देकर के मैं अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहूंगा और मैं निवेदन करूंगा कि घंटी नहीं बजाई जाय।

जुलाई महीने में एक भ्रष्टाचार की घटना हुई। एडवर्ड मिल ब्यावर में है, वह एडवर्ड मिल नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन की देखरेख में चलाई जा रही है। उसके संचालक एक आई. ए. एस. ऑफिसर हैं। इस एडवर्ड मिल में क्या हुआ, जनरल मैनेजर के आर्डर से 14-6-77 को बीस किलो रूई जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ब्यावर के यहां बिना कीमत के जाने की आज्ञा दी जाती है। यह आदेश दिया जाता है कि बीस किलो रूई की कीमत 114.52 पैसे होती है वह मिल के अकाउन्ट में डेबिट की जाय।

श्री प्रद्युम्नसिंह: कारण?

मेजर श्री फतहसिंह: कारण यह गवर्नमेंट बताये। वहां फिर उसके बाहर जाने का पास बनता है, जिस पर लिखा हुआ होता है कि जनरल मैनेजर के आदेश से रूई बाहर जाने दी जाती है, वह रूई जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ब्यावर के पास पहुंचती है। क्लर्क होशियार था, वह जानता था कि गलत कार्यवाही हो रही है, उसने लिखा जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, 'Respected sir, Receive and return the slip along-with signature.' और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने रिसीट कर के वह स्लिप वापस भेज दी, उसकी फोटोस्टेट कापी मेरे पास है। इसकी जानकारी माननीय उग्मराज जी मेहता, जो ब्यावर से प्रतिनिधित्व करते हैं, ने होम मिनिस्टर साहब को दी और

Page No 46

(46)

(मेजर श्री फतहसिंह)

होम-मिनिस्टर साहब ने एस. पी., अजमेर को इन्क्वायरी के लिए लिखा। अजमेर के एस. पी. किसी अधिकारी को भेजते हैं। वह अधिकारी ब्यावर जाता है और उन लोगों का आतिथ्य स्वीकार करता है जो इसमें दोषी हैं। इसलिए इसमें कुछ भी नहीं किया गया। यही नहीं, मैं अगस्त महीने में जयपुर आया था। मैं मेघवालजी के दफ्तर में बैठा हुआ था, वहां मुझे एक सी. आई. डी. के अधिकारी मिले मिस्टर व्यास, उनको मैंने कहा कि इस तरह की घटना हुई है और वह अधिकारी कुछ नहीं करते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उन्होंने कहा कि मैं एक सी. आई. डी. के अधिकारी को भेजता हूं, उन्होंने सी. आई. डी. के अधिकारी को बुलाया, मैंने फोटोस्टेट कॉपी उनको दी, उन्होंने 25 अगस्त को ब्यावर आने के लिए कहा। मेरे से भी सम्पर्क करने के लिए कहा, मेहताजी से भी सम्पर्क करने के लिए कहा और जिन्होंने यह सारे कागजात उपलब्ध कराये, उन लोगों से भी सम्पर्क करने को कहा। लेकिन वे 25 अगस्त को ब्यावर नहीं आये। इसलिए, श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि बीस किलो रूई का सवाल नहीं है, इसमें जो सिद्धांत इन्वाल्व्ड है, उसका सवाल है। आज हम बहुत सुन रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार को मिटा देंगे। लेकिन हम जो भ्रष्टाचार को मिटाने की बात कहते हैं, यही हाल रहा तो हमको ही मिट जाना पड़ेगा। भ्रष्टाचार तो नहीं मिटेगा, भ्रष्टाचार हमें मिटा देगा। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूं, हमारी कथनी और करनी में अन्तर नहीं होना चाहिए। इस सरकार को जनता आपके कार्यों से परखना चाहती है, न कि घोषणाओं से। इतना कहकर मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया और मुझे शांतिपूर्वक सुना।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बंशीलाल सारस्वत !

श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दुर्गम घाटी स्थित रास्तों और परम्परागत और प्रतिबद्धित जो हालत थी, उससे ऊपर आकर, चुनौतियों को ध्यान में रखकर वित्त मन्त्री महोदय ने बजट में जो मोड़ दिया है वह वास्तव में सराहनीय और स्तुत्य है और उसके लिए उनको बधाई दी जानी चाहिए। विरोधी पक्ष ने भी इसको मौलिक चिन्तन का प्रतीक माना है और बजट को बहुत अच्छा बताया है। विरोधी पक्ष पूर्णतया आलोचना में विश्वास नहीं रखते आंकड़ों की भूल-भुलैया में विश्वास रखते हैं और यह चाहते हैं कि उन व्यक्तियों के समर्थकों के तम्बू विधान सभा के बाहर लगे रहें। दूसरी तरफ वह चाहते हैं कि कोई भी, किसी प्रकार के टैक्स न लगाये जाय, न कर लगाये जाय और करों से मुक्त कर दिया जाय। उस स्थिति में तो केवल सतसाई बाबा और भगवान रजनीश को बुलाकर तांत्रिक तरीकों के आधार पर ही विपुल धन की बरसात कराई जाय। उस स्थिति में तो सरकार को किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा और न वित्तमंत्री जी किसी रकम की मांग कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जो साधन सीमित थे और जो सीमित समय था उसमें चिन्तन करके उनके आधार पर जो बजट को वित्त मन्त्री ने मोड़ दिया है; वास्तव में इससे अधिक सुन्दर बजट नहीं हो सकता। इसके साथ में, कुछ सुझाव और कुछ तथ्य, जिन पर मैं चिन्तन कर सका हूं और जिनके

(श्री बंशीलाल सारस्वत)

सम्बन्ध में मैं विचार कर सका हूं, सदन के समक्ष, आपके समक्ष, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से रखते हुए निवेदन करूंगा कि इसके अन्दर वर्त्तमान में अगर कुछ परिवर्तन किया जा सके तो करें, या आगे के लिए इन्हें लागू किया जा सके तो उन्हें ध्यान में रखा जाय।

सर्वप्रथम मैं निवेदन करूंगा कि सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा का इसमें समावेश किया गया है। इसके लिए जिन व्यक्तियों को रखा जाने का प्रावधान है वे बहुत ही सामान्य शिक्षा के हैं, वे ऐसे व्यक्ति, हैं जिनका कोई प्रशिक्षण नहीं है। गांवों में रहने वाले अनेक करोड़ों लोग हैं, उनका भाग्य आप उनके हाथों में दे रहे हैं जिनका पूरा शिक्षण नहीं है। यह गांव वालों के स्वास्थ्य के लिये खतरनाक व खिलवाड़ मात्र होगा। पूर्व में जैसे एल० एम० पी० का डिप्लोमा होता था, उसको पुनः चालू किया जाए ताकि मैट्रिक पास करने के बाद में केवल 3 वर्ष में डिप्लोमा दिया जाकर बेयर फुटेड सेवक के रूप में उनको गांवों में भेजा जाय। गांवों के वातावरण से परिचित कराकर व वहां के हालात का प्रशिक्षण दिया जाकर उनको गांवों में भेजें ताकि गांव वालों को उचित रूप से सहायता दी जा सके और वे आकांक्षा कर सकें कि वे सेवा करने वाले व्यक्ति हैं। उनके शिक्षण का यह आधार हो कि वह यह सोचें 'न कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवन'। अगर उनको डिप्लोमा के आधार पर ही विशेष प्रशिक्षण देकर तैयार करें तो वे अधिक सुचारु रूप से काम कर सकेंगे।

जो भी माननीय सदस्य बोले हैं करीब-करीब सभी भ्रष्टाचार उन्मूलन की महत्ता को समझ कर भ्रष्टाचार के संबन्ध में बोले हैं। मेरा निवेदन है कि मौजूदा कानून में बहुत ही कम लोगों का परिचय होगा। आज चाहे कोई व्यक्ति गम्भीर से गम्भीर और जघन्य से जघन्य अपराध करे तो भी एफ० आई० आर० पेश होते ही मुकदमा दर्ज हो जाता है। मगर जहां तक भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है, सामान्य थानेदार या डीवाई० एस० पी० जो अलग-अलग जिलों में रखे जाते हैं, वे भ्रष्टाचार के मुकदमे दर्ज करने के लिए नहीं हैं। मगर विडम्बना यह है कि अमरसिंह, एडीशनल आई० जी० पी० ही सही रूप से इसके लिए थानेदार हैं। उनके पास ही केस डायरी रखी जाती है, अन्य कहीं मुकदमा दर्ज नहीं होता। कानून में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है मगर ऐसे नियम बना लिए गए हैं जिनके आधार पर मुकदमे केवल यहीं पर दर्ज होते हैं। इसलिए ऐसी व्यवस्था की जाय कि जिससे डीवाई० एस० पी० भी मुकदमा दर्ज कर सके, वही अधिकारी डायरी रखे वही आवश्यक कार्यवाही करे।

दूसरी बात, यह मुकदमा प्रारंभ में सूचना मिलते ही दर्ज नहीं किया जाता। पहले प्रारंभिक जांच की जाती है। आई० पी० सी० की दफा 302 जैसे गम्भीर मुकदमे के लिए प्रारंभिक जांच करने की आवश्यकता नहीं होती है। मगर यहां ऐसी कौनसी विशेषता है? विशेषता यह है कि प्रभावशाली अधिकारियों पर प्रभाव पड़ता है। उसके कारण मुकदमा दर्ज नहीं होता और प्रारंभिक जांच चलती रहती है। मैं कहूंगा कि यह उनका विशेषाधिकार है जिसके बलबूते पर मुकदमा दर्ज नहीं होता। तो यह विसंगति है जिसको समाप्त किया जाए ताकि मुकदमे फौरन दर्ज हों,

(श्री बंसीलाल सारस्वत)

प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं है, यदि मुकदमा झूठा पाया जाए तो अभियुक्त बरी हो जाएगा। तो इस विसंगति को दूर किया जाए ताकि भ्रष्टाचार के मुकदमों को तुरन्त निपटाया जा सके।

मद्यनिषेध के सम्बन्ध में हालांकि माननीय वित्त मंत्रीजी ने बताया है कि विषम परिस्थितियों में यह बजट पेश किया गया है और आंशिक रूप से मद्यनिषेध का काम प्रारम्भ किया गया है। उसके लिए मैंने पूर्व में भी निवेदन किया था। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वादविवाद के समय भी निवेदन किया गया था और मेरी मान्यता है कि मद्यनिषेध जहाँ पर लागू है, वहां के पड़ोसी और सीमावर्ती क्षेत्रों में पहले लागू किया जाए दूरस्थ क्षेत्र में लागू करने से उनमें मद्यनिषेध की पालना नहीं होती है। एक व्यक्ति शराब पीकर दूसरे जिले में चला जाता है, साथ में शराब ले जाने की भी अधिक सुविधा रहती है।

पुलिस अधिकारियों के लिए बजट भाषण के अनुच्छेद 60 में 'पुलिस हितकारी निधि' का जिक्र किया गया है। इसके लिए पहले 1.75 लाख की राशि थी उसको बढ़ाकर 5 लाख किया गया है। मगर यह सारी रकम स्वीकार किए जाने का कारण यह है कि कई शिकायतें इस सम्बन्ध में थी, इसकी आड़ में अनेक रुपयों की राशि लोगों से चन्दे के रूप मे वसूल की जाती थी, सांस्कृतिक कार्यक्रम के आधार पर या और तरह के कार्यक्रम के आधार पर मेरा सुझाव है कि अब क्योंकि बढ़ी हुई राशि का प्रावधान किया गया है, भविष्य में इस प्रकार सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए या और किसी जरिये वसूली भ्रष्टाचार की तारीफ में समझी जाए व चन्दा और अन्य वसूली सर्वथा रोकी जाय।

इसके अलावा मौजूदा स्थिति में विभागों का बहुत बड़ा जाल और जंजाल आपके सामने है। 1956 से देखेंगे इतना बड़ा लम्बा चौड़ा स्टॉफ हो गया है, कमिश्नरों का जाल बिछा दिया गया है, लेकिन जो काश्तकार होता है जिसके आधार पर यह सारा राजस्थान फलता फूलता है उसके हितों का ध्यान अधिक नहीं रखा गया है। बजट की अधिक राशि प्रायः इसी मांग पर खर्च हो जाती है। तालाब में जहां पर छेद होते हैं वे कभी भर नहीं सकते। ऐसी स्थिति में यह ध्यान रखा जाना चाहिये और स्टडी की जानी चाहिए, कि जिन पदों की आवश्यकता नहीं है उनको बन्द किया जाय। जो लम्बा चौड़ा जाल पैदा कर लिया है उसके सम्बन्ध में साहसिक कदम उठाने चाहिये चाहे कोई अधिकारी नाराज क्यों न हो। इस सम्बन्ध में केवल एक दो विभागों के बारे में निवेदन करूँगा जैसे उद्योग विभाग व खनिज विभाग हैं। जो भी अण्डरटेकिंग्स हैं उनमें अध्यक्ष अलग अलग रखे हुए हैं, जनरल मैनेजर्स व डाईरेक्टर्स अलग-अलग हैं। आर.आई. एम. डी. सी. का अलग है। उसके बाद में गवर्नमेंट अण्डरटेकिंग्स के लिए अध्यक्ष अलग है, लघु उद्योग निगम के लिए अलग हैं····

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

थोड़ा समय और दिया जाय—

श्री उपाध्यक्ष : यह सम्भव नहीं होगा। फिर भी मैं आशा करता हूं कि आप जल्दी करें।

श्री बन्शीलाल सारस्वत : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर इन्डस्ट्रीज के एडवाइजर अलग हैं; इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट के सचिव अलग हैं, डाईरेक्टर अलग हैं। इस प्रकार एक ही विभाग के कई बड़े-बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं। इसके लिए मेरा निवेदन है कि तमाम स्टेट में इस प्रकार इन्डस्ट्रीज के जो अधिकारी हैं उन्हें समाप्त करके स्टेट में एक ही प्रिन्सीपल सेक्रेटरी एवं आयुक्त होना चाहिए जो कि विभाग व सरकारी इन्डस्ट्रीज से समन्वय स्थापित कर ले; नीति निर्धारण करे। इससे राज्य सरकार को काफी वित्तीय लाभ हो सकेगा। साथ में इन्डस्ट्रीज का भी विकास होगा और नीति निर्देशन भी ठीक तरह से हो सकेगी। इसी प्रकार से कोआपरेटिव डिपार्टमेन्ट में और कृषि विभाग में कई प्रकार के ऑफिसर हैं। कई प्रचार और प्रसार अधिकारी हैं। इतना बड़ा अमला अधिकारियों का पैदा हो गया है जो कि सिवाय प्रचार और प्रसार के कुछ नहीं करते। एक तरह यहां पर कोतल घोड़ों की तरह विभागों में आफिसरों की जमात रहती है। यहां जो प्रचार और प्रसार अधिकारी; विकास अधिकारी या अन्य कुछ ऐसे अधिकारी हैं वह कुछ भी काम नहीं करते हैं। इससे राज-कोष पर बहुत भार पड़ता है। इससे तो अच्छा है कि आप इस खर्च के बदले में काश्तकारों को सबसिडी देते या काश्तकारों को उन्नत बीज और उन्नत खाद देते तो काश्तकारों को लाभ पहुँचता। इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज को-आपरेटिव विभाग में और कृषि विभाग में कोई समन्वय नहीं है जोकि होना बहुत ही जरूरी है। इन दोनों में किसी प्रकार से समन्वय हो इसकी कोशिश करने की आवश्यकता है। इसमें ऐसे कार्य करने की आवश्यकता है कि जिससे काश्तकारों को सही मायने में लाभ पहुँचे। इसके अलावा एक बात मैं और निवेदन करना....

(समय समाप्ति-सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन्डस्ट्रीज जो आज खोली हुई हैं, उनमें भी सुधार की आवश्यकता है। वह ऐसी हो कि जिससे लाभ हो।

(समय समाप्ति-सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी समाप्त कर हो रहा हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मेडिकल विभाग में हर साल बहुत बड़ी रकम की दवाइयों की खरीद की जाती है और दवाइयों की हमें हर साल जरूरत रहती है तो क्यों नहीं राज्य सरकार दवाइयां बनाने की इन्डस्ट्री लगा दे? क्यों नहीं सरकार अपने आश्रित अथवा किसी के कोलोबोरेशन से कोई फार्मेस्यूटिकल उद्योग स्थापित कर दवाइयां बनानी शुरू कर दे।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार जितने रुपयों की दवाइयां एक साल में खरीदती है उससे यहां पर दवाइयों के सरकारी उद्योग को खड़ा करके दवाइयां तैयार कर सकती है। इससे राज्य सरकार को सस्ते दामों में दवाइयां उपलब्ध हो सकती हैं और राज्य सरकार को शुद्ध दवाइयां भी समय पर प्राप्त हो सकती हैं। इसके साथ ही वह फार्मेसी थोड़े समय में ही सेल्फ सफिशियन्ट हो सकती है।

इसी प्रकार, उपाध्यक्ष महोदय, सीमेंट का कारखाना नागौर में खोला जा सकता

(श्री बंशीलाल सारस्वत)

है। इसके अलावा सल्फर और जिप्सम वगैरह की इन्डस्ट्रीज को भी बढ़ाया जा सकता है। इनके बारे में माकूल सुझाव का बजट में समावेश होना चाहिये था।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

बस इतना ही कह कर मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री समरथलाल।

माननीय सदस्य को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वैसे तो आपको 9 मिनट का समय है पर मैं आपको दस नहीं 11 मिनट दूंगा।

श्री शिवचरणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, समरथलाल तो बोल चुके हैं। मैंने नाम दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : हां Sorry। श्री शिवचरणसिंह।

श्री शिवचरणसिंह (बयाना) : उपाध्यक्ष महोदय, जब जनता पार्टी का जन्म हुआ तब हमें आशायें इस जनता पार्टी से थीं। कांग्रेस में बहुत खराबियां आ जाने के कारण हमने कांग्रेस छोड़ी। उपाध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी ने जब लोकसभा के चुनाव हुए तब कहा था कि हम इन्डस्ट्रीज का विकास करेंगे, गरीब और कमजोर वर्ग को ऊपर उठायेंगे, कमजोर वर्ग का विशेष उत्थान करेंगे, गांवों का विकास करेंगे और बेरोजगार लोगों को रोजगार दिलायेंगे। इसके साथ-साथ जनता पार्टी ने काका कालेकर की मांग के अनुसार हरिजनों और शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को 25 से लेकर 30 पर्सेन्ट तक सर्विसेज में संरक्षण देने का वायदा अपने चुनाव मैनीफेस्टो में किया था। इसके बाद जब लोकसभा के चुनाव हो चुके और विधान-सभाओं के चुनाव हुए तब जनता पार्टी ने अपना वही पुराना राग अलापना शुरू कर दिया। फिर राज्य में जनता पार्टी की सरकार बनी और गवर्नर साहब का अभिभाषण हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि आर्थिक कार्यक्रम को पूरा करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ी तेजी से कदम उठाये हैं जिनका लाभ विशेष रूप से कमजोर एवं पिछड़े तबके के लोगों को मिलेगा। इस बजट भाषण में भी श्री वित्त मन्त्री महोदय ने पृष्ठ 3 के अन्दर कहा है "बेरोजगारी और गरीबी से ग्रसित इस राजस्थान को हमने एक श्रम बहुल, विकेन्द्रित, गांधीवादी, ग्रामोन्मुखी अर्थ-व्यवस्था देने का संकल्प किया है।" उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की वित्त मन्त्री महोदय ने गरीबी को समाप्त करने तथा कमजोर वर्ग को ऊपर उठाने की बात कही है। जो बजट पेश किया है वह ऐसा है कि उससे, मैं समझता हूं, किसी का भला होने वाला नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, बजट जो किसी सरकार का होता है, किसी पार्टी का होता है उससे मालूम होता है कि पार्टी की क्या नीतियां होंगी और किस प्रकार से उन नीतियों की क्रियान्विति की जायेगी, वहां की जनता पर क्या सामाजिक और आर्थिक असर पड़ेगा। बजट देखने से पता चलता है कि यह बजट पहले जैसा ही है, केवल थोड़ा बहुत हेर-फेर करके इसे पेश कर दिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, आधे से अधिक तो बजट के अन्दर वही बातें हैं, जो पिछली कांग्रेस

(श्री शिवचरण सिंह)

सरकार ने अपने बजट में यहां रखी थीं। इन्होंने उसमें थोड़ा बहुत संशोधन करके यहां पर लाकर पेश कर दिया है। इससे स्पष्ट होता है कि थोड़ी बहुत हेराफेरी से ही नया बजट बना दिया है। इस बजट में 589 करोड़ रुपये की आमद बतायी है और 650 करोड़ रुपये का व्यय बताया गया है। इसमें कुल मिलाकर 61 करोड़ का घाटा बताया गया है वह घाटा 8 प्रतिशत बजट का बना है। इससे यह बात तो तय हो गयी कि नये कर उस घाटे को पूरा करने में लगेंगे; इससे मुद्रास्फीति होगी, आपकी कीमतें बढ़ेगी और लोगों को काफी दिक्कत होंगी। इससे यह होगा कि लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति जो जनता पार्टी के राज्य के आने के बाद बिगड़ी है वह और ज्यादा बिगड़ेगी। इससे सरकार को जगह-जगह गोलियां चलानी पड़ेंगी। लाठी चार्ज होंगे। जगह-जगह रोइट्स होंगे। उपाध्यक्ष महोदय जब से जनता पार्टी की सरकार आयी है, लॉ एण्ड ऑर्डर बिगड़ा है, जगह-जगह गोलियां चली हैं और कई जगह तो हिन्दु-मुस्लिम रोइट्स भी हुए हैं। अभी एक-दो दिन पहले यहां पर विधान सभा के अन्दर एक माननीय सदस्य नैनवा - गोली कांड का वर्णन कर रहे थे। मेरे खुद के जिले सवाई माधोपुर में विद्यार्थियों का आपस में बहुत भारी झगड़ा हिन्दु-मुसलमानों का हुआ। अगर कुछ समझदार लोग बीच-बचाव नहीं करते तो वहां पर लॉ एण्ड ऑर्डर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती। उपाध्यक्ष महोदय, आज जो भी गड़बड़ी फैली है उसका सबसे बड़ा कारण है कि जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेतागण हैं, विधायकगण हैं जो जनता पार्टी के लोग हैं वह प्रशासन में अनड्यू इन्टरफियरेन्स कर रहे हैं। आज मैं आपके सामने स्पष्ट रूप से यह कह देना चाहता हूँ कि जितना कांग्रेस सरकार के समय इन्टरफियरेन्स नहीं होता था उससे कहीं अधिक इन्टरफियरेन्स हमें जनता पार्टी की सरकार के बनने के बाद देखने को मिलता है। आज मन्त्री महोदयों के पास यह लोग जाते हैं और फिर मन्त्री महोदयों के पास से ट्रान्सफर्स और प्रमोशन्स तथा अपोइंटमेन्ट्स की लिस्टें भारी तादाद में जा रही हैं। आज एक बहुत लम्बी क्यू इनकी लगी हुई है। यही कारण है कि आज प्रशासन ठप्प हो गया है। मिनिस्टर लोग काम नहीं कर रहे हैं सिवाय ट्रांसफर्स पोस्टिंग के। मैं समझता हूं कि कांग्रेस राज्य में इतनी बड़ी तादाद में नहीं होता था। आप चाहें तो देख सकते हैं। आपको सचिवालय में सभी देखने को मिलेगा। इसमें खास तौर से लोग लूक्रेटिव पोस्ट्स पर पोस्टिंग्स के लिये मन्त्रियों पर दबाव डाल रहे हैं। एक नहीं मैं ऐसे कई जिले बता सकता हूं जिनमें इस प्रकार की लिस्टों के अनुसार ट्रांसफर्स हो रहे हैं। मेरे ही जिले सवाई माधोपुर में कई लोगों को बदला गया है। आप देखेंगे कि कितने अग्रवाल लोगों को वित्त मन्त्रीजी ने सवाई माधोपुर जिले में लगाया है। यह जो प्रशासन में इन्टरफियरेन्स हो रहा है इससे प्रशासन के काम में कमी आयी है और प्रशासन बिगड़ा है। आज कीमतें बढ़ रही हैं और कोई किसी को डर नहीं। जनता पार्टी के नेता देखते हैं हमारा राज्य है, व्यापारी लोग देखते हैं, हमारा राज है कुछ देखते हैं भैरोंसिहजी हमारे हैं, आर० एस० एस० वाले जानते हैं कि मुख्य मन्त्री हमारे हैं हम चाहे जैसा काम करवा सकते हैं।

श्री रघुनन्दन व्यास : माननीय सदस्य आर० एस० एस० का नाम मत लीजिये।

श्री शिवचरणसिंह : आप बैठे रहें। आप न बोलिये। मेरे पास पूरी जानकारी है।

श्री रघुनन्दन व्यास : आप झूठ कह रहे हैं। आप चोरों और बेइमानों का समर्थन करते हैं, भ्रष्टाचारियों का समर्थन करते है और फिर इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, आपको किसी भी संस्था का नाम नहीं लेना चाहिये। आर० एस० एस० एक पोलीटिकल पार्टी नहीं है, सामाजिक संस्था है। अगर आपके पास कोई प्रमाण हो तो ही नाम लें और व्यक्ति विशेष का नाम लें। दूसरी बात नहीं करें।

श्री शिवचरणसिंह : मैं प्रमाण के साथ कह सकता हूं। रतनलालजी ने मोर के मारने के बारे में बात कही थी सदन में। फिर कहा कि उसमें दखल किया गया और उस मामले को दबाया गया।

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास : माननीय सदस्य गलत आरोप लगा रहे हैं आर० एस० एस० के बारे में। आपके पास आर० एस० एस० के व्यक्ति का नाम हो तो बतावें। कोई विधायक के बारे में प्रमाण हो तो बतावें। जनता पार्टी के नाम से व्यर्थ क्यों कह रहे हैं। आपको कोई अधिकार नहीं है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : उनको अधिकार है।

श्री रतनलाल वर्मा : कोई मोर नहीं मारा गया।

श्री शिवचरणसिंह : मेरे पास और भी प्रमाण है। मेरे यहां बयाना में केस नम्बर 74 और केस नम्बर 77 दर्ज हुआ है। जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जाकर उस केस को दबाया। धान्धु मीणा और धान्धु जाट के बारे में ?

श्री रघुनन्दन व्यास : नाम बतावें। प्रमाण बतावें कौन थे।

श्री शिवचरणसिंह : आप चुपचाप बैठे रहिये। आप नये हैं। मेरे पास बहुत लम्बी जानकारी है। आप बैठ जाइये। आप बैठे रहिये। आप हमारी बतायें और हम आपकी बतायें।

श्री रघुनन्दन व्यास : जरूर बताइये।

श्री शिवचरणसिंह : बताने के लिये ही तो यहां आये हैं। शक्ल देखने थोड़े ही यहां आये हैं।

(व्यवधान)

रतिलाल नाम के दो व्यापारी हैं। चुनाव लड़ने के लिये 40 हजार रुपया जनता पार्टी को चन्दा दिया है। उनके यहां चोरी का माल बरामद हुआ। जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने एडिशनल एस० पी० को दबा कर बरामदगी नहीं होने दी।

कई माननीय सदस्य : शेम ! शेम !

श्री शिवचरणसिंह : माननीय उपाध्यक्षजी, इन्होंने कहा है तो मैं और बताता हूं। खाने-पीने की चीजों में तंगी आयी। कितनी महगाई बढ़ी है। सबसे ज्यादा महंगाई तेल में बढ़ी। राजस्थान को भारत सरकार ने 3 हजार टन रेपसीड आइल दिया। उसमें 750 टन रेपसीड आइल आपने लक्ष्मी

(श्री शिवचरण सिंह)

आइल मिल कम्पनी, भोटवाड़ा को दिया। 300 टन आपने प्रीमियर वेजिटेबल आॅइल कम्पनी; भोटवाड़ा को दिया। यह 8.40 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से बेचने का था। सरकार के वरिष्ठ लोगों ने जोर डाला प्रशासन पर कि इसको नो लोस नो प्रोफिट पर बिकवाइये तो 7.40 रु० पर किलो ग्राम के हिसाब से यह फिल्टर करने के लिये दिया गया था....

(2.04 म० प०)

(मेजर श्री फतहसिंह, सभापति, पीठासीन)

बिना किसी कोटेशन के अपनी मर्जी से अलॉट किया। इस तेल के बारे में एतराज किया तो टेण्डर मांगे गये। टेण्डर इसके 7 रु० 40 पैसे आये। गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया ने 7.40 पैसे फिक्स कर दी रेट। प्राइवेट तौर पर जिन्होंने इम्पोर्ट किया था पहले उसका भी यही भाव था। भरतपुर की कुछ मिलें तेल को रिफाइन करने का काम करती हैं। सत्ता पक्ष के लोगों ने रिफाइन करने के लिये दे दिया। इसमें भ्रष्टाचार हुआ है....

(व्यवधान)

50 लाख का चन्दा सत्ता पक्ष के लोगों को दिया गया है। इस भ्रष्टाचार की जांच करायी जाय। जांच कराने पर आपको सारी बातों का पता चल जावेगा।

माननीय सभापतिजी; इस बजट के अन्दर इस प्रकार की कमियां रखी गयी हैं। खास तौर से वह फाइनेंस मिनिस्टर साहब बैठे हैं उनके ध्यान में लाना चाहूंगा। आपने सेल्स टैक्स में रियायतें दी हैं। एप्रोक्जिमेटली 82 करोड़ की इन्कम आंको गयी है सेल्स टैक्स से। अमूमन बजट के एस्टीमेट जब लगाते हैं तो यह परम्परा रही है कि 20 पर्सेन्ट ऊपर बजट से इन्कम बताते हैं; यदि 82 करोड़ के ऊपर 20 पर्सेन्ट का और लगायें तो 98 करोड़ के एस्टीमेट आते हैं। लेकिन आपने इसमें हेरा-फेरी करके दिखा दिया। 90 करोड़ का एस्टीमेट दिया है। इस प्रकार जो एस्टीमेट रखे जाते हैं वह सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट की अकर्मण्यता का सूचक हैं। पांच पांच, सात सात साल से इसी महकमें में आई. ए. एस. अधिकारी बैठे हुए हैं। कई कबाड़े कर चुके हैं। रिश्वत खाने वाले एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। उनकी अकर्मण्यता के कारण ही 8 करोड़ कम दिखाया गया है। जो सेल्स टैक्स में चोरी करते हैं, उनको खुली छूट दी है 8 करोड़ बटोरने की। इतना इसमें कम कर दिया, यह स्पष्ट प्रमाण है कि कितनी बजट में एनोमोली है। फाइनेन्स मिनिस्टर साहब बैठे हैं, उनको यह मैं बताना चाहता था।

श्री सम्पतराम : मैं माननीय सदस्य से उनके नाम जानना चाहता हूँ जिनके बारे में उन्होंने यह कहा कि कई कबाड़े कर चुके हैं और रिश्वत खा चुके हैं।

श्री शिवचरणसिंह : आप ही अन्दाज कर लीजिये कि पांच साल से कौन-कौन आई. ए. एस. अधिकारी सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं।

श्री सभापति : डिबेट चलने दीजिये जी।

श्री शिवचरणसिंह : मुझे कान्फीडेन्स में लेकर विश्वास दिला देंगे तो स्पेसिफिक एक्जाम्पल दूंगा कि ये भ्रष्टाचारी हैं। उसी प्रकार प्रमाण दूंगा जिस प्रकार बजट में से

(श्री शिवचरण सिंह)

निकाल कर दे रहा हूं, यह मैं निवेदन कर देना चाहता हूं। मैं निवेदन कर रहा था कि 1976-77 का 82 करोड़ का एस्टीमेट रखा है जब कि यह 98 करोड़ का होना चाहिये था क्योंकि 20 प्रतिशत अधिक निश्चित रूप से बनता है। 1976-77 का एक्साइज का बताता हूं। 15 पर्सेन्ट एक्साइज का अधिक बनता है। मैं खुद एक्साइज का डिप्टी मिनिस्टर रहा हूं। 15 से 20 पर्सेन्ट अधिक बनता है। 15 पर्सेन्ट इसकी आय बढ़ती है। लेकिन जो 27 करोड़ होनी चाहिये थी वह आपने 25 करोड़ ही रखी है। इन दोनों डिपार्टमेन्ट्स में खुली छूट दे दी है। 27 करोड़ और 98 करोड़ होनी चाहिये जब कि आपने 25 करोड़ और 80 करोड़ ही रखी हैं। 10 करोड़ रुपया व्यापारियों और आफिसरों के लिये काफी है। बजट एस्टीमेट्स में खुली छूट है।

एक बात और बताऊंगा। दो-दो मिनिस्टर हो गये। पार्लियामेंट के मेम्बर्स को कहा जाता था कि इन्डस्ट्रीज पर जितना लगा उतना रुपया लिया। पहले मिनिस्टर कहते थे, सेन्टर का काम होगा। अब रामकिशनजी और मास्टर साहब की लड़ाई शुरू है। इसमें भी एक कारण बताऊंगा। सारे भारतवर्ष में गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया का इनवेस्टमेन्ट 7,200 करोड़ रुपये का है। जो जनता पार्टी के माननीय सदस्य हैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह एम. पी. और केन्द्र सरकार में जो प्रतिनिधि हैं उनके ऊपर दबाव डालें कि हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया से मिले ताकि हमारे आर्थिक स्रोत बढ़ें और लोगों को रोजगार मिले। हमारे राजस्थान में गवर्नमेन्ट आफ इंडिया का 16 करोड़ का इनवेस्टमेन्ट है। यह साधारण इनवेस्टमेन्ट हमारे राजस्थान में है और गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया के कुल इनवेस्टमेन्ट का 2 पर्सेन्ट है यह बड़े अफसोस की बात है। इतना बड़ा प्रान्त है, इतना भारी पोटेन्शल है किसी मुल्क की मिलकियत चार सोर्सेस पर निर्भर करती है। यह हैं, खेती, पशुपालन जंगलात और मिनरल्स। हमारे प्रान्त के अन्दर चारों प्रकार के स्रोत हैं। खेती में हम सम्पन्न हैं। हम गंगानगर के इलाके को लें तो पायेंगे कि खेती के मामले में हम काफी सम्पन्न हैं। हम मिनरल्स के अन्दर भी बहुत सम्पन्न हैं....

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

माननीय सभापति जी, मुझे थोड़ा समय और दें।

श्री सभापति : मैं निवेदन करूं कि आपने 16 मिनट लेलिये हैं। आप पहले ही काफी समय ले चुके हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय सभापति जी, इन्हें थोड़ा समय और दिया जाये।

श्री सभापति : आप प्रगतिशील मोर्चे में हैं।

श्री शिवचरणसिंह : तो, माननीय सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि राजस्थान का इन्डस्ट्रियल काम्पलेक्स है इसमें ज्यादा से ज्यादा कारखाने हों क्योंकि हमारे यहां चारों तरह के स्रोत हैं, हमारे यहां मिनरल बेस भी है। हमारी पिछली सरकार ने जो गलतियां की हैं वह आपने भी की, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो या

(श्री शिवचरण सिंह)

इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट का मामला हो या गरीबों के उत्थान की बात हो तो आपका भी वही हश्र होने वाला है जो कि पिछली सरकार का रहा। जहां तक डवलपमेन्ट की बात है, माननीय सभापतिजी, इस बजट में यह बात कहें कि हमें आमदनी बढ़ानी है तो यह मैं फाइनेन्स मिनिस्टर साहब से कहना चहता हूं कि बहुत सी चीजों का सेल्स टैक्स फर्स्ट पाइन्ट की जगह थर्ड पोइन्ट पर कर दें। अगर आप चोरी करने वालों को पेट्रोनाइज करना चाहते हैं तो बात अलग है। मेरे इलाके में पत्थर का प्रोडक्शन है और बहुत ज्यादा है। इसके लिए सबसे पहला तो यह काम करें कि पत्थर की इन्डस्ट्री को आप नेशनलाइज करें, इसका आप राष्ट्रीयकरण करें। अगर यह समाजवादी सरकार है तो उसका राष्ट्रीयकरण करना चाहिए। इसमें 5 करोड़ की इन्कम सरकार को होगी। फाइनेन्स मिनिस्टर साहब मेरी इस बात को ध्यान से सुन लें। मास्टरजी जानते हैं कि यह कितनी बड़ी इन्डस्ट्री है। यह पत्थर, सोप स्टोन जापान, अमेरिका और दूसरे देशों को एक्सपोर्ट हो रहा है। मैं खुद भी उस काम को करता हूं लेकिन मैं इस राय का हूं कि राजस्थान सरकार अगर हिम्मत करतो है तो पत्थर इन्डस्ट्री का राष्ट्रीयकरण करे। सेल्स टैक्स पत्थर पर लगता है तो एक करोड़ की इन्कम बढ़ सकती है। अगर इसी तरह से करना चाहते हैं तो एक बात और कहना चाहता हूं आज हिन्दुस्तान के अन्दर प्रान्तों के बटवारे की बात चल रही है। उस बंटवारे के सम्बन्ध में केन्द्र के होम मिनिस्टर और दूसरे लोग कहते हैं। तो राजस्थान में पूर्वी और पश्चिमी दो हिस्से हैं। राजस्थान में पहले जो बजट पेश किये जाते रहे उनमें बड़ा भारी इम्बेलेन्स था। पूर्वी राजस्थान में सारे सोर्सेस हैं और तरक्की के जरिये हैं लेकिन वहां से कोई पालिटिकल बेकिंग नहीं था। अब मास्टर जो जैसे वरिष्ठ, अनुभवी और ईमानदार सदस्य मंत्रिमण्डल में हैं तो हमारे पूर्वी राजस्थान की तरक्की होनी चाहिए जिससे अब तक यह क्षेत्र वंचित रहा है। अगर राजस्थान के टुकड़े हों जैसे मध्यप्रदेश और यू. पी. की बात चलती है तो निश्चित रूप से टुकड़े हो जायें तो कोई भी एतराज की बात नहीं है। हमारा जो पूर्वी राजस्थान है वह 56 पर्सेन्ट रेवेन्यू सरकार को देता है और पश्चिमी राजस्थान में खर्च ज्यादा है और रेवेन्यू कम है। राजस्थान के बजट का बहुत कम हिस्सा पूर्वी राजस्थान में खर्च किया जाता है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य!

श्री शिवचरणसिंह : मैं दो मिनट और लूंगा।

श्री सभापति : आपके दल को 40 मिनट निर्धारित किये गये थे अध्यक्ष महोदय के द्वारा। आपसे पहले 31 मिनट बोल चुके हैं और 9 मिनट शेष थे। आपको 9 मिनट और 10 मिनट ज्यादा दे दिये हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : सभापति महोदय, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को जो समय मिला उससे वह कितना ज्यादा बोले हैं यह भी आपको मालूम है। फिर जैसी कि बात जानकारी में आई है कि वित्त मन्त्री जी और मुझ

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

मन्त्री जी कल उत्तर देंगे इसलिये समय बढ़ रहा है तो माननीय सदस्य को बोलने दें।

श्री सभापति : मैं आपकी भावना की कद्र करता हूं। जनता पार्टी को 13 घण्टे निर्धारित हुए थे। अब तक उसके सदस्य केवल 7 घण्टे 26 मिनट ही बोल पाये हैं और 5 घण्टे 34 मिनट बाकी है। इसमें से मैं 10-12 मिनट ही बोला हूंगा। उधर बोलने माननीय सदस्य भी हैं इसलिए आप इस सम्बन्ध में सहयोग करें, यह निवेदन करना चाहता था।

श्री शिवचरणसिंह : मैं पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान की बात कर रहा था। मन्त्रिमण्डल को यह देखना पड़ेगा कि पुराने जो प्रायोरिटी तय करने के तरीके हैं, आप ताज्जुब करेंगे कि माननीय मुख्य मन्त्री जी अभी एक प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने आये और वह मेजा फीडर का था, मैं बताना चाहता हूं कि इस प्रकार की अनइकानामिक स्कीम यदि आप लेंगे तो फिर आप राजस्थान का टार्गेट पूरा नहीं कर पायेंगे। जो भी प्लान प्रायोरिटी है उनसे रिटर्न नहीं होगा यही बात आपने भी दोहराई तो हमारा टार्गेट पूरा नहीं होगा और घाटे की ही व्यवस्था रहेगी।

दूसरे मैं रोजगार की बात कहना चाहता हूं। रोजगार का सबसे बड़ा जरिया रखा है एजूकेशन का। प्राइमरी और मिडिल स्कूल की संख्या जितनी कांग्रेस सरकार ने फिक्स की थी उससे कम है। मैं कहना चाहता हूं कि जो स्कूल बांटे हैं उनमें यह कहावत चरितार्थ हुई है कि अंधा बांटे रेवड़ी और घर घर को ही दे। मैं स्पष्ट बताना चाहूंगा कि मेरे इलाके में एक स्कूल पलसाना के अन्दर खुलना था। वहां लोगों ने मुझे वोट नहीं दिये और जनता पार्टी को वोट दिये हैं। शिक्षा मन्त्री जी ने वह भी काट दिया।

श्री प्रद्युम्नसिंह : जो हमारे शिक्षा मन्त्री है वह तो सुपर मुख्यमन्त्री हो रहे है इस मामले में।

श्री शिवचरणसिंह : आपको हर व्यक्ति को पढ़ाना पड़ेगा। ऐसे मामले में तो बिना राजनैतिक दृष्टि से फैसले करने चाहिए। मन्त्री महोदय ने अपने क्षेत्र में 6 स्कूल ले लिये और यह भी दया नहीं की कि एक दो हमको भी दे देते। मुझे नहीं तो ताराचन्द जी को ही दे देते। जनता पार्टी के सदस्य हैं, जो भले लोग है उनका भी स्कूल काट दिया। एक नगर क्षेत्र के अन्दर 6 सैकण्डरी स्कूल हैं और जनता पार्टी के 150 सदस्य हैं। अगर एक मन्त्रिमण्डल के सदस्य को इतने स्कूल दे दिये तो दूसरों का क्या होगा? कालेज जो खोले हैं वह पैसे लेकर खोले हैं। 8-8 लाख रुपये में एक-एक कालेज खुला है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

एक मिनट लूंगा।

मेरे क्षेत्र में एक खादी भण्डार है बयाना के अन्दर उसका एक नमूना बताऊंगा। मेरे पास वैसे 12 खादी भण्डारों के नमूने हैं। हमारे गोकुल भाई भट्ट अध्यक्ष हैं और चिरंजीलाल जी, जो कि पदाधिकारी रहे हैं, बड़े शुद्ध और पवित्र हैं। यह वही आदमी हैं जिनके ऊपर पहले कई तरह के आरोप लगाये गये........

श्री सभापति : माननीय, सदस्या बैठ कर बात करें।

श्री शिवचरणसिंह : मैं खादी भण्डार वाली बात अर्ज कर रहा हूं। मेरे यहां भण्डार है खादी का। फाइनेन्स मिनिस्टर उसके पदाधिकारी हैं। वहां कोली सूत नहीं बनाते हैं। केवल उच्च जाति के लोग ब्राह्मण और बनियों का खादी भण्डार में राज्य है और काफी हेराफेरी है। आप जैसे वरिष्ठ, नेक और ईमानदार आदमी पर भी आरोप लगायेंगे; इसलिए आप सचेत रहें। इतना कह कर, सभापति महोदय, आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति : श्री माधोसिंह कछवाहा

श्री माधोसिंह कछवाहा (सरदारपुरा): सभापतिजी, जो बजट वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया है उसकी सब जगह प्रशंसा हुई है। अधिकांश आम जनता ने भारी स्वागत किया है। बजट में कई अच्छी बातें हैं। बजट के ज्यादा मुद्दों पर न जाकर एक विशेष बात में जाना पसन्द करूंगा। वह यह है कि बजट भाषण के पृष्ठ 35 पर जो संदेश गरीबों के लिये लिखा है उसको दोहराना चाहूंगा "आज हमारे हाथ में जो सता आई है, वह इन्हीं फटे हाल, गरीब एवं पिछड़े हुए किन्तु साहसी लोगों के मतदान से आई है। यह 'शांतिमय क्रान्ति' इन्हीं मेहनतकशों के खुरदुरे हाथों का चमत्कार है। झुग्गी झोंपड़ियों से उगी इस क्रांति को हम भ्रष्ट प्रशासन व गंदी राजनीति में अस्त नहीं होने देंगे।

सभापति महोदय, जहां झुग्गी झोंपड़ी वालों की बात कही गई है जहां गरीबों को ऊपर उठाने की बात कही गई है। वहां अन्त्योदय योजना की बात कही गई है। मैं समझता हूं कि जब 6 तारीख को बजट भाषण दिया गया था उसके दो दिन बाद ही इस अन्त्योदय का मतलब सरकारी अधिकारियों ने कुछ और ही लिया है। मैं यह कहना चाहूंगा सरदारपुरा (जोधपुर) क्षेत्र का विधायक होने के नाते कि वहां पर झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोग जो हैं उनके मकानों को सरकारी अधिकारियों ने अर्थात वहां के नगर सुधार न्यास के अधिकारियों ने आर० ए० सी० और पुलिस को लेकर जिस तरह से तोड़ा है, मैं सोचता हूं वह कौनसी योजना है जिसका मैं नाम लूं या उनसे नाम पूछूं ? मैं कहना चाहूंगा कि इसका नाम इस कार्यवाही से अन्त्यास्त रखें। मैं कहना चाहूंगा कि अन्त्योदय योजना की भूरी-भूरी प्रशंसा हुई है लेकिन हमारे जोधपुर के अन्दर जो खदाना स्थान है वहां पर 80 लोगों के मकान बड़ी बेरहमी के साथ तोड़े गये। इसलिए मैं तो इसे अन्त्यास्त योजना कहता हूं। इस बजट भाषण में कहीं नगर नियोजन के बारे में कोई खास बात नहीं कही गई है। नगर नियोजन किस प्रकार होगा, किस प्रकार नहीं होगा उसके लिये कोई भी बात नहीं कही गई है। इन गरीबों के मकान तोड़ने के जब नोटिस इश्यू किये गये थे मैं उस समय जोधपुर में ही था। वहां पर मुझे उन लोगों ने बताया कि 80 रुपये का टेलिग्राम उन्होंने दिया है। मुख्य मंत्रीजी को तार दिया, नगर नियोजन मंत्री को दिया, चीफ सेक्रेटरी को दिया। जो उन्होंने 80 रुपये का तार दिया उसकी कीमत यह चुकाई कि 80 मकान तोड़े गये। जयपुर आने के बाद 2-3 दफा मैं नगर नियोजन मंत्री से मिला लेकिन उन्होंने तोड़फोड़ होने

(श्री माधोसिंह कछवाहा)

की कार्यवाही में आगे कोई कार्यवाही नहीं की। क्या यही तरीका है हमारी जनता पार्टी की सरकार के मन्त्रियों के काम करने का ? जनता सरकार की नीतियां अच्छी हैं मगर मंत्रियों को काम करने की फुरसत नहीं मिल रही है। यही अन्त्योदय योजना है ? गरीबों की तोड़फोड़ करके गरीब को और गरीब बना रहे हैं। मेरा निवेदन है कि उन आदमियों को, उन 80 आदमियों को अन्यत्र जमीन दिलाकर मकान निर्माण कराकर यदि सरकार देती है तो मैं समझता हूं कुछ उन लोगों को मैं समझा दूंगा लेकिन इस तरह की जो तोड़-फोड़ हो रही है, सरकारी अधिकारी जिस तरीके से मनमानी कर रहे हैं उसके लिये मुझे बड़ा दुःख है। मैं वित्त मंत्रीजी से कहूंगा कि जब आप अन्त्योदय योजना की प्रगति का अवलोकन करें कि 6 महीने में कितनी प्रगति हुई है तो इन बातों का भी ध्यान रखा जावे।

इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि वहां नगर सुधार न्यास ने नया तरीका अपना रखा है और वह तरीका यह है कि एक दुकान नीलाम की गई, उसके बाद उस दुकान की छत पर प्लाट बनाकर प्लाट के लिये वह छत नीलाम कर दी। इस प्रकार का जो रवैया नगर सुधार न्यास के अन्दर अपनाया जा रहा है उससे जोधपुर की जनता भारी दुखी है। इतना ही नहीं आज से पांच-साल पूर्व उस दुकान की नीलामी हुई थी वह इसलिये रद्द कर दी कि जब नीलामी हुई थी उस वक्त मौके पर कलेक्टर का जो प्रतिनिधि होता है उसके हस्ताक्षर नहीं हो सके। मैं कहना चाहूंगा कि नीलामी हो गई, पैसा ले लिया और सारे कागजात और डाकूमेन्ट्स दे दिए। 6 साल बाद नीलामी रद्द की जाती है यह कहां का न्याय है ! मैं कहना चाहता हूं कि नीलामी यदि होती है उसमें एक रुपये की चीज एक लाख में मिल सकती है और एक लाख की चीज एक रुपये में। इस तरह से अगर कैन्सिल करते हैं, इस तरह की अनियमिततायें बरतते हैं तो यह सहन नहीं की जायेंगी। इसका जवाब जनता तो देगी ही लेकिन जन प्रतिनिधि भी पीछे नहीं रहेंगे।

इसके साथ-साथ यह भी कहना चाहूंगा कि अभी तीन चार महीने पहले कुछ प्लाट नीलाम हुए थे। नीलामी के बाद एक महीना गुजर गया उसके बाद भी अगर कोई पहुंच जाता है और कहता है कि दो-हजार ज्यादा दे सकता हूं तो वहां के नगर सुधार न्याय के मन्त्री, वहां के अध्यक्ष, जो जिलाधीश भी हैं, नीलाम किया हुआ प्लाट रद्द करके पुनः नीलामी का नोटिस निकाल देते हैं। अगर नगर विकास न्यास के अन्दर, इस जनता सरकार के अन्दर वही होने लग गया है, तो मैं मानता हूं कि उन सरकारी आदमियों की आदतें जो बनी हुई हैं वह एकदम जाने वाली नहीं हैं। अगर जनता सरकार इस प्रकार देखती रही तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हम बरदाश्त नहीं करेंगे और हिन्दुस्तान की जनता भी उसको बरदाश्त नहीं करेगी। इसलिए, सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि इस मामले में आप सरकार का ध्यान आकर्षित करें। इसके साथ-साथ····

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

थोड़ा समय अगर आप दे सकें····

श्री सभापति : 1-2 मिनट और ले लें।

श्री माधोसिंह कछवाहा : एक दो मिनट का अहसान नहीं लूंगा।

श्री सभापति : आप तीन मिनट ले लें।

श्री माधोसिंह कछवाहा : सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा लोकतन्त्र के अन्दर अगर आप विधायक को नहीं बोलने देंगे तो आप चाहें तो मैं इस्तीफा दे दूं। आप पुनर्विचार करें। विधायक को 15-20 मिनट बोलने का मौका दीजिए। क्षमा चाहता हूं, सभापति महोदय, मैं बोलना बन्द करता हूं और विरोध में बैठ जाता हूं।

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर करता हूं।

यह बात आपके दल के बीच की है। या तो आसन पर छोड़ दिया जाय कि who catches the eye of chair he will get time ह्विप से लिस्ट आती है। आज 20 की लिस्ट है इसलिए निवेदन किया है। मैं आपकी भावना का अनादर नहीं करना चाहता हूं। आप 3-4 मिनट और बोल सकते हैं। आप जानते हैं जब फतह सिंह बोलता है तो वह भी आसन की घण्टी का पालन करता है। यह तो आपका समय है, मेरे से सम्बन्ध नहीं है।

श्री माधोसिंह कछवाहा : सभापति महोदय, मैं बड़ा आभारी हूं।

इस बजट के अन्दर जो बजरी और कंकर पर कर लगाया गया है उसके अन्दर यह बात कही गई है कि किसान को लाभ मिलेगा, यह बात गलत है। इससे तो ठेकेदारों को लाभ मिलेगा। बजरी, कंकर की हर आदमी को अपनी छोटी मोटी झोंपड़ी बनाने के लिए आवश्यकता होती है। हर कस्बे में, हर गांव में बजरी, कंकर सप्लाई करने वाले लोग मिलेंगे। अगर इस पर टैक्स लगाया गया तो मैं कह सकता हूं आपके अधिकारी उन छोटे-छोटे गांव और कस्बों वालों को भी परेशान करेंगे, तंग करेंगे और गांव वाले आपकी इस योजना से बहुत दुखी होंगे। बजरी और कंकर पर टैक्स लगाने से मैं ठीक अनुमान तो नहीं लगा सकता लेकिन जितनी आमदनी होगी उससे ज्यादा तकलीफ होगी। इसलिए जो मैसनरी पर टैक्स लगाया है, उसका तो मैं विरोध नहीं करता लेकिन जो बजरी और कंकर को शामिल किया है, उसका मैं विरोध करता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसको खत्म करें।

मैं एक और निवेदन करता हूं कि पन्द्रह रुपये के रेडीमेड कपड़े पर दुबारा सेल्स टैक्स लगाने की जो बात की गई है उसमें छोटे व्यापारी को ध्यान में रखना है। जो गांव में रेडीमेड कपड़े की दुकान होती है उस पर छोटे स्कूलों के लिए ड्रेस बिकती है वह एक करीब 5-6 रुपये की बिकती है और दोनों मिलाकर जो ड्रेस बनती है वह 14-15 रुपये में बिकती है। इसलिए जो छोटे व्यापारी रेडीमेड कपड़े बेचते हैं और जिनको गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं, उस पर से कर को वापस लिया जाय नहीं तो मैं समझता हूं जो बहुत कम धन्धा करने वाले लोग हैं वे प्रशासनिक सेल्स टैक्स के जो तौर तरीके होते हैं, उनसे दुखी होंगे। मेरा निवेदन है, वित्त मन्त्री जी इस पर गम्भीरता से विचार करें।

(श्री माधोसिंह कछवाहा)

मैं और भी कुछ बातें कहना चाहता था लेकिन मैं यह नहीं चाहता कि दुबारा घंटी बजे इसलिये सिर्फ इतनी बात और कहना चाहता हूँ, सभापति महोदय, जनता पार्टी या अन्य पार्टी का समय बांटने की बात नहीं है। इस सदन में कोई भी जन प्रतिनिधि, जो यहां विधायक बनकर बैठे हैं, बाहर कुछ भी कहें, वह कह सकते हैं लेकिन वह यहां नहीं बोल सकते। अगर यह बात सदन में है तो मैं यह कहना चाहूँगा जिस लोकतन्त्र....

श्री सभापति : मैं निवेदन करना चाहता हूँ कछवाहा साहब, जिस विषय पर आप बोलना चाहते हैं, उसी पर बोलें। इस उपदेश की आवश्यकता नहीं है।

श्री माधोसिंह कछवाहा : मैंने तो समाप्त कर दिया है। मैं तो इसलिये कहना चाहता हूं कि जो और बोलने वाले हैं, उनको बोलने का मौका दें।

एक माननीय सदस्य : ये तो दूसरों के लिये कह रहे हैं।

श्री सभापति : श्री नाथूराम।

(व्यवधान)

आपके दल का समय समाप्त हो चुका है। पहले उनको समय दूंगा। फिर आपको भी दूंगा Who catches the eye of the Chair, he gets time.

(व्यवधान)

I am very sorry.

श्री अब्दुल अजीज : मैं अर्ज करूं आपसे....

श्री सभापति : इस प्रथा के सम्बन्ध में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में लीडर लोग मिलकर विचार कर सकते हैं। अभी जो प्रथा यहां चली आ रही है उसी का पूरी तरह पालन करेंगे। आप बोलिये।

श्री नाथूराम : सभापति महोदय, मैंने रिक्वेस्ट की थी मुझे पहले समय दे दिया जाय।

श्री सभापति : आप तो बोलिये। आप उस समय बाहर गये थे।

श्री नाथूराम (बागीदोरा) : सभापति महोदय, जनता पार्टी सरकार ने जो प्रथम बजट सदन में प्रस्तुत किया है, मैं हृदय से उसका स्वागत करता हूं। वैसे बजट को देखने से मालूम होता है हमारे वित्त मंत्री महोदय ने बजट समाजवादी नीति की ओर ले जाने का प्रयत्न किया है कुछ प्रसंग समाजवाद के आये है लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जिनके बारे में मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करूंगा। वाणिज्यिक फसलों पर उप कर जो पिछली सरकार ने लगाया था और पिछले सत्र में हमारे माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये थे, उनकी भावनाओं का आदर करते हुये वित्त मंत्रीजी ने उस उप कर को समाप्त करने की घोषणा की है। उसके लिये उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ।

इसी तरह शराबबन्दी की भी कुछ जिलों में वित्त मंत्रीजी ने घोषणा की है। सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करता हूँ कि राजस्थान में सब जगह शराबबन्दी का कानून लागू होना चाहिये। जो खराब आमदनी है सरकार की उस खराब आमदनी का मैं विरोध करता हूँ। सरकार को चाहिये कि सारे

(श्री नाथूराम)

राजस्थान में शराबबन्दी करें ताकि गरीब लोगों को राहत मिले। आज शराब कौन पीते हैं? पैसे वाले लोग और गरीबों को फंसाने की कोशिश करते हैं। इसलिये निवेदन है कि शराबबन्दी जल्दी से जल्दी सब जिलों में लागू कर देनी चाहिये।

सभापति महोदय, बजट देखने से लगता है कि आम जनता और गरीबों की दुहाई देते हैं, पैरवी करते हैं लेकिन इस बजट में समाज कल्याण विभाग का नाम नहीं है। समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति और पिछड़े वर्गों के विषय आते हैं। उन पिछड़े हुये वर्गों के विषय में वित्त मंत्री जी ने कुछ नहीं बताया है। इसलिये मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करता हूं कि आज पिछड़े वर्गों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, उनको समाप्त करने की ओर सरकार ने कदम नहीं बढ़ाया है। मैं निवेदन करता हूं जनता पार्टी की सरकार को आदिवासियों पर और हरिजनों पर जो अत्याचार हुये हैं, उन पर अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिये। लेकिन सरकार ने अभी तक कोई सख्त कदम नहीं उठाये। मैं निवेदन करता हूं आज लाखों की तादाद में आदिवासी और हरिजन लोग हैं; उनको इस बजट द्वारा राहत पहुंचाइये। आपकी कथनी और करनी में अन्तर मत रखिये, प्रैक्टिकल करके बताइये। आपको उन अत्याचारों को मिटाने के लिये सख्ती से सजा देनी चाहिये। नहीं तो मैं यह कहता हूं कि पिछली सरकार इसके लिये कुछ नहीं कर सकी और यह सरकार भी इस विषय में असफल रह जायेगी।

सभापति महोदय, आपातकाल में हरिजनों और आदिवासियों पर अत्याचार हुये हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में जबरदस्ती नसबन्दी की गई है। जहां आदिवासी रहते हैं वहां कई आदिवासियों की नसबन्दी के कारण मौतें हुई हैं। सरकार ने जो घोषणा की है कि नसबन्दी में हुई मौत के लिए पांच हजार रुपया दिया जायगा लेकिन मेरे क्षेत्र में एक भी आदिवासी को अभी तक रुपये नहीं मिले हैं। मैंने पिछले सत्र में भी मांग की थी कि सरकार को कमीशन बैठाकर जांच करानी चाहिये। स्वास्थ्य मन्त्री ने घोषणा की है उसके अनुसार सरकार को कमीशन बैठाकर जांच करानी चाहिये और जिन गरीबों के ऊपर अत्याचार हुआ है, उन पर अत्याचार करने वालों को कड़ी सजा देनी चाहिये। जिनको नुकसान हुआ है नसबन्दी से उनको फायदा पहुंचाना चाहिये और जिनकी मृत्यु हुई है, उनके परिवार को सरकार द्वारा पांच हजार रुपये देने की तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिये। सभापति महोदय, मैं सरकार से निवेदन करता हूं, हमारे माननीय सदस्य हाउस में जो सुझाव देते हैं, सरकार उसका पूरी तरह पालन करे। अगर पालन नहीं करती है तो मैं सरकार की कमजोरी कहूंगा।

सभापति महोदय, इसी तरह आदिवासियों के लिये भारत सरकार ने जो योजना रखी है, उसके अन्तर्गत उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ तहसीलों में ट्राइबल सब-प्लान चल रहे हैं और उन पर करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है लेकिन सरकार यह नहीं देखती कि उसका सदुपयोग भी हो रहा है या नहीं।

(श्री नाथूराम)

पिछले सत्र में भी मैंने निवेदन किया था, ट्राइबल सब प्लान का जो रुपया खर्च हो रहा है उसकी सरकार को जांच करानी चाहिये।

सभापति महोदय, मैं आपको बताऊं कि हमारे वित्त मन्त्री ने घोषणा की है कि हम स्कूल अधिक खोल रहे हैं, 410 प्राथमिक शालाओं को मिडिल स्कूल में तथा 350 मिडिल स्कूलों को माध्यमिक स्कूलों में क्रमोन्नत कर देंगे। 102 करोड़ रुपयों का हमारा बजट है। सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से और वित्त मन्त्री से निवेदन करना चाहता हूं कि डूंगरपुर बांसवाड़ा, जहां पर ट्राइबल सब प्लान लागू हुआ है, में सरासर पक्षपात हुआ है। हमारे शिक्षा मन्त्री महोदय ने घोषणा की थी कि हमने इसका यह क्राइटेरिया बनाया है कि दस किलोमीटर में एक मिडिल स्कूल को सैकेण्डरी में क्रमोन्नत करेंगे। इसके आधार पर मैंने मेरे क्षेत्र के लिये मांग की थी लेकिन पचास-पचास किलोमीटर के एरिया में भी मेरे क्षेत्र में मिडिल स्कूल को क्रमोन्नत नहीं किया गया है। कोई प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल में और कोई मिडिल स्कूल सैकेण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत नहीं किया गया है। यह सरकार का सरासर पक्षपात है। हमारे यहां पर रुपया जरूर खर्च होता है, करोड़ों रुपया खर्च होता है लेकिन पक्षपात किया जाता है। मैं आपके द्वारा शिक्षा मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि गवर्नमेंट का, जनता सरकार का स्कूल-खोलने का क्राइटेरिया क्या था? आपने पक्षपात करके दो दो किलोमीटर में कोई स्कूल नहीं खोला है। आदिवासियों के साथ सरकार ने अत्याचार और अन्याय किया है। मैं, सभापति महोदय, यह जानकारी दे देता हूं हाउस को। मैं माननीय शिक्षा मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि आपने यह पक्षपात क्यों किया? इसी तरह से तबादलों में भी पक्षपात हुआ है। एक तरफ तबादलों पर बेन लगा हुआ है दूसरी तरफ जहां कहीं गुटबन्दी होती है, जो मिलने वाले होते है उनकी राय से तबादले हो जाते हैं। इसमें भी पक्षपात किया जाता है। सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जनता पार्टी की सरकार ने तबादलों में भी आदिवासियों और हरिजनों के साथ पक्षपात किया है। जिस तरह से जयप्रकाश बाबू ने कहा है, उनके कथनानुसार हमें वर्ग संघर्ष करना पड़ेगा। आदिवासी और हरिजन यह बरदाश्त नहीं करेंगे। आप कब तक पक्षपात करते रहेंगे? हम पिछली सरकार की तरह पक्षपात नहीं करने देंगे। सभापति महोदय, आदिवासी और हरिजनों के साथ में हर विषय में पक्षपात और अत्याचार होते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि जिस तरह का रवैया है वह बन्द करें और जिस तरह विधायक कहते हैं उसी तरह से प्राइमरी, मिडिल और सैकण्डरी स्कूल खोलने चाहिए। आप कहते हैं कि फन्ड नहीं है विषय खोलने के लिए। मैं आपको पूछता हूं कि ट्राइबल फन्ड से भी सैकेण्डरी, हायर सैकेण्डरी में आपको विषय खोलने पड़ेंगे। आप यह नहीं कह सकते कि हमारे पास फन्ड नहीं है। आप क्यों धन का दुरुपयोग करते हैं? मैं आपके द्वारा, सभापति महोदय, फाइनेन्स मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इन आदिवासी क्षेत्रों में पक्षपात को मिटायें। राजस्थान सरकार के धन का सदुपयोग

(श्री नाथूराम)

करिये। वहां पर गरीबी इतनी है, हजारों गरीब लोग हैं उनकी गरीबी मिटाने के लिए ट्राइबल सब प्लान के धन का सदुपयोग करिये। छोटे-छोटे उद्योग खोलिये और उनको राहत पहुँचाइये। वहां पर बाढ़ आई है, अभी बांसवाड़ा में बाढ़ आई, करोड़ों का नुकसान हुआ। सभापति महोदय, उस बाढ़ में कई लोग बेघरबार हो गए। बाढ़ कैसे आई, मैं आपको बताता हूं। मुझे मुख्य मंत्री महोदय ने श्री मेघवाल जी के साथ बांसवाड़ा भेजा था। मैंने वहां पर देखा कि माही योजना में सडेल डेम टूटा व नहर टूटी, इन्जिनियरों की बेवकूफी के कारण बांसवाड़ा शहर में पानी घुसा और लाखों-करोड़ों का नुकसान हुआ। इस तरह से जब बाढ़ आई तो मामूली राहत दी गई। माही योजना फन्ड से राहत पहुंचावें। मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करता हूँ कि ट्राइबल सब प्लान के फन्ड का उपयोग करके अतिवृष्टि से बाढ़ में जो नुकसान हुआ है उसमें राहत पहुँचानी चाहिये। इसी तरह से वहां पर खाने को नहीं है। खाद्य समस्या ऐसी है कि लाखों आदिवासियों को खाने के लिए नहीं है लेकिन वहां पर सड़ा हुआ माइलो दिया जाता है। मैंने पिछले सत्र में माइलो सदन की टेबल पर रखा था लेकिन सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। गुजरात में जो माइलो पशुओं के खाने के लिए नीलाम किया गया उसे बांसवाड़ा के व्यापारियों ने खरीदा और लोगों के सर मंढ दिया। एक तरफ बाढ़ से वहां फसल नष्ट हो गई। दूसरी तरफ गरीबों को मक्का आदि अनाज नहीं मिलता है। इसलिए, सभापति महोदय मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर का जो पहाड़ी क्षेत्र है उस पहाड़ी क्षेत्र में मजदूरी और अनाज देने की व्यवस्था करें। आदिवासियों का खाना मक्का है लेकिन मक्का के वहां पर दर्शन नहीं होते हैं। फसल खत्म हो गई लेकिन कोई राहत कार्य शुरू नहीं किया है। सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करता हूँ कि आपको इमीजिएटली वहां पर राहत कार्य खोलने चाहिए और लोगों को मजदूरी पर लगाए जाने की व्यवस्था करनी चाहिए। उनके बच्चे भूखे मरते हैं। आज सरकार को इस विषय को प्राथमिकता देनी चाहिए।

सभापति महोदय, इसके अलावा उस क्षेत्र के अन्दर राहत कार्य आरम्भ करने की मैं मांग करता हूँ जहां पर रिकवरी हो रही है। मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूँ कि इनने, माननीय सदस्यों ने जब स्थिति उनके सामने रखी तो मुख्य मंत्रीजी ने रिकवरी के लिए तो आदेश कर दिए लेकिन राहत कार्यों के लिए आदेश नहीं किए हैं। इसलिए उदयपुर डिविजन में जो पहाड़ी क्षेत्र है जहां पर नुकसान हुआ है, फसल नष्ट हो गई है वहां पर तुरन्त राहत कार्य आरम्भ करें और जल्दी से जल्दी राहत पहुँचायें।

सभापति महोदय, इसी तरह से पिछली सरकार ने और इस सरकार ने भूमि सुधार के कानून बनाये हैं उसके लिए तो मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ। लेकिन कानून का पालन नहीं हो रहा है। 1971 से पूर्व आदिवासियों ने नाजायाज कब्जे लिए थे, सरकार का कानून है कि जो भूमिहीन हैं और जिन्होंने नाजायज कब्जे किए हैं उनको रेगुलराइज करा देना चाहिए। पिछली सरकार के सामने भी मैंने हाउस में

(श्री नाथूराम)

निवेदन किया था लेकिन सरकार ने उसकी पालना नहीं की। अब मैं वर्तमान सरकार से निवेदन करता हूं कि जो भी भूमि सुधार के कानून बने हैं उनकी पालना करानी चाहिए। 1971 से पूर्व हजारों भूमिहीन आदिवासियों ने नाजायज कब्जे किए हैं उनको रेगुलराइज नहीं किया जा कर उनसे पेनल्टी वसूल हो रही है। मेरा निवेदन है कि उनकी पेनल्टी माफ होनी चाहिए। जिनसे पटवारियों को रुपया रिश्वत में नहीं मिला उनका रिकार्ड में इंद्राज नहीं किया और वे रेगुलराइज नहीं हुए। मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करता हूं कि जिलाधीशों को आदेश देना चाहिए कि जो 1971 के पहले के काबिज हैं उनको खातेदारी हक देना चाहिए। आपके कानून में इसका प्रावधान है। केवल कानून बना देने से राहत नहीं पहुंचती, उन कानूनों की पालना होनी चाहिए।

सभापति महोदय, इसी तरह से कडाणा बांध का प्रश्न है। गुजरात सरकार ने करोड़ों रुपया दिया है लेकिन उस रकम का दुरुपयोग हुआ है। सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आज कडाणा बांध का 380 फीट पर पानी रोक दिया है जिसकी वजह से बाढ़ आई। गुजरात सरकार पानी बन्द नहीं कर रही है, बांध पूरा कर रही है इस कारण राजस्थान सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ है। राजस्थान सरकार कमजोर साबित हुई है। एक भी इंच भूमि कमाण्ड एरिया की सरकार नहीं ले सकी है। राजस्थान केनाल क्षेत्र के अन्दर पंजाब के लोगों के वास्ते लाखों एकड़ भूमि रिजर्व रखी गई थी और उनके पुनर्वास की व्यवस्था की गई थी लेकिन राजस्थान की पिछली सरकार निकम्मी साबित हुई है वह कमाण्ड एरिया में कोई भूमि नहीं ले सकी है। मैं जनता पार्टी की सरकार से निवेदन करूंगा कि जो आदिवासी व हरिजनों और अन्य कृषक कडाणा बांध से प्रभावित हुए हैं, उनको सरकार जमीन पहले दे और उनके पुनर्वास की पूरी व्यवस्था करे। जो लोग नदी के किनारे खतरे में रहते हैं उनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसके साथ ही गुजरात सरकार ने फण्ड दिया है उस फण्ड में से लाखों रुपये का दुरुपयोग हुआ है। गरीबों के नाम पर लाखों रुपयों का भ्रष्टाचार हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे माही परियोजना से विस्थापितों को बसाने का सवाल हो, चाहे कडाणा बांध के विस्थापितों को बसाने का विषय हो उनके लिए गुजरात सरकार से फण्ड लेना चाहिए और उनके लिए कमाण्ड एरिया में भूमि लेनी चाहिए।

एक बात और निवेदन कर देना चाहता हूं। भारत सरकार ने जो सर्वे की है वह गलत हुई है। जो गांव नदी के किनारे बसे हुए हैं वह हर साल बाढ़ से प्रभावित होते हैं। बांसवाड़ा जिले में ऐसे कई गांव डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में भी है जहां पर हर साल बाढ़ आती है। हर साल गांव बाढ़ से प्रभावित होते हैं। इसलिए मैं, सभापति महोदय, आपके द्वारा

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, यह राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी है

(श्री नाथूराम)

कि बाढ़ के खतरे से बचने के लिए लोगों को मदद दे। राजस्थान सरकार को इसका जिम्मा लेना चाहिए और कलेक्टर को आदेश देना चाहिए कि वह उनके पुनर्वास में सहयोग करे।

सभापति महोदय, इसी तरह से बाल विकास योजना गढ़ी में चल रही है। भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को यह प्रोजेक्ट दिया है और राज्य सरकार ने मेरे क्षेत्र मे गढ़ी पंचायत समिति को यह यह प्रोजेक्ट दिया है वहां पर एक योजना अधिकारी भ्रष्ट और करप्ट है। उसके बारे में मैंने पिछले समय में भी कहा था और आज भी निवेदन करता हूं कि यदि इस सप्ताहांत में जांच करके उसका तबादला नहीं किया तो मैं उस क्षेत्र के लोगों को सचेत करूंगा और अधिकारियों के विरुद्ध कदम उठाना पड़ेगा।

मैं सरकार को यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर जो महिला कार्यकर्ता नर्स और दूसरे जो काम करने वाले कार्य कर्ता हैं, उनमें भ्रष्टाचार व करप्शन फैला हुआ है। इसलिए जनता पार्टी की सरकार को यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसको मिटावे। अगर यह सरकार करप्शन नहीं मिटायेगी तो फिर पिछली सरकार और इस सरकार में क्या अन्तर है। आखिर आदिवासी क्षेत्रों का इतना शोषण क्यों हो रहा है, चाहे माही परियोजना हो चाहे कडाणा के विस्थापितों की पुनर्वास योजना हो, सब जगह भ्रष्टाचार है। मेरा निवेदन है कि वहां जो भ्रष्ट लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जावे और उनको सजा दी जावे। यह मेरा सरकार से निवेदन है।

श्री सभापति : कृपया आप हमें सहयोग करें।

श्री नाथूराम : मेरी यह मांग है, मुख्य मन्त्रीजी से भी निवेदन है और हाउस से भी कहता हूं कि इसकी इन्क्वायरी करवाई जावे और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जावे। सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए।

इसी तरह से सर्विसेज में पक्षपात हो रहा है, आदिवासियों के लिए सरकार का जो आर्डर है, जो फर्स्ट ग्रेड शिक्षकों के अन्दर पचास परसेन्ट प्रमोशन का कोटा है, शिक्षा मन्त्री जी उसका पालन नहीं कर रहे हैं। स्कूल खोलने में भी पक्षपात किया गया है। यह मैं उनके मुंह पर कह रहा हूं। जो ट्राइबल एरिया का फण्ड था, उसका दुरुपयोग किया गया है। मेरा निवेदन है कि आइन्दा ट्राइबल एरिया के फण्ड का दुरुपयोग नहीं किया जाए। जो बी० ए०, एम ए० पास आदिवासी लड़के हैं, उन भील नवयुवकों को आगे बढ़ाने की कार्यवाही की जाए। किसी भी मन्त्री ने, चाहे वह समाज कल्याण मन्त्री हो, शिक्षा मन्त्री हो, उनको आगे बढ़ाने को कोशिश नहीं की है। इसके अलावा, सभापति महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आदिवासी छात्र टेक्निकल एजूकेशन चाहते हैं, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना चाहते हैं और अपने एरिया में सूखी भूमि में पानी चाहते हैं। इन तीन चीजों को आप पूरा कर दें तो उन लोगों का आर्थिक उत्थान अपने आप हो जाएगा अगर आप यह नहीं कर पाते हैं तो पिछली सरकार और आपकी सरकार में क्या अन्तर है। हम इसको बरदाश्त नहीं करेंगे। आज तबादलों में भी पक्षपात किया जाता है। ये कुछ

(श्री नाथूराम)
ऐसी बाते हैं जो मैं पार्टी मीटिंग में कहूंगा, यहां नहीं कहना चाहता हूं। मेरा यही निवेदन है कि आदिवासी, हरिजनों के साथ अन्याय हो, पक्षपात हो, यह हम बरदाश्त नहीं करेंगे।

श्री सभापति : कृपया अब समाप्त करिए।

श्री नाथूराम : दो मिनट।

इस सदन में 25 आदिवासी विधायक हैं। लेकिन शायद मैं पहला ही बोल रहा हूं। दूसरे किसी को अभी मौका नहीं मिला है। हमारे साथ मुख्य सचेतक महोदय भी पक्षपात करते हैं। इसलिए हम चेयर से न्याय की आशा करते हैं। आदिवासियों के साथ पिछली कांग्रेसी सरकार भी पक्षपात करती थी। अगर जनता पार्टी की सरकार ने भी अन्याय, पक्षपात किया तो हम इसको बरदाश्त नहीं करेंगे। श्री जयप्रकाशनारायण जी के आशीर्वाद से एंव इनके संकेतानुसार वर्ग संघर्ष करेंगे। हम अन्याय को बरदाश्त नहीं करेंगे।

इसी तरह से कृषि के अन्दर, किसानों के साथ भी अन्याय किया गया है। बिजली मंहगी है। काश्तकार उसको नहीं ले सकता बिजली को रेट हाई है। इसी तरह से खाद कितना मंहगा है। गरीब किसान अपने खेत में खाद नहीं डाल सकता। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप समाजवाद की नीति की ओर जाना चाहते हैं, तो गरीब काश्तकारों की भलाई के लिए भी कुछ कीजिए। कार्मशियल काप से आपने सैस हटा दिया, उसको समाप्त कर दिया, इसके लिए मैं वित्त मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं।

इसी तरह से सहकारिता के अन्दर भ्रष्टाचार है। समय का अभाव है इस लिए इस सम्बन्ध में मैं मांग पर विचार के समय कटौती प्रस्ताव के जरिए ही सरकार को निवेदन करूंगा। सभापति महोदय, आज किसानों को ऋण लेने में कठिनाई हो रही है। उनसे जो ब्याज लिया जाता है, वह भी ज्यादा है। इसलिए इस ब्याज को कम किया जाना चाहिए और उनको ऋण समय पर दिया जाए।

लाटरी प्रथा आपने समाप्त कर दी, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति : अब आप समाप्त कर दीजिए।

श्री नाथूराम : सभापति महोदय, आपने समय दिया; इसके लिए मैं हृदय से आपको धन्यवाद देता हूं। शेष निवेदन मैं मांगों पर कटौती प्रस्ताव के जरिए करूंगा।

श्री सभापति : श्री विजयेन्द्रपालसिंह।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, अलवर जिले से 9 जनता पार्टी के सदस्य चुन कर आए और दो विपक्ष के। चार दिन से बहस चल रही है। आपसे अनुरोध है कि उन्हें मौका दिया जाए ताकि वे भी अपने जिले की समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकें।

एक माननीय सदस्य : मेरा पांचवां स्थान था।

श्री सभापति : आपका ध्यान रखा जाएगा। आपका नम्बर जरूर पांचवां है परन्तु मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि श्री विजयेन्द्रपालसिंह अपनी मेडन स्पीच देना चाहते हैं इसलिए उनको मौका दीजिए आप मुझे सहयोग करें।

श्री विजयेन्द्रपालसिंह (भासीन्द) : आदरणीय सभापति महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने यह जो परिवर्तित बजट प्रस्तुत किया है, इसके समर्थन में मैं दो चार बातें अर्ज करना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में मेरे दो चार सुझाव भी हैं जिनको मैं आपके द्वारा सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं।

श्री सभापति : मैं रिपोर्टर्स से निवेदन करूंगा, जो हाउस स्टेनोज हैं, वे इसको लिखने की कोशिश करें।

श्रीविजयेन्द्रपालसिंह : सभापति महोदय, यह जो डेफिसिट बजट 58 करोड़ रुपये का पेश किया गया है, इसके बारे में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इसके अन्दर जो प्रायोरिटोज, प्राथमिकताएं दी गई हैं, वे बिलकुल ठीक है। ये किसानों के हित में हैं इसके द्वारा हमारी इकोनोमी को बूस्ट मिलेगा और यह इन्फ्लेशन को भी कन्ट्रोल करेगा। जो कांग्रेस के सदस्य माथुर साहब ने कहा, वह काफी गलत है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अपने राजस्थान की, अपने भारत की जो इकोनोमी है, वह एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनोमी है। और यहां पर जो अमेरिका, यूरोप की बातें करते हैं, रिसेशन, इनफ्लेशन, यह जारगन है। इंगलिश लैंग्वेज के ऐसे शब्द हैं जो हमारे यहां की परिस्थितियों में काफी गलत साबित हुए हैं। यहां की स्थिति को देखते हुए आज जो हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनोमी है, उसके अन्दर सब से मोटी बात यह है कि अगर मानसून साथ दे तो रिसेशन के अन्दर भी एकदम बूस्ट मिल जायगा और इकोनोमी रिसेशन से बाहर निकल जायगी। सन् 1972 के अन्दर आइल हाईक हुआ था। आइल प्राइस हाईक के कारण जो वर्ल्ड आइल प्राडक्शन में रिसेशन आया था तब भी भारत के अन्दर इतना असर नहीं पड़ा। इसका कारण यह है कि हमारे यहां पर वर्ष 1972, 1973 और 1974 में मानसून ने साथ दिया। अगर नेचरल कैलेमिटीज को हम कंट्रोल कर लें तो एक बड़ी चीज हमारे यहां पर यह हो जाएगी कि और जो इन्फ्लेशन, रिसेशन के शब्द यहां पर कहे गये हैं, वे अपने आप यहां पर गलत साबित हो जाएंगे। हमारे भारत की स्थिति इसके लिए काफी गलत है। इस साल भी आप सब जानते हैं कई जगह फ्लड आए हैं और उसके बाद फेमिन कन्डीशन हो गई। मेरे इलाके के बारे में मैं आपको यह अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे यहां पर एवरेज रेनफाल 25-30 इंच है, आसीन्द क्षेत्र के अन्दर 12 से 15 इंच बरसात ही हुई है। इसलिए वहां पर फेमिन वर्क जरूर चालू करना चाहिए।

मैं अब दूसरी बात इस जनता सरकार के बजट के बारे में कहना चाहता हूं। एम्पलायमेन्ट पालिसी के बारे में दो-तीन बातें इस बजट में आई हैं। इसके बारे में अर्ज करना चाहूंगा कि दो तरह की एम्पलायमेन्ट की प्राब्लम अपने यहां पर है। जो शिक्षित हैं, एजूकेटेड हैं एक तो उनकी प्राब्लम है और दूसरी जो अनएजूकेटेड हैं, उनकी प्राब्लम है। अगर आप गांवों में कहीं भी जायेंगे तो देखेंगे, वहां जो सबसे बड़ी प्राब्लम है वह अनएजूकेटेड एम्पलायमेन्ट की प्राब्लम है। लघु उद्योगों के बारे में बजट भाषण में लिखा है "शिक्षित वर्ग में बेकारी और बेरोजगारी भीषण विभीषिका बन गई है। हमारी सरकार का यह विश्वास है कि ऐसे नवयुवकों को स्वावलम्बन का प्रोत्साहन मिले, और उन्हें रोजगार सुलभ हो।" मेरा निवेदन यह है कि राज्य

(श्री विजयेन्द्रपालसिंह)

सरकार की पालिसी के सम्बन्ध में कि अनएजुकेटेड एम्पलायमेन्ट की जो प्राब्लम है, अगर आप उसको इस प्रकार सोल्व करना चाहें कि अनएजुकेटेड को अर्बन टाउन में नौकरी में लगा दे तो वह गलत है। इस बात पर हमारी सरकार विचार करे। मैं यह भी कहना चाहता हूं, कोई गांव का शिक्षित हो गया है तो उसका बाप जो काम करता आ रहा है, उस काम के लिए वह सोचता है कि वह गलत है। जो उसका खानदानी वर्क है, अगर वह करे तो उसको उसमें ज्यादा लाभ है बजाय इसके कि वह कहीं क्लर्क बन जाय या टीचर बन जाय इससे उसको क्या लाभ है? मैं अर्ज करना चाहता हूं कि एक मोची शिक्षित बन जाता है तो वह गांव में भी आगे बढ़ सकता है। वह ग्राम सभा में भी आगे बढ़ सकता है क्योंकि शिक्षित होने के कारण उसमें एक्सपर्ट पोटेंशियलिटी है। वह गांव से जाकर कई प्रकार के आर्डर लाकर सभी के लाभ के लिए बहुत सारी बातें कर सकता है। शिक्षित एग्रीकल्चर भी करे तो मैं कह सकता हूं कि जो इर्रिगेटेड लैंड है उस पर नई टेक्निक के द्वारा एग्रीकल्चर कर पांच-दस बीघे में ही हजारों रुपये कमा सकता है, Hydroponics पढ़ कर फायदा उठा सकता है। वह हजारों रुपये कमा सकता है।

दूसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो पेयजल की व्यवस्था सरकार ने की है, उसमें एक ही खामी रही है। आज जो ड्रेनेज सिस्टम है; वह ठीक नहीं है; आज गांवों में मलेरिया फैल रहा है। मलेरिया की रोकथाम के लिए सरकार कदम उठा रही है। उसकी मैं सराहना करता हूं। मैं अर्ज करना चाहता हूं, आज मलेरिया बहुत फैल रहा है। अगर मनोहरसिंह जी मेहता दारूबन्दी के बजाय मलेरिया की रोकथाम के बारे में ध्यान दें तो ज्यादा लाभ होगा। मलेरिया से मरने वालों की संख्या देश में 1974 में 1,75,000 थी, 1975 में डबल हो गई 3 लाख 57 हजार और 1976 में 4 लाख 12 हजार हो गई है। अखबारों में यह निकला है कि दारू के कारण खतरा है। लेकिन मेरा निवेदन है कि मलेरिया के कारण खतरा है। मलेरिया की रोकथाम के जो नये साधन हैं उनको आप अपनायें। मलेरिया की रोकथाम के लिये मछलियों के जो साधन हैं उनको अपनायें। दो मछलियां हैं गप्पी और गम्बूजीया जिन में से एक साफ पानी में डाली जा सकती है और दूसरी गन्दे पानी में। इस प्रकार से सभी साधनों से मलेरिया पर कण्ट्रोल होगा।

मैं प्रशासनिक खर्चे में बचत के बारे में सुझाव देना चाहता हूं। इस बारे में मेरा निवेदन है कि भारत के जितने भी और प्रदेश हैं, उनका एक पब्लिक रिलेशन्स आफिसर दिल्ली में है जो कि सीनियर आई. ए. एस. होता है। उसके दो काम होते हैं। जो भी सरकारी काम सेक्रेटेरियट लेवल का होता है, वह वहां पर करा सकता है। दूसरे वह वर्ल्ड बैंक के कामों में भी उपयोगी हो सकता है महाराष्ट्र सरकार ने एक सीनियर आई. ए. एस. को रख रखा है। गुजरात सरकार ने एक सीनियर आई. ए. एस. को लगा रखा है। लेकिन आपने एक आर. ए. एस. को लगा रखा है। उसको तो एक डिप्टी सेक्रेटरी भी अपने कमरे में नहीं घुसने देगा। मैं तो निवेदन करूंगा लेकिन मनोहरसिंहजी मेरे से नाराज हो

(श्री विजयेन्द्रपालसिंह)

जाएंगे। सरकार इस बात को सोच सकती है। अगर उसको नशाबन्दी करनी है तो वह एक बार कर दे ताकि उसके जो परिणाम होंगे वे मनोहरसिंहजी को भी पता लग जायें और हम को भी पता लग जाये। इस काम में इतनी देर क्यों की जा रही है, यह बात मेरी समझ में नहीं आती, मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ, आप एक कमेटी इस काम के लिए बनादें। वह कमेटी शराबबन्दी के बारे में विचार करे। मैं यह भी सुझाव सरकार को देना चाहता हूं, नशाबन्दी किस प्रकार हो सकती है, इस बारे में भी यह कमेटी विचार कर अपनी रिपोर्ट दे। गुजरात में प्रोहिबिशन है, इसलिये यह कमेटी वहां जाकर अध्ययन करे। मैंने आज तक 'राजस्थान पत्रिका' में यह नहीं पढ़ा कि इतने आदमी दारू पीने के कारण मर गये, जब कि गुजरात के समाचार पत्रों में ऐसे समाचार पढ़ने को मिलते हैं कि इतने आदमी दारू पीने के कारण मर गये। मैं भी चार साल तक गुजरात में रहा हूँ। मेरी समझ में नहीं आता, प्राहिबिशन होने पर भी यह कैसे हुआ कि इतने आदमी मर गये। मेरा तो यह कहना है कि यह कमेटी हर जगह जाकर इसका अध्ययन करे और अपने सुझाव सरकार को पेश करे। मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि गुजरात में भी पूरी तरह से शराबबन्दी नहीं हुई है। वहां भी शराब चालू है और लोग छिपकर पीते है। किन्हीं माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि शराब खोरी पर अबंन एरिया में बेन लगाई जाय। मैं यह कहना चाहता हूं और मनोहरसिंहजी मेहता भी इसका समर्थन करेंगे कि जो प्रोहिबिशन लागू करना चाहते हैं वह गरीबों के लिये लागू करें। अमीरों के लिये प्रोहिबिशन लागू नहीं किया जाय। गरीब आदमी दो-चार-पांच रुपया कमाता है और वह पीने में खर्च कर देता है, यह बहुत दुःख की बात है। उसको पैसे बचाने चाहिए लेकिन वह नहीं बचा पाता है। इसलिये मेरे कहने का मतलब यह है कि किस प्रकार से इसको जल्दी से जल्दी लागू किया जा सकता है, इस पर विचार किया जाय। मैं इतना ही अर्ज करना चाहता हूं, धन्यवाद। ❀

❀राजस्थानी भाषण का हिन्दी रूपान्तरण

श्री सभापति : श्री सुरेशकुमार !

श्री सुरेशकुमार (भरतपुर) : सभापति महोदय, मेरे नाम के आगे से शर्मा शब्द हटा दिया जाय और भविष्य में कृपया मेरे नाम के आगे शर्मा नहीं लगाया जाय।

श्री सभापति : जो लिस्ट है उसके अनुसार नाम बोला गया है। I am sorry.

श्री सुरेशकुमार : सभापति महोदय, पिछले दिनों इसी सदन में बजट की बहस के दौरान विरोधी पक्ष की बेंचों से दुर्भिक्ष और बाढ़ के बारे में विचार प्रकट करने के लिये भूतपूर्व सरकार के वित्त मन्त्री, जो माननीय सदस्य डीडवाना से आए हैं, ने बड़े जोर से इस सदन के अन्दर कहा कि कांग्रेस ने जब जनता पार्टी को राज सौंपा तो कोई खास लायबिलिटी या डेफिसिट नहीं छोड़ा। सभापति महोदय, मैं पहले आपके सामने 1951 से 1975 तक के आंकड़े प्रस्तुत करते हुए राजस्थान की वह तस्वीर बता देना चाहता हूं जो उन माननीय

(श्री सुरेशकुमार)
सदस्य की सरकार ने सवा आठ अरब रुपये से अधिक खर्च करके राजस्थान की तस्वीर छोड़ी है।

राजस्थान के विकास में आज हमारा क्या स्तर है; 62 प्रतिशत गांवों के अन्दर पेयजल की कमी है। कुल जोत के केवल 17 प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई होती है। राजस्थान शिक्षा की दृष्टि से 21वां स्थान रखता है। शहरों में 1764 आदमियों के ऊपर एक डाक्टर है और राजस्थान के गांवों के अन्दर 31241 आदमियों के ऊपर एक डाक्टर है। विद्युतीकरण में राजस्थान का देश में 15वां स्थान है। 3 लाख पढ़े-लिखे लोग बेरोजगार हैं जो उस बाढ़ और दुर्भिक्ष की सरकार ने इस राजस्थान के अन्दर जनता पार्टी की सरकार को जान के लिये छोड़े फिर भी वह कहते हैं कि हमने कोई लायबिलिटी या डेफिसिट नहीं छोड़ा। बड़ा ढिंढोरा पीटा गया कि आपातकाल के अन्दर थोक भावों के सूचकांक उस सरकार के समय में गिरे। 16 जनवरी, 1976 में थोक भावों का सूचकांक 8.2 प्रतिशत गिरा, लेकिन कब; जब 16 जनवरी, 1975 को उन पदार्थों का सूचकांक 16 प्रतिशत बढ़ चुका था। कहा जाता है कि खाद्य-पदार्थों में उस काल में 13.90 प्रतिशत की गिरावट आई; और औद्योगिक कच्चा माल जैसे—रूई, पटसन, लोहा आदि में 19.40 प्रतिशत की गिरावट आई। माननीय सभापति महोदय; औद्योगिक तैयार माल के भावों में केवल ·08 प्रतिशत की गिरावट आई है। एक तरफ तो कच्चे माल के भाव गिरे 19.40 प्रतिशत और 13.90 प्रतिशत और दूसरी तरफ तैयार माल के भाव गिरे .08 प्रतिशत, इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि गरीबों को कितना लूटा गया, किसानों को कितना लूटा गया। सभापति महोदय, हिंदुस्तान के साम्राज्यवादी और पूंजीवादी राज्य के काल में, इस सारे अर्से के अन्दर, पूंजीपतियों के लाभ के लिए ऐसा स्वर्णिम युग आया जिसमें गरीब जनता को लूटा गया और पूंजीपतियों की पूंजी कई गुना अधिक बढ़ी। गरीब किसान और बड़े किसान में भी फर्क हो गया। कुछ पुराने लोग, जो समझदार हैं, इस बात का अनुमान लगायें कि चावल के थोक भावों का सूचकांक 14. 40 प्रतिशत गिरा, गेहूं के थोक भावों का सूचकांक 18 प्रतिशत गिरा, ज्वार का 24. 40 प्रतिशत गिरा और बाजरे का 55 प्रतिशत गिरा। ज्वार और बाजरा कौनसी जमीन पर पैदा होता है? वह उस जमीन पर पैदा होता है जिस पर सिंचाई नहीं होती, और पानी के साधन नहीं होते वह गरीब किसान की जमीन होती है जो सिंचाई के साधनों का उपयोग नहीं कर सकता। आप अन्दाज लगाइये, सबसे गरीब किसान ज्यादा लुटा और सबसे बड़े किसान ने मोटा माल, पैदा किया और पैदा करता वही है उन महाशयों के जमाने की तस्वीर।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मुझे निवेदन करना है कि आप अपने विचार व्यक्त करें।

श्री सुरेश कुमार : सभापति महोदय, मैं अपने विचार व्यक्त करूंगा, पहले उनकी तस्वीर बता दूंगा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : तब तक आपका टाइम खत्म हो जायगा।

श्री सुरेश कुमार : इससे आपको क्या तकलीफ है।

श्री सभापति : अच्छा आप बोलिये।

श्री सुरेश कुमार : इतना कूड़ा-करकट जो इस प्रान्त में छोड़ा गया, वह माननीय वित्त मंत्रीजी किस प्रकार से ,साफ कर पायेंगे...

श्री सभापति : आप सुझाव दें, कृपया।

श्री सुरेशकुमार : मैं सुझाव दे रहा हूं, श्रीमन्।

श्री सभापति : आप कोई कान्क्रीट बात कहें। आप इस तरह से बोल रहे हैं, मानो गवर्नमेन्ट की तरफ से जवाब दे रहे हैं। आप रेलेवेन्ट बात कहिये।

श्री सुरेशकुमार : मुझे अपनी पार्टी की सरकार की स्थिति को सुदृढ़ दिखाना है, यदि कमजोर होगी तो वह भी बताऊंगा, चूकूंगा नहीं। आपकी घंटी बजेगी तो बैठ जाऊंगा।

हमारे वित्त मंत्री ने होटल निगम को समाप्त करने की बात कही है। बात अच्छी है लेकिन यदि वित्त मंत्री की दृष्टि कुछ और आगे बढ़ कर और निगमों पर जाती और उनको समाप्त करने की बात कही जाती तो सभापतिजी, बहुत बचत होती। ये सब निगम पिछले पराजित राजनीतिज्ञों के पुनर्वास के खातिर बनाए गए थे। मैं चाहता हूं कि जनता सरकार उस पद्धति को समाप्त करे। केवल होटल निगम ही नहीं, सारे निगमों के पदों को समाप्त करना चाहिए। मैं दाद देता हूं वित्त मंत्रीजी को कि उन्होंने कुछ विभागों को दूसरे विभागों में मिलाने की योजना को प्रस्तुत किया। लेकिन मेरी समझ में नहीं आई भाषा विभाग को दूसरे विभाग में मिलाने वाली बात। मुझे इस योजना के अन्दर नौकरशाही के षड्यंत्र की बू आती है। हम देश में अपनी भाषा को बढ़ाना चाहते हैं; उसका विकास करना चाहते हैं लेकिन बड़े-बड़े लोग अपने लड़कों को पब्लिक स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाते हैं। वे चाहते हैं कि किसी प्रकार हिन्दी का विकास न हो और देश की गरीब जनता का यह मौका न मिले कि भाषा को सीख कर ऊपर आयें। बाकी के विभागों को दूसरे विभागों में मिलाने की बात को तो मैं स्वीकार करता हूं लेकिन मेरा निवेदन है कि सरकार को कम से कम भाषा विभाग को अलग रहने देना चाहिए और इसके माध्यम से देश की भाषा की प्रगति पर ध्यान देना चाहिए!

पिछले समय में ऐश और भोग की राजनीति चली जिस कारण राजस्थान विकास के क्षेत्र में पिछड़ा। आजकल हम इस भवन के अन्दर आकर बैठते हैं। मैं 10 मिनट से ज्यादा यहां नहीं बैठ सकता। कूलर की ठंडक के मारे मेरे जोड़ों में दर्द होने लगता है। हमारे इस विधान सभा भवन के बाहर शिक्षक और सरकारी कर्मचारी अपने तबादले की खातिर धूप में खड़े हैं। वित्त मंत्री अगर इस तरफ ध्यान दें और इन एयर-कन्डीशनर्स और कूलर्स को बंद करा दें और इस पर खर्च होने वाले पैसा आर्थिक क्षेत्र में लगायें तो बड़ा अच्छा काम होगा। आप इस बात का लेखा-जोखा मंगायें, जो भी कूलर्स और एयर-कन्डीशनर्स प्रांत के कार्यालयों में चल रहे हैं या लिफ्टस चल रही हैं उनको बन्द करने से कितनी बचत हो सकती है। आप यह आंकड़े इकट्ठा करके उनको बन्द करें और जो विद्युत् इस कटौती से बचे उसका औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग करें।

(श्री सुरेशकुमार)

वित्त मंत्री ने प्रशासनिक सेवाओं में बचत के बारे में कहा है। मैं खुद इस बात को मानता हूं कि यह सारा बजट बचत पर निर्भर है इसलिए बचत के लिए हमें सोचना चाहिए। हमें केन्द्र से भीख नहीं मांगनी चाहिए। यह उचित नहीं है कि हर बात के लिए केन्द्र की तरफ मुंह मोड़ें।

चीन में पूंसान प्रान्त में कुछ साल पहले फटे हाल गरीब थे। आज वहां उन्होंने अपने साधनों से ऐसी स्थिति पैदा की है कि जब वहां हिन्दुस्तान से एक शिष्टमंडल गया था उसने 7 हजार किलोमीटर की यात्रा की। उस यात्रा के दौरान कोई बिना जूते के नहीं मिला, कोई फटे कपड़े पहिने हुये नहीं मिला, बीमार नहीं मिला, सड़क पर मक्खी भी नहीं दिखी। वे अपनी दवाइयां अपनी जड़ीबूटी से बना रहे हैं। लेकिन हमारे देश के राष्ट्रपति को भी विदेश जाना पड़ा इलाज के लिए अपने देश में उनका इलाज नहीं हो सका। मैं चाहूंगा कि अपनी जड़ी बूटियों की तरफ ध्यान दें, और उनके विकास की ओर ध्यान दें।

वित्त मंत्री ने विकास की ठोस योजनायें पेश कीं, उनके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। लघु कृषि विकास अभिकरण की स्थापना, 5 हजार से अधिक आबादी के गांवों को सड़कों से जोड़ना, विद्युत के मद में बढ़ोतरी, यह प्रशंसा की बात है। इससे विकास की धारा शहरों से मुड़कर गांवों में जायगी। लेकिन मेरा निवेदन है कि हमने अपने घोषणा पत्र में भी कुछ वायदे किए हैं। हमें चाहिये कि हम उनकी तरफ ध्यान दें। हमने वायदा किया था कि बिक्री कर समाप्त करेंगे लेकिन इस दिशा में कोई योजना नहीं दी गई। इससे जनता पार्टी की साख में कुछ कमी आने का अंदेशा है।

दूसरी बात हमने घोषणा पत्र में कही कि 12 साल के अन्दर हम देश के हरएक बालक को माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा देंगे लेकिन बजट में उच्च शिक्षा की तरफ ज्यादा ध्यान दिया गया है और प्रारम्भिक व माध्यमिक शिक्षा की तरफ कम दिया गया है। प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा के लिए अधिक से अधिक काम करें चाहे उच्च शिक्षा में कटौती करनी पड़े।

एक दूसरा क्रांतिकारी कदम उठाये बगैर देश का विकास नहीं हो सकता। वह यह है कि हमें एक योजना बना कर, अपने बजट में प्रावधान करके अधिक से अधिक खर्च की सीमा निर्धारित करनी चाहिए। एक निश्चित सीमा से अधिक खर्चा करने की इजाजत किसी को नहीं दी जानी चाहिए, बाकी जो बचे वह सरकार को लेना चाहिए ताकि 10 साल में हिन्दुस्तान से गरीबी मिट जाय। उसके बाद वह रकम मय ब्याज के वापस की जाय। अगर यह क्रांतिकारी कदम नहीं उठायेंगे तो जनता हमें मजबूर करेगी। एक तरफ ऐय्याशी और दूसरी तरफ गरीबी, साथ-साथ नहीं चलेगी। बजट में खर्च की अधिक से अधिक सीमा निर्धारित करें। इसका बजट में प्रावधान करें और इस दिशा में राजस्थान पहल करे।

देश में मौजूदा परिस्थितियों में वित्त मन्त्री ने जैसा बजट बनाया है वह बहुत अच्छा, बेहतरीन है। प्रयास इस बात का किया गया है कि जो शहरों की तरफ विकास की धारा थी उसका कुछ अंश गांवों

(श्री सुरेश कुमार)

की तरफ मोड़ें। आशा है, आगे भी सतत प्रयास रहेगा। पहले शहरों में 33 थे तो गांवों में 22। अब गांवों में होंगे 33 तो शहरों में 22। अन्त्योदय के लिए विचार प्रकट किए गए हैं। यह तो पुरानी बात हो गई, बहुत लोगों ने कहा है कि यह प्रशंसनीय है। डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने आशंका प्रकट की। इस योजना के लिए उन्होंने आंकड़े देकर बताया कि 16.50 करोड़ रुपये 200) प्रति व्यक्ति को देने के लिए कहां से आयेंगे, इसका क्या प्रावधान होगा? मैं पिछले दो दिन अपने क्षेत्र में गया। मैंने लोगों से बात की है, उनमें बड़ा उत्साह है यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इसलिए आप प्रयास करें विकास की ओर बढ़ने का।

अंत में मैं पुन: वित्त मन्त्री को धन्यवाद देता हूं और अपना आसन ग्रहण करता हूं।

सदन की कार्यवाही
परिवर्तित आय-व्ययक, 1977-78 पर हुए वाद-विवाद का उत्तर

श्री सम्पतराम (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, आज सदन में बजट पर सामान्य वाद-विवाद चल रहा है। अब भी काफी बोलने वाले सदस्य हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार की तरफ से वाद-विवाद पर आज जवाब न होकर कल जवाब हो।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सरकार की तरफ से बजट भाषण पर वाद-विवाद का उत्तर कल दिया जाय और आज सामान्य वाद विवाद ही बजट पर चलता रहे।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई: सभापति महोदय, इसके साथ ही सदन का समय भी बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति: आप स्थान ग्रहण करें।

माननीय सदस्य श्री अब्दुल अजीज।

परिवर्तित आय-व्ययक, 1977-78 पर अग्रेतर सामान्य वाद-विवाद

श्री अब्दुल अजीज (मकराना): सभापति महोदय, राजस्थान के वित्त मन्त्री जी ने राजस्थान की जनता सरकार का बजट रखा। इस पर काफी चर्चा सदन में हो चुकी है। इस बजट को पढ़ने के बाद ऐसा मालूम होता है कि इस बजट में कांग्रेस सरकार की आलोचना की गई है। उस आलोचना को पढ़ते हुए ऐसा महसूस होता है कि जनता पार्टी की सरकार का काम कांग्रेस सरकार की आलोचना करना ही है। वह अपना फर्ज समझते हैं कांग्रेस की आलोचना करना।

मैं भी बजट पर, सभापति महोदय, अपने विचार व्यक्त करने खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, मरकजी सरकार ने अपने बजट में टैक्सेज लगाये हैं। दुर्भाग्य से इस बजट में जो टैक्स लगाये हैं, जो मुख्तलिफ टैक्सेज बताये गये हैं उनमें मेरे क्षेत्र के पत्थर, जिसको संगमरमर कहते हैं, पर इस जनता पार्टी की सरकार ने टैक्स अधिक लगाया है। सभापति महोदय; यह संगमरमर का काम जो लोग करते हैं वह बिल्कुल गरीब लोग हैं। वह लोग पत्थर निकालते हैं, पत्थर पर दस्तकारी का काम करते हैं। यह बाद में बम्बई और दूसरे प्रान्तों में जाता है ट्रान्सपोर्टेशन से। सभापति महोदय, इस पर टैक्स लगाकर जनता

Page No 74

(74)

(श्री अब्दुल अजीज)

के साथ बहुत भारी अन्याय किया गया है। यह संगमरमर का काम करने वाले बहुत ही कमजोर वर्ग के लोग हैं। हो सकता है कि यह संगमरमर का पत्थर रईसों के अधिकांश काम में आता है लेकिन इस पत्थर का काम करने वाले तो बिल्कुल गरीब लोग हैं। इन पर आपने सात पर्सेंट से बढ़ा कर दस पर्सेंट कर का भार डाल दिया। उसके आगे अनुमानित टैक्स भी 12 पर्सेंट कर दिया। यह मान्य नहीं है, किसी भी हालत में इसे उचित नहीं कहा जा सकता है। इसलिए, सभापति महोदय, मेरी आपकी मार्फत राज्य सरकार को गुजारिश है कि इसको खत्म किया जाना चाहिये। सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों को और विशेष तौर से वित्त मन्त्री महोदय को गुजारिश करूंगा कि वह इसको कम करने के आदेश फरमावें। सभापति महोदय, आज हमारे मकराने में 125 खानों की हालत तो यह है कि उनमें पानी भर गया है जिससे खानों से पत्थर निकालना बन्द हो गया है इस कारण वहां प्रोडक्शन बिल्कुल ही बन्द है। इससे हजारों मजदूर बेकार हो गये हैं। दूसरे संगमरमर के पत्थर पर जब आप कर भार अधिक कर देंगे तो उसका वजन खरीददार पर भी पड़ेगा। मैं समझता हूं कि इस पर ज्यादा टैक्स होने पर लोग इसे खरीदने में कमी करेंगे। खरीदेंगे भी तो मैं समझता हूं कि झूठे बिल बनेंगे। खरीददार मजबूर हो कर झूठे बिल बनवाने के प्रयास करेंगे और बेचने वाले भी झूठे बिल बनायेंगे, यह एक मजबूरी होगी। इस प्रकार कर की चोरी होगी। मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि आपने जो दस प्रतिशत टैक्स बढ़ाया है और आगे आप उसे 12 प्रतिशत तक बढ़ाने जा रहे हैं यह किसी भी हालत में न्यायोचित नहीं होगा।

सभापति महोदय अभी जब मैं वहां गया तो वहां की जनता ने मुझसे इस बारे में कहा, वहां पर जनता में मैंने बहुत भारी रोष देखा। उन्होंने प्रदर्शन करने की इच्छा भी जाहिर की। मैंने उनसे प्रदर्शन करने को मना किया और उन्हें ऐसा विश्वास दिलाया कि मैं इस बारे में वित्त मंत्रीजी को गुजारिश करूंगा। जहां तक यह बात कही गयी है कि वहां पर संगमरमर उद्योग को पनपाने के लिये नयी नयी टेक्नोलोजी, नये नये तरीके अपनाये जायेंगे व सड़कें वहां पर बनायी जायेंगी और खानों का विकास किया जायेगा यह तो प्रशंसा की बात है लेकिन जो आपने यह टैक्स लगाया है उससे करीब एक करोड़ रुपये के टैक्स की वसूली आप वहां के गरीब मजदूरों से करेंगे। मैं समझता हूं कि ज्यादा टैक्सेज लगाने से वहां संगमरमर उद्योग को अधिक धक्का अधिक लग सकता है और उससे प्रोडक्शन में कमी आयेगी, फलस्वरूप राज्य सरकार को अनुमानित टैक्सेज की वसूली नहीं हो सकेगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि चूंकि आप संगमरमर उद्योग का वहां विकास करने जा रहे हैं और टैक्स लगाना ही चाहते हैं तो फिर आप नोमीनल एक प्रतिशत टैक्स बढ़ा कर सात की जगह आठ प्रतिशत कर दीजिये। दस प्रतिशत टैक्स न लगाइये और जो अनुमानित टैक्स 12 प्रतिशत तक बढ़ाने की बात है वह तो बिलकुल ही न्यायोचित नहीं है। इसलिये मेरी वित्त मंत्रीजी से गुजारिश है कि मजदूर लोग जो दस्तकारी का काम करते हैं उन पर आप इतना अधिक टैक्स न बढ़ायें। ज्यादा

(श्री अब्दुल अजीज)

टैक्स से मुनाफा भी उसमें कुछ रहने की गुन्जायिश ही नहीं रहेगी। वैसे भी मामूली मुनाफा रहता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उन गरीब मजदूर लोगों को इस विषय में प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ेगा। सभापति महोदय, इस टैक्स के लगने से वह लोग पनप नहीं सकेंगे। यह लोग कर भार से बुरी तरह से दब जायेंगे। इसलिये मेरी वित्त मन्त्रीजी से बार-बार यह गुजारिश है कि वह इस ओर विशेष तौर से ध्यान दें।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज इतने टैक्सेज सरकार लगाती है और करोड़ों रुपये राज्य सरकार को मिलते हैं लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि इसमें बहुत सी गड़बड़ियां हैं। आज जितना पैसा वसूल होना चाहिये वह नहीं होता है। दूसरे जहां वह पैसा खर्च होना चाहिये वहां वह खर्च नहीं होता है। आज आप जितना पैसा शहरों के विकास के लिये, गांवों के विकास के लिये और पंचायत में या पंचायत समिति के अन्तर्गत आने वाले गांवों के विकास के लिए खर्च करते है उससे जो विकास होना चाहिये वह नहीं होता है क्योंकि वह पैसा उसमें नहीं लगता है और उस पैसे का वहां के अधिकारी मिसयूज करते हैं। आज जनता सरकार भ्रष्टाचार और करप्शन के बारे में इतनी बड़ी-बड़ी बातें करती है लेकिन मैं समझता हूं कि यह सिवाय नारे के कुछ नहीं है। अगर सही मायने में जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ में एक्शन लेना चाहे तो मैं आपको मेरे ही क्षेत्र के बारे में गुजारिश करता हूं। श्री रावतसिंहजी एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन आफि- सर हैं उन्होंने वहां पर एक लाख रुपये से अधिक का गबन किया है। उन्होंने पशु विकास के नाम हजारों रुपये का घोटाला किया है। सरकारी रिकार्ड में भी तब्दीली की है। लेकिन उनके खिलाफ में कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। कारण यह है कि वह जनता पार्टी के उपाध्यक्ष के चहेते हैं। बदनसीबी से जनता पार्टी के उपाध्यक्ष मेरे से चुनाव में हार गये हैं। उन्होंने पंचायत समिति के 12 हजार रुपये जो बीज के लिये थे, का गबन कर दिया। 400-500 रुपये के टेलीफोन किये वह जमा नहीं कराये। इसी प्रकार पंचायत समिति के क्वार्टर्स होते हैं वह उन्होंने माइन्स एण्ड जियोलोजी डिपार्ट-मेंट के लोगों को किराये पर दे दिये और वह किराया हजम कर गये। उन्होंने करीब डेढ़ साल तक का किराया उन लोगों से वसूल किया वह हजम कर गये। उन्होंने पहले तो दोस्ती की बात कही पर बाद में पैसे के लिये लिख दिया, लेकिन कोई कहने वाला नहीं। अब वह बेचारे लोग इसकी फरियाद किसको करें....

श्री सभापति : माननीय सदस्य आपने पहले क्या कोई नोटिस दिया है? आप बाई नेम चार्ज लगा रहे हैं। आपको पहले नोटिस देना चाहिये था। नियमों के अनुसार।

श्री अब्दुल अजीज : सभापति महोदय; मैं जो कुछ कह रहा हूं वह सही कह रहा हूं। मेरे पास दस्तावेज हैं।

श्री सभापति : मैं तो नियमों की बात कह रहा हूं। आप बोलना चाहें तो बोलें।

श्री अब्दुल अजीज : सभापति महोदय; मैं जो कुछ कह रहा हूं वह सही कह

Page No 76

(76)

(श्री अब्दुल अजीज)

रहा हूँ। मुझे मेरी बात कहने का अधिकार है।

श्री सभापति : आप मेरी बात सुन लें।

श्री अब्दुल अजीज : सभापति महोदय, सरकारी खजाने का मिसयूज हो रहा है। सरकारी मकानों का किराया हजम कर रहे हैं।

श्री सभापति : आप मेरी बात सुनिये मैं यह कह रहा हूं कि आप स्पेसिफिक चार्ज लगा रहे हैं। उसके लिये कह रहा हूं, नियमों में ऐसा प्रावधान है कि आपको पहले नोटिस देना चाहिये। आप आरोप लगा रहे हैं लेकिन सरकार की तरफ से बिना नोटिस उत्तर कैसे आयेगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सभापति महोदय, सरकार का जवाब तो कल आयेगा।

श्री सभापति : मैंने तो नियमों की बात कही है। आप जिन दस्तावेज के आधार पर बोल रहे हैं वह पेश करने को तैयार हैं।

श्री अब्दुल अजीज : मैं वह दस्तावेज पेश करने को तैयार हूं। जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार और गबन घोटालों को समाप्त करने की बात करती है। अगर वह एक्शन लेना चाहे तो मैं प्रमाण पत्र देने को तैयार हूं। यह मेरे पास है।

श्री सभापति : Are you putting it on the Table of the House ?

श्री अब्दुल अजीज : Yes Sir.

इसी का नोटिस लीजिये और इस पर जानकारी कीजियेगा कि क्या राज है? आप कर के माध्यम से पैसा वसूल कर रहे हैं उसका मिसएप्रोप्रियेशन होता है। विकास अधिकारी हैरान हैं। मैं या आप विकास अधिकारी हैं। कर्मचारी को तत्काल ले जाइये। मालूमात कीजिये। इस कागज को कौन लेना चाहता है? कोई है।

(दस्तावेज सदन के पटल पर रखें)

इस प्रकार से कर वसूल किया गया।

"कुत्ते खीर खा गये तू बैठी ढोल बजाय"

हम कर बढ़ायें उसका सरकारी मशीनरी मिसएप्रोप्रियेशन करे। इसका हम सबको अफसोस होता है।

खास तौर से वित्त मन्त्रीजी ने शिक्षा के लिये सब कुछ कहा। स्कूल खोलने की बात कही। एडेड इन्स्टीट्यूशन्स जो हैं उनके बारे में अधिक से अधिक सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। शिक्षा मन्त्रीजी होते तो मैं उनको बताता, लोग बच्चों को एडेड स्कूल में लाकर बैठाते हैं शिक्षा के लिये, उन स्कूलों के लिये ज्यादा से ज्यादा बजट में एड और ग्रान्ट के लिये प्रावधान रखना चाहिये।

राजस्थान में शिक्षा का बंटवारा पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में किया जा रहा है उसके बारे में कुछ नहीं कहा। राजस्थान में ऐसी प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स हैं जो बच्चों को इकट्ठा करके शिक्षण संस्थायें चलाती हैं, सरकार के मुकाबले में यह एक बड़ी चुनौती है। शिक्षा मन्त्रीजी यहां नहीं हैं....

कई माननीय सदस्य : यहा बैठे हैं ।

श्री अब्दुल अजीज : मैं उनको निवेदन करता हूं कि उन संस्थाओं को ज्यादा से ज्यादा एड दे दें । कुछ संकेत इस सम्बन्ध में करना चाहिए । बजट में इसके बारे में कुछ नहीं है, न ही प्रशंसा न कुछ ।

रहा सवाल लैंग्वेज का । उर्दू जबान के लिये पहले भी अर्ज किया था । उर्दू जबान को तरक्की देने के लिये जनता पार्टी मेनिफेस्टो में कहा और चिल्लाई । लेकिन उसके लिये कुछ पैसा नहीं है बजट में । मुख्य बात मेनिफेस्टो की है वह तो आनी चाहिये । समझे साहब ।

सभापति महोदय, मैं अर्ज करूं, आप कुछ भी करते जाइये, भले ही कर बढ़ाते जाइये लेकिन वाजिब बढ़ायें ताकि हमारे पर बर्डन न हो । संगमरमर के लिये अर्ज करूं कि 10 पर्सेन्ट कर बढ़ा देना उचित नहीं है ।

और भी साथी बोलने वाले हैं । मैं प्रशंसा करूंगा कि सदन के संचालक या व्यवस्थापक ने समय बढ़ा कर मौका दिया । उसके लिये शुक्रिया अर्ज करूंगा । हर आदमी को अपने इलाके की बात कहने का हक है । सरकार को सुझाव मिलते हैं । मि० एक्स, वाई, जेड ने समय ले लिया तो हमारा क्या कसूर ? पार्टीज बढ़ता जाय समय घटाते जाय....

एक माननीय सदस्य : चार पार्टीज हैं ।

श्री सभापति : आप मुद्दे की बात कहिये । डिस्कशन से ताल्लुक रखती बात ही कहिये ।

श्री अब्दुल अजीज : आपसे डाइरेक्ट ताल्लुक रखती है ।

श्री सभापति : ये चेम्बर में बैठ कर बताने की है ।

श्री अब्दुल अजीज : मैं शुक्रिया अर्ज करता हूं ।

श्री सभापति : वह कर लिया ।

श्री अब्दुल अजीज : Thank you, Sir

श्री सभापति : माननीय श्री टीकमचन्द कांत !

श्री टीकमचन्द कांत (जालोर) : सभापति महोदय, जब से बजट पर बहस शुरू हुई है ना पक्ष की ओर से एक ही रवैया सामने आया है । एक बात बताऊं । गुजरात में फरवरी में बजट पेश किया गया । वहां सत्ता बदल गयी थी । जनता पार्टी की सरकार ने बजट रखा । वहां भी जो पक्ष था, जो माननीय सदस्य थे कांग्रेस के, उन महानुभावों ने भी इसी प्रकार की उसकी तीव्र आलोचना शुरू कर दी जिस प्रकार की आज यहां हो रही है । जब बहुत ज्यादा आलोचना इस तरह की वहां की गई तो मुख्य मन्त्री बाबूभाई पटेल, जो वित्त मन्त्री भी हैं, ने चुपके से कहा कि यह बजट जो मैंने सदन में पेश किया है उसको तो आप लोग ही तैयार करके गये थे । यह आपका ही बजट है जिसे आप कह रहे हैं, समाजवादी नहीं है जिसे आप कह रहे हैं कि प्रगतिशील नहीं है, यह बजट आपका ही है । वही चीज, वही रवैया, वही व्यवहार आज मैं उधर से देख रहा हूं । मात्र आलोचना कर रहे हैं ।

(श्री टीकमचन्द कान्त)

मेरे अपने विचार इस बजट के बारे में हैं वह मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैंने इस बजट को पढ़ा है, देखा है। इसमें एक बात सामने आयी। तीस वर्ष के इतिहास में एक प्रकाश की किरण दिखायी दी है। जयप्रकाशजी ने जो प्रकाश दिया उसकी एक किरण इसमें नजर आयी। दिशा बदली हुई नजर आई। आशा बंधी है कि अब जरूर परिवर्तन लावेंगे। बजट में मैंने यह देखा। व्यावहारिक समाजवाद जिनके ध्यान में है; जो यह जानते हैं कि वास्तविक समाजवाद क्या है उनको तो मालूम हुआ कि यह बजट व्यावहारिक समाजवादी है। परन्तु उनका समाजवाद अलग है। उनके समाजवाद में सत्ता और पूंजी एक जगह केन्द्रित होती है। उनके समाजवाद में सत्ता मात्र इन्दिरा गांधी के हाथ में थी।

एक माननीय सदस्य : आपके आस-पास है।

श्री टीकमचन्द कांत : उनके समाजवाद में पैसा मास्टर संजय के पीछे खर्च होता था। आज जो हमारे यहां का समाजवाद है उसमें सत्ता विकेन्द्रित है। इस समाजवाद में पूंजी का विकेन्द्रीकरण हम करने जा रहे हैं। यह व्यावहारिक समाजवाद का बजट हमारे सामने आया है। ऐसे समाजवादी बजट की प्रशंसा किये बगैर मैं नहीं रह सकता।

साथ ही एक ऐसी बात मुझे लगती है जैसे कि गांधी जिन्दा हो रहा है। इस बजट से लगता है गांधी जिन्दा हो रहा है जिन लोगों के लिये गांधी लड़ा, जिनके लिये गांधी के मन में दर्द था, उन लोगों का आज हमारे वित्त मंत्री ने ध्यान रख कर, ही गांधी के उन उसूलों को ध्यान में रख कर ही, यह बजट पेश किया है। उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

एक बात और कहना चाहूंगा, गांधी की हत्या के बारे में बार-बार यही कहा गया। वास्तविक गांधी उस दिन मरा था जिस दिन विकास जो गांवों में होना चाहिये था वह शहरों की ओर सरकार ने बढ़ा दिया। गांधी उस रोज मरा जिस रोज सत्ता और पूंजी का केन्द्रीकरण हो गया, गांधी उस रोज मरा जिस दिन सत्ता और भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया; गांधी उस रोज मरा जिस दिन बेकसूर लोगों को जेलों में डाल दिया गया। उसी दिन वह समाप्त हो गया। इस बजट के द्वारा उस गांधी को हम जिन्दा कर रहे हैं, समाजवाद ला रहे हैं और गांवों का विकास करने जा रहे हैं।

श्रीमान्, यहां कांग्रेस के महा मंत्री श्रीमती सुमित्रासिंहजी के शब्द भी मुझे याद आते हैं 'बेरोजगारी बढ़ने दो, जनसंख्या बढ़ने दो, भ्रष्टाचार बढ़ने दो तब हम सत्ता में वापस आ सकेंगे, कितनी लज्जा की बात है? कितनी शर्म की बात है? लोगों से प्रेम नहीं, जनता से प्रेम नहीं, प्रेम है तो कुर्सी से है।....

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : ऐसा कहां पर है?

श्री टीकमचन्द कान्त : राजस्थान पत्रिका में है। 24 तारीख की राजस्थान पत्रिका में है। और अगर उसमें नहीं हुआ तो मैं निकाल कर दे दूंगा।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : गलत है। ऐसे शब्द कभी कहे ही नहीं होंगे।

श्री टीकमचन्द कान्त : श्री नाथूरामजी ने जब कहा था कि मुझे अन्तर ज्ञान होता है कि एक साल में जनता पार्टी चली जायेगी। उस ज्ञान के साथ महाज्ञान उनकी तरफ से आया था कि भ्रष्टाचार बढ़ने दो, जनसंख्या बढ़ने दो और इसके अन्दर हम सहयोग दें।

बजट की एक प्रणाली 30 वर्षों से चली आ रही है और वह प्रणाली है घाटे का बजट। हम आज तक कहते आ रहे थे कि घाटे का बजट पेश नहीं किया जाना चाहिए लेकिन फिर भी बजट घाटे का पेश किया गया। बजट भाषण के अन्दर वित्त मंत्रीजी ने कहा कि यह घाटा हमारा पैदा किया हुआ नहीं है, यह घाटा इनका दिया हुआ है। हमारा बजट अच्छा है, सुन्दर है, समाजवादी है लेकिन फिर भी यह काली स्याही, काला दाग लगा है तो इनके घाटे के कारण लगा है। मुझे इस बात पर एक शेर याद आता है :

'रात की गर्द मेरे मुख पर जमी है यारों,
धूप निकले तो देखना रंगत मेरी।'

तो, मान्यवर, इस सबके बाद में इस घाटे की अर्थव्यवस्था के कारण जो कुछ भी मुद्रास्फीति आयेगी उससे लड़ने के लिए अगर कुछ नये साधन इस बजट में पैदा किये होते तो अच्छा था लेकिन वह साधन पैदा नहीं कर सके।

इसके अलावा मैं आता हूँ मेरे क्षेत्र की समस्याओं की ओर। सड़कों के बजट के अन्दर 5.90 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हमने बजट के अन्दर दिखाया है। इससे जो काम अधूरे हैं वह पूरे करेंगे। कुछ सड़कें हैं जैसे केशावणा, खेतड़ा, बकरारोड तक की सड़क है, वह सड़क नहीं है बल्कि वह जमीन के ऊपर रोग की तरह फैली हुई है। सड़क का लोगों को लाभ मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिलता। सड़क का लाभ है कि लोग अपनी वस्तुयें मण्डी तक अच्छी तरह से पहुँचा सके, सड़कों के कारण लोग जल्दी अपने सामान को ले जाकर बेच सकें। लेकिन यह व्यवस्था उस सड़क के कारण समाप्त हो गयी। न तो उस सड़क पर वाहन चल सकते हैं और न ही लोग चल सकते हैं और लोगों को नयी जगह से रास्ता निकालना पड़ता है। इसी तरह से आगरा से साबू की सड़क बनायी गयी लेकिन वहां भी वाहन नहीं चल सकते लोग नहीं चल सकते ऐसी सड़कें जो हमारे ऊपर भार बनी हुई हैं उनका क्या होगा? जालोर एक जिले का स्थान है और यह जिले का केन्द्र है लेकिन चारों तरफ से सड़के कटी हुई हैं। आकोली नदी का पुल वर्षा में हर वर्ष कटता है। कई वर्ष हो गए लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। आज भी बरसात में जिला टापू बन कर रह जाता है। वहां के अधिकारी कहीं जाना चाहें तो नहीं जा सकते। भरूड़ीवाला वही का वही नाला। जब बरसात आती है तो उस नाले में इतना पानी आ जाता है कि भीनमाल, जो कि एक मण्डी है, कोई नहीं जा सकता। ऐसी सड़कें, ऐसे नाले और ऐसी पुलियाओं को पूरा करने के लिए आपने क्या प्रावधान किया? कुछ नहीं किया।

जहां तक शिक्षा का सवाल है शिक्षा के दृष्टिकोण से हमने खूब स्कूल और कॉलेज खोले हैं लेकिन शिक्षा का मतलब होता है वह शिक्षा जो व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़ा कर सके। शिक्षा का मतलब यह

(श्री टीकमचन्द कांत)

शिक्षा है जो व्यक्ति को रोजगार दे सके। शिक्षा का मतलब वह शिक्षा है जो कि व्यक्ति को लड़ने की तैयारी करा सके, भूख से लड़ने की ताकत दे सके और आदमी अपने रोजगार के लिए संघर्ष कर सके हम इस शिक्षा के बारे में अब तक कहते आये है कि शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए शिक्षा बदली जानी चाहिए उसके लिए कोई प्रावधान नहीं हैं, वही पुरानी शिक्षा। अगर कोई इकानामिक्स लेता है तो क्या केवल मात्र क्लर्की करने के लिए ? इतिहास लेता है तो क्या केवल मात्र क्लर्की करने के लिए। यह तो एक व्यक्ति दसवीं के बाद लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ सकता है। लेकिन दसवीं के बाद व्यक्ति अपने आपको और स्वयं को समाज के अन्दर स्थिर कर सके, वह अपने आपकी जीवन नैय्या चला सके इस योग्य बनाने की शिक्षा आज तक नहीं दे सके। मुझे अफसोस है कि कालेजेज भले ही खुल जावें पोस्ट ग्रेजुएट कालेजेज भले ही बन जावें लेकिन ऐसी शिक्षा जो कि व्यक्ति को शक्तिशाली बना सके वैसी शिक्षा नहीं है। इसके लिए मुझे बड़ा दुःख है।

चिकित्सा के लिये डाक्टरों को जहां तक बात है डाक्टर गावों में जाने के लिए तैयार नहीं है। गांवों में बैठे हुए डाक्टर स्वयं सिक देकर निकल जाते हैं और चिकित्सा का अभाव बना रहता है। तो मैं चाहता कि जो डॉक्टर पांच वर्ष तक गावों की सेवा नहीं कर सके उसका पी० एस० सी० से सलेक्शन ही नहीं होना चाहिए बल्कि वह उसमें बैठने लायक नहीं होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए नहीं तो कोई भी डाक्टर गांवों में नहीं जायेगा और गांव के लोगों को चिकित्सा सम्बन्धी सहूलियत नहीं मिल पायेगी। मेरे ही जिले की जहां तक बात है वहां पर 45 कम्पाउन्डर्स होने चाहिए लेकिन वहां अभी केवल 30 ही काम कर रहे हैं। यदि कम्पाउन्डर्स की कमी है तो कम्पाउन्डर्स की ट्रेनिंग के लिए नम्बर बढ़ाने की व्यवस्था करनी चाहिए। नहीं तो डाक्टर बिना कम्पाउन्डर्स के क्या करेंगे। इस कमी के कारण जैसी चिकित्सा चाहिए वह चिकित्सा नहीं मिल पायेगी।

श्रीमान्, उद्योगों के बारे में जितना प्रावधान रखा गया है और जो भी नीति सामने आये हैं वह ठीक है लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि सारा ग्रेनाइट जालोर के आसपास मिलता है और इसकी फैक्ट्री वहां लगी हुई है लेकिन पिछली बार निर्णय लिया गया कि पालिशिंग मशीन जोधपुर में लगाई जाय पहले यह जालोर में लगनी थी ग्रेनाइट जालोर में निकलेगा और उसको ले जाकर जोधपुर पालिशिंग करेंगे, यह अनुचित निर्णय लिया गया है। इस निर्णय को बदला जाना चाहिए और जो मशीन जोधपुर में लगने वाली है वह मशीन जालोर में ही लगनी चाहिए क्योंकि फैक्ट्री वहीं है और सारा ग्रेनाइट भी वहीं उपलब्ध है।

मान्यवर, पेन्शन की जो बढ़ोतरी हुई है उसमें जिनके पास ज्यादा है उनको ज्यादा दिया गया, फिर वही कांग्रेसीकरण कर दिया गया है और जिसके पास कम है उसको और भी कम दिया गया। कांग्रेसीकरण के बजाय हमें जनताकरण करना चाहिये। हम चाहते हैं कि जिनके

(श्री टीकमचन्द कांत)

पास कम है उनको ज्यादा मिले। हम यह भी चाहते हैं कि जिनके पास ज्यादा है उनको नहीं भी मिले तो कोई बात नहीं है। तो पेन्शन के बारे में सब लोगों की इच्छा है कि ऐसा हो अतः इसमें जरूर परिवर्तन लायें। जो पेन्शन को दरें बढ़ाई गयी हैं उन्हें उल्टा कर दें तो ही अच्छा रहेगा।

मद्यनिषेध की बात भी यहां कहना चाहूंगा। मेरी जाति में मद्य पिया जाता है। अनुसूचित जाति के सब लोग मद्यपान करते हैं। इसमें यह बात सोचने की जरूरत है कि क्या पीना बन्द हो जायेगा? मैं तो मानता भी हूं कि बन्द हो जाना चाहिए लेकिन इसके बाद भी लोग तो उसको पीयेंगे। हाथ से निकाल कर पीयेंगे। कहीं बाहर से लायेंगे। लेकिन उसको पीयेंगे। गुजरात की बात श्री बृजेन्द्रपालसिंह जी ने कही। मैं भी गुजरात में रहा हूं। वहां पर हर वर्ष 250-300 लोग जहरी शराब पीने के कारण मरते हैं। गांधी के देश के अन्दर जहां गांधीजी जन्में वहां मद्यनिषेध हो लेकिन फिर भी वहां लोग दारू पीते हैं तो जरूरत इस बात की है कि मद्य निषेध के साथ साथ हम ऐसे लोगों की एक टुकड़ी तैयार करें, जगह जगह ऐसे लोग तैयार करें जो उनका मानस बनायें कि दारू न पीयें। लोग स्वयं उसे छोड़ें। भले ही मेहता जी के तत्वावधान में यह कार्य चले। लोगों के मानस में जब तक यह नहीं डालेंगे कि दारू न पीयें तब तक दारू पीयेंगे। हम यहां बन्द कर देंगे तो चौथ ली जायेगी। दारू बेचने वाला हर बोतल पर एक रुपया उस अधिकारी को देगा जो अधिकारी उसको चेक करने के लिये लगा हुआ है। आप मद्य निषेध करें लेकिन उनका मानस बदलने के लिये आप कुछ कार्यवाही अवश्य करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

मान्यवर, मैं जालौर से आया हूं। जालौर से पहला व्यक्ति बोल रहा हूं।

मान्यवर, अन्त्योदय की योजना गरीब को ऊपर लाने की है यह योजना बहुत अच्छी है। इस ने एक नई दिशा दी है। पांच वर्ष के बाद राजस्थान के अन्दर काफी लोग गरीबो की रेखा से ऊंचे आ चुकेंगे। हमें गौरव करना चाहिये कि राजस्थान ने यह एक प्रथम दिशा दी है। एक दृष्टिकोण दिया है। परन्तु इसमें एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूं। यह जो पांच परिवार हर गांव से लेने हैं तो वह गांव कितना बड़ा होगा? पांच सौ परिवारों के गांव में से भी पांच परिवार और दो हजार से भी अधिक वाले गांव से भी पांच परिवार। यह जरा ठीक करना चाहिये। यह जरा बदलें। सौ घर के पीछे एक परिवार होना चाहिये। यह जो वार्षिक 1-50 लाख की संख्या दी है वह न बदलें लेकिन कम से कम यह रेट जरूर बदलें जिसके फलस्वरूप जहां ज्यादा परिवार हैं वहां के ज्यादा परिवारों को इस योजना का लाभ दे सकें, जहां कम हैं उनको कम।

इसके साथ ही, सभापति महोदय, अनुसूचित जाति वर्षों से दलित है, यह हम मानते आये हैं। परन्तु उनके कल्याण के लिये उनको आगे लाने के लिये क्या किया गया? मुझे जगजीवनराम जी के वे शब्द याद हैं जो उन्होंने कहे थे कि समष्टि के अन्दर अगर एक भी व्यक्ति कमजोर रहता है तो हमारी सारी समष्टि कमजोर हो जायगी।

(श्री टीकमचन्द कांत)

यदि एक भी कड़ी कमजोर हो तो पूरी जंजीर कमजोर हो जायेगी। उन शब्द को ध्यान में रखते हुए जो कमजोर वर्ग है उस कमजोर वर्ग को शक्तिशाली बनाना है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उसे ऊपर लाने के लिए जो बजट में प्रावधान करना चाहिये था वह इस में नहीं हुआ। मान्यवर....

श्री सभापति : आपने 20 मिनट ले लिये।

श्री टीकमचन्द कान्त : एक बात और। युवकों के बारे में पिछली बार भी हम भूल गये, इस बार भी भूल गये।

श्री सभापति : युवकों को अनुशासन में रहना चाहिये।

श्री टीकमचन्द कान्त : इसलिए मैं कहूंगा...

श्री सभापति : नहीं तो फिर कछवाहा की तरह नाराज हो कर यहां से चल दूंगा।

श्री टीकमचन्द कान्त : मान्यवर, मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : I am very grateful to you.

श्री सूर्यनारायण चौधरी।

श्री सूर्यनारायण चौधरी (नीम का थाना) : सभापति जी, अब तक इस सदन में सभी पक्षों ने अपने विचार बजट पर प्रस्तुत कर दिये हैं और मुख्य-मुख्य बातें सदन के समक्ष लाये हैं। मैं आगे बढ़ूं, इससे पहले उस सर्वसम्मत बात के लिए वित्त मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि पेन्शन के मामले में बढ़ोतरी की जो कसौटी उन्होंने अपनाई है उसका त्याग किया जाय और सदन के माननीय सदस्यों ने जो कहा है कि जिन लोगों को कम पेन्शन मिलती है उनको अधिक दी जाये और जो अधिक पेन्शन पाने वाले हैं उनकी पेन्शन कतई न बढ़ाई जाये, इसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूं।

जहां तक बजट को ओवर आल पिक्चर में लेने का प्रश्न है इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस प्रकार की अवस्था कांग्रेस पार्टी ने जनता पार्टी को विरासत में दी, जिस प्रकार का नैतिक पतन इस देश में पिछले 30 वर्षों में हुआ, जिस प्रकार की प्रशासनिक सेवायें कांग्रेस सरकार छोड़ कर गई है उन परिस्थितियों में इससे अच्छा बजट नहीं आ सकता। लेकिन मेरी कसौटी के अनुसार, एक क्रांतिकारी कसौटी के अनुसार अगर इस बजट को आंका जाए तो कतई संतुष्ट नहीं हूं। यह बात मैं इसलिए निवेदन नहीं करना चाहूंगा कि इस सरकार को कोसा जा सके। मैं चाहता हूं उस मापदण्ड को बदला जाय परन्तु स्थितियां ऐसी हैं कि आज के दिन बदलना सम्भव नहीं है। जिस प्रकार की प्रशासनिक सेवायें आपने छोड़ी हैं जितना भ्रष्टाचार व्याप्त है इसका आप अनुमान नहीं लगा सकते। भ्रष्टाचार के कारण दिन दुगनी रात चौगुनी खर्च के अन्दर बढ़ोतरी हुई है इस देश के अन्दर। क्या नैतिकता है? इस देश के ऊपर शासन किया है एक खानदान ने। नेहरू खानदान ने शासन किया है। मुझे शर्म आती है। यह 'इण्डिया टुडे' का इश्यू है। इसमें कुछ प्रश्न पूछे गये हैं इन्दिरा गांधी से। इनके आगे बी०बी०सी० के मशहूर संवाददाता ने प्रश्न पूछे हैं। उन

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

प्रश्नों को सदन में पढ़ूँ तो लज्जा आती है मुझे। नेहरू खानदान ने इस देश के ऊपर शासन किया है। उन प्रश्नों को नहीं दोहरा सकता, उत्तर को तो छोड़ दीजिए। क्या प्रश्न है आप चाहें तो बताऊँ। सारे समाज पर सारी प्रशासनिक सेवाओं पर उसकी छाप पड़ती है। डागा साहब आपकी नेता इन्दिरागांधी से ब्लिट्ज के फेमस कोरसपोन्डेंट ने प्रश्न पूछे हैं। अगर आप सुनें तो शर्म के मारे सदन के बाहर चले आयें।

श्री अब्दुल अजीज : सभापति जी, इन्दिरा गांधी को दुर्गा का नाम देते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था।

श्री सभापति : आप व्यवधान न करें। No interruption please.

श्री सूर्यनारायण चौधरी : जरा सुनिये। यह अखबार है 'इण्डिया टुडे' 16 अगस्त से 31 अगस्त का इश्यू। बी० बी० सी० के संवाददाता के प्रश्न हैं।

श्री सभापति : चौधरी साहब मैं यह जानना चाहूंगा कि इसका बजट से क्या सम्बन्ध है। यह बता दीजिए।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : सभापतिजी, आपने बहुत अच्छा किया इस बारे में बताने का हुक्म दिया है।

श्री सभापति : आपका और हमारा सिद्धांत एक ही है इसलिये।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : निवेदन है कि मैं यह कहता हूँ कि इस बजट से मैं सन्तुष्ट नहीं हूं क्योंकि यह क्रांतिकारी बजट नहीं है। प्रशासनिक सेवायें इस तरीके से इस देश में कायम हैं कि क्रांतिकारी पनप नहीं सकते, परिवर्तन आ नहीं सकता। इसका कारण है इस देश का नेतृत्व, इसका कारण है सरकार की प्रशासनिक सेवाओं का गठन। अगर प्रशासनिक सेवाओं का ऐसा गठन नहीं होता, उसका नेतृत्व ऐसा नहीं होता तो निश्चित रूप से इस बजट के अन्दर यह चीज नहीं आती, राजस्थान में जो प्रशासनिक सेवायें हैं उसमें 1 : 10 का अनुपात से अधिक अन्तर नौकरियों में और वेतनमानों में नहीं होता। जो आज हर डिपार्टमेन्ट को जीपें दी गई हैं, उनको तुरन्त फुरन्त समाप्त कर देते। आज भी ऑफिसर्स के साथ 3-4 चपरासी रख दिये गये हैं और प्रशासन में बहुत सारा अपव्यय हो रहा है, उसको निश्चित रूप से समाप्त कर दिया जाता। मास्टर जी ने कुछ हिम्मत करके जो पुलिस के सिपाही होते हैं, उनको हटाकर बचत कर दी। लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं जयपुर के कलेक्टर, जयपुर के एस० पी० की गार्ड को क्यों नहीं हटा देते हैं? आज जनता पार्टी के राज्य में इनको कौन मार रहा है? कितनी ही ऐसी हत्यायें हुई हैं जिनके लिए ये लोग जिम्मेदार हैं। आज जब सिपाही खड़ा रहता है, मंत्री जाते हैं तो वह सिपाही सलाम देता है और बन्दूक की नोक को नीचे रख देता है। इसमें भी काफी व्यय होता है। चूंकि हम अभी तक अपने आपको उस स्थिति से हटाने में असमर्थ है जिसमें व्यक्तिगत नैतिकता नहीं रही, जिसमें सामाजिक नैतिकता नहीं रही, जिसके अन्दर समाज का उत्तरदायित्व नहीं रहा तो जनता के लिये हम क्या कर सकेंगे? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं इन सबके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। आज इन्दिरा गांधी इन सबके लिये जिम्मेदार हैं। इस जकड़न के

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

लिये हम सब जिम्मेदार हैं।' इसलिये ही वह आज भी कायम है। आप हुकुम दें तो मैं पढ़ दूं अन्यथा मेरी कोई इच्छा नहीं है। मेरी आत्मा इन प्रश्नों को पढ़कर कुण्ठित हुई है और इन प्रश्नों को पढ़कर मैं लज्जा के मारे डूब गया....

श्री सभापति : Let it be kept secret.

श्री सूर्यनारायण चौधरी : सभापति महोदय, मैं आपकी आज्ञा का अनुपालन किये देता हूँ। सदन के सदस्य चाहेंगे तो उनको बता दूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : ढोल में पोल।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : सभापति महोदय, जहाँ तक बजट में अन्त्योदय योजना का प्रश्न है इसमें कोई सन्देह नहीं है कि जो आभा उससे निकली है वह बहुत अच्छी है। पाँच परिवारों को प्रत्येक गांव में लेने का जो प्रस्ताव है; वह बहुत अच्छा है लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं पांच परिवारों के स्थान पर 10 लिये जायं। 56 प्रतिशत जो गरीबी की रेखा में जाते हैं। आप पुराने आंकड़े उठाकर देख लीजिये, आपको पता लग जायगा कि कम से कम पिछले 10 वर्षों में गरीबी की रेखा से नीचे आने वालों की संख्या ड्योढ़ी दुगुनी हुई है। राजस्थान पर इसका अधिक असर पड़ा है। इसलिये गरीब से गरीब को उठायें लेकिन जो इकोनोमिक स्ट्रक्चर है, जो आर्थिक ढांचा है, उसको मत चरमराने दीजिये। इसके साथ ही प्रोडक्शन को एक्सीलरेट करें तो जो हमारा एक कार्यक्रम है उसकी उपलब्धि सरकार को मिल सकती है। अगर आपने पांच को बढ़ा दिया और 10 नीचे गिर गये तो आपकी यह सारी योजना विफल हो जायगी और केवल मात्र दिखावा रह जायगा। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करता हूं जो ओवर-आल डवलपमेंट है, उसको भी ध्यान में रखते हुये यह चीज रखें।

सभापति महोदय, मैं निवेदन कर दूं हमारे विपक्ष के नेता महोदय हैं, वे बड़े तजुर्बेकार हैं....

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

जब से जवानी हासिल की है तब से निरन्तर वे सत्ता में रहे हैं। उनका भी अपना तजुर्बा है और उनका यह कहना है। मेरा भी अपना तजुर्बा है कि यदि आप प्रशासनिक सेवाओं में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो जो आज का ढांचा है, वह आपका मददगार होने वाला नहीं है। जब तक आप इसी ढांचे को बनाये रखेंगे तब तक प्रशासन में सुधार आने वाला नहीं है। मैं निवेदन करूंगा अगर वास्तविक क्रान्ति लाना चाहते हैं, वास्तविक परिवर्तन लाना चाहते हैं, उत्थान करना चाहते हैं तो मौजूदा प्रशासनिक ढांचे में आमूल-चूल परिवर्तन करना होगा। उसके लिये आवश्यक होगा कि जिले का प्रशासन कलेक्टर न चलाये। जिस प्रकार केन्द्र ने यहां पर राज्यों को पैदा करके राज्य सरकारें कायम कर रखी हैं, उसी प्रकार राज्य सरकार का कर्तव्य है, पंचायती राज्य का जो लोहिया का स्वप्न था, उसको पूरा करें। जिलों में सर्वप्रथम कलेक्टर के दफ्तर को अबोलिश करें, कलेक्टर की पोस्ट को अबोलिश करें और जिस प्रकार की असेम्बली यहां चल रही है वहां भी इसी प्रकार की असेम्बली चले

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

जब तक आप यह नहीं करते तब तक वास्तविक रूप से जनतन्त्र की इकाई विकसित नहीं हो सकती है। हर देश का नागरिक जब तक देश का मालिक अपने आपको नहीं समझेगा तब तक देश की तरक्की नहीं हो सकेगी। जिला परिषदों को और ग्राम पंचायतों को जनतन्त्र की बेसिक इकाई बनायें। जब तक इस प्रकार का बुनियादी परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक परिवर्तन आने वाला नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा सर्वप्रथम यह कदम उठाना पड़ेगा। जिले, गांव और हर कस्बे के आदमी से मैं जनतन्त्र में विश्वास रखने की अपेक्षा करता हूं इसलिये जहां आप सत्ता के विकेन्द्रीकरण की बात करते हैं, वहीं पर आपको निश्चित रूप से यह कदम उठाना पड़ेगा।

मैं, उपाध्यक्ष जी, आपसे यह निवेदन करूंगा, दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहां इस प्रकार का दफ्तर हो जैसा कि यहां पर कलेक्टर का दफ्तर है। हिन्दुस्तान में कलेक्टर अपने आप में बादशाह होता है। वह सत्ता का आगार हो जाता है और उसके सत्ता का आगार होने पर जनता की आकांक्षायें पूरी नहीं होती हैं। अंग्रेजी सरकार इस प्रकार की अपनी हुकूमत छोड़कर गयी, कांग्रेस सरकार ने उसको अपना लिया और उसी प्रकार का अपना शासन कायम किया। उनका पूरा का पूरा कार्यक्रम वैसा का वैसा ही चलता लेकिन अब, उपाध्यक्ष जी, यह बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मौजूदा सरकार को चाहिये कि वह बुनियादी परिवर्तन की ओर सोचे। मैं निवेदन करूंगा कि हमारे देश के प्रधान मन्त्री भी इसी विचार के हैं और मुख्य मन्त्रियों से इस प्रकार के विचारों का आदान प्रदान भी हुआ है। मैं समझता हूं हमारे राजस्थान को इसमें सर्वप्रथम पहल करनी चाहिये और कलेक्टर के दफ्तर को बिलकुल समाप्त करना चाहिये। साथ ही जिला परिषदों और ग्राम पंचायत की इकाइयों को सशक्त बना कर राज्य की सारी शान्ति व्यवस्था का काम उनको सौंप देना चाहिये। आज यह जरूर कहा जा सकता है कि जिले के लोग सम्भाल नहीं पायेंगे सत्ता को, लेकिन मैं कहता हूं आपने कोई शेर नहीं मार लिया है जो यह कहेंगे। गांव के लोगों से ही तो शक्ति प्राप्त कर के यहां आये हैं। अतः उपाध्यक्षजी, बेसिक विकेन्द्रीकरण सत्ता का होना चाहिये। जब असेम्बली का सत्र समाप्त होने के बाद एम. एल. ए. गांवों में जब जाते हैं तो लोग घेर लेते हैं, कम्पाउण्डर के काम के लिए पीछे पड़ जाते हैं और गांव का बड़े से बड़ा आदमी भी उसके पीछे हो जाता है। यह स्थिति सत्ता का विकेन्द्रीकरण होने के बाद नहीं होगी। वहां के लोग जिम्मेदारी ले लेते हैं तो राज्य सरकार का सारा भार हट जायेगा और भ्रष्टाचार भी कम होगा। तो मेरा इस सम्बन्ध में यही निवेदन है।

इसी प्रकार से मैं गृह मन्त्री से थोड़ी अपेक्षा करता था, इस देश में पांच करोड़ लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार है। वे रोजगार की तलाश में रहते हैं और गांवों से शहर की ओर आते हैं। शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो पुलिस एक्ट की जो धारा 109 है उसके अन्तर्गत किसी को भी पकड़ लेते हैं। प्रशासनिक सेवाओं को आदेश थाने से होता है और आदेश यह होता है कि हर सप्ताह दो आदमी पकड़कर लाएं हुजूर, मजिस्ट्रेट तक पकड़े गए हैं।

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

आप भी वकील हैं आप सब जानते हैं कि किस प्रकार 109 के मुकदमें झूठे आते हैं। जनता राज्य का कुछ तो संदेश मूक जनता का दीजिए जिससे समझ सकें कि वास्तविक रूप से कोई बुनियादी परिवर्तन आया है। मैं समझ रहा था कि बजट सत्र के अन्दर शायद ऐसी कोई बात सामने आयेगी कि जिससे यह जिस प्रकार की गन्दी दफायें हैं जिनमें पुलिस को असीमित अधिकार दे रखे हैं और जिनके अन्तर्गत मजिस्ट्रेट और एम. एल. ए. तक पकड़े गए हैं, रात रात भर उनको जेलों में रहना पड़ा है और जिस प्रकार सत्ता का दुरुपयोग होता है उसको खत्म करेंगे पुलिस को सत्ता का दुरुपयोग करने का शौक है, लूट खसोट का शौक बना हुआ है उसको खत्म करिये। इसके लिए बुनियादी परिवर्तन लाने वाला कोई कानून बनाइये। मैं निवेदन करूंगा कि यह सरकार इन चीजों पर जरूर विचार करें क्योंकि ये दफायें बड़ी गन्दी हैं, ये देश को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देंगी।

मैं आपके सामने यह कह चुका हूं और हमारे बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य बजरंगलालजी ने भी इस बात को कहा था कि क्या आवश्यकता है जो जिला पूल कायम रहे व्हिकल्स. का? क्या आवश्यकता है इसकी? आपकी सार्वजनिक परिवहन सेवा इतनी अफिशियेंट बने जैसे कि स्वीडन में है कि जहां का राष्ट्रपति, जहां का राजा, जहां का प्रधान मंत्री सारे सार्वजनिक व्हिकल्स में घूमते हैं। केवल एक विदेश मंत्री है जिसको सरकारी व्हिकल मिली हुई है इधर-उधर जाने के लिए। वहां की सेवा इतनी अफिशियेंट बनी हुई है कि सरकारी पूल की जरूरत ही नहीं है। आप भी इसको इतना अफिशियेंट बना दीजिए, इतना व्यापक बना दीजिये कि आवश्यकता ही न पड़े इसकी।

आज स्थिति क्या है? आज छोटा से छोटा डिपार्टमेंट, को-आपरेटिव डिपार्टमेंट के अन्दर आपने सवारी दे रखी है, जीप और कारें। क्या आवश्यकता है इसकी? हर डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर एक दो गाड़ी पुलिस के लिए रह सकती हैं, एक दो वैन हो जिससे तत्काल भागना पड़े तो जा सके। पुलिस को इसकी जरूरत हो सकती है। मेरी समझ में यह भी आ सकता है कि आप डॉक्टर को गाड़ी दे दें मरीज को देखने की दृष्टि से। लेकिन कलेक्टर को दे रखी है। छोटे-छोटे विभागों को दे रखी है। सिंचाई विभाग को दे रखी है। बरसात में अगर कहीं बाढ़ आ जाय तो उसके लिए अलग से व्यवस्था कर दीजिए। इसलिए जब तक आप अपना दृष्टिकोण नहीं बदलेंगे, सरकारी खर्चों में कमी करने का तब तक पैसा नहीं बचेगा, तब तक हमारे निर्माण के लिए पैसा मिलने वाला नहीं है। टैक्सेज का सेचुरेशन पांइन्ट आ चुका है, इससे ज्यादा टैक्स अब लग नहीं सकता। आपने घाटे का बजट प्रस्तुत किया है क्योंकि और आगे टैक्स लगाने की गुंजाइश नहीं है। जब तक आप प्रशासनिक सेवाओं पर होने वाले अपव्यय को, गलत खर्चों को कम नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर पायेंगे। इस देश में प्रगति के लिए सबसे बड़ी बाधक प्रशासनिक सेवायें हैं। कोई यह कह सकते हैं कि कलेक्टर के पास जीप नहीं रही तो उसकी क्या शान रहेगी। मैं कहता हूं कि शान के नाम पर शासन करने वाला जमाना लद गया है. अब तो सेवा से शासन करने का जमाना है। जब तक बुनियादी परिवर्तन इनमे नहीं करेंगे, हम कुछ नही कर पायेंगे। कांग्रेस तीस

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

साल तक इसी तरह से शासन करके चली गई और हम भी तीस महीने तक ही राज कर पायेंगे अगर इसी तरह से चले तो कांग्रेस तीस साल तक गालियां खाकर चली गई और हम तीस महीने में गालियां खाकर चले जायेंगे अगर यही हालत रही तो। इसलिए हम अपना दृष्टिकोण इस तरह से बनायें कि प्रशासनिक अपव्यय, गलत खर्चे जो भी हैं उनको समाप्त करें, तत्काल समाप्त करें, बेरहमी के साथ खत्म करें ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा बच सके और समाज के निर्माण कार्यों में लगा सकें।

सभापतिजी, इस राजस्थान के अन्दर, Sorry, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में मेरे विचार से खनिज सम्पदा इतनी अधिक है कि उसकी तुलना शायद बिहार के अलावा दूसरे प्रदेश से नहीं हो सकती। बिहार हिन्दुस्तान का सबसे धनी प्रदेश है प्राकृतिक साधनों की दृष्टि से और बिहार ही हिन्दुस्तान में सबसे गरीब प्रदेश है जन-संख्या की औसत आय की दृष्टि से। आखिर यह चीज क्यों है? क्या कारण है? क्या मेन पावर नहीं है आपके पास? प्राकृतिक साधन नहीं हैं आपके पास? सिंचाई के साधन नहीं हैं आपके पास? क्या भूमि उपजाऊ नहीं है आपके पास? क्या कारण है? कारण, इस समाज में व्याप्त जड़ता है। सुखाड़ियाजी ने 18 साल तक राजस्थान पर शासन किया। इतना अनैतिक सम्बन्ध बड़े बड़े घरानों के साथ उनका हो गया कि 35-35 रुपये की नौकरी करने वाला जो क्लर्क था वह पांच दस करोड़ का आसामी हो गया। सुखाड़िया को श्रेय है इसका। मैं इस चीज को बखूबी जानता हूं। मेरे यहां नीम का थाना के श्री श्रीकिशन मोदी सन् 42 में 36) रुपये में बिड़ला मिल में नौकरी करते थे। इसकी कोई गिला नहीं कि आज वह करोड़पति बन गये, लेकिन किस कीमत पर? कम से कम उस इलाके के छोटे से छोटे जो परिवार थे उनको समूल रूप से नष्ट करके एक हाथ में मोनोपोली दे दी गैर कानूनी ढंग से। उसके खिलाफ में 55 लोगों ने दरख्वास्त दी, एक पिटीशन दी, मैमोरेंडम पेश किया लेकिन क्या हुआ? उसमें वहां के कांग्रेसी सत्ताधारी शामिल हैं, प्रशासनिक सेवायें शामिल हैं, सबका हिस्सा है। गैर कानूनी तरीके पर अन नोटिफाइड एरिया रातों-रात लीज पर दे दिया। लीज खत्म होने में तीन साल बाकी हैं लेकिन तीन साल पहले ही रिन्यू कर दिया क्योंकि दूसरी सरकार आ जाय तो न मालूम क्या हो? आज उस खनिज विकास की तरफ बजट के अन्दर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। मैं चाहूंगा कि यह सरकार नीति घोषित करे कि इसमें जो मोनोपोली है उसको समाप्त किया जाय बयाना से आने वाले सदस्य श्री शिवचरणसिंहजी ने शायद सैंड स्टोन का जिक्र किया था। हमारे यहां लाइम स्टोन की खानें हैं। सोजत के अन्दर लाइम स्टोन की खानें हैं। इसका सही उपयोग नहीं होने के कारण जहां एक ओर सरकारी रेवेन्यु को घाटा होता है वहां लोगों को रोजगार कम मिलता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि इन मोनोपोलिस्ट्स को खत्म करके छोटे-छोटे प्लाट बनाकर अधिक से अधिक खनिज के ठेकेदार पैदा करें जिससे आपकी आय का स्रोत बढ़े, साथ ही आपका यह काम सुचारु रूप से चल सके, और बेरोजगारी की समस्या का निराकरण कर सकें। क्या

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

कारण है कि इस प्रदेश के अन्दर इतनी अधिक खनिज सम्पदा होते हुए भी यह प्रदेश इतना गरीब है कि हमारा स्थान 21वां या 22वां आता है आय में। हमारा शर्म के मारे सिर झुक जाता है। मुझे एक बात याद आती है, उपाध्यक्ष महोदय। अमेरिका के लोगों ने सुन रखा था कि हिन्दुस्तान के लोग हैं गरीब हैं क्योंकि पी. एल. 480 और न मालूम कई बातें थीं जिनसे उनको यह पता था कि हिन्दुस्तान के अन्दर बहुत अधिक भुखमरी है। यहां के लोग बहुत भूखे हैं। वहां पर एक भोली भाली महिला थी। उसने भी यह सुन रखा था कि हिन्दुस्तान में बहुत भुखमरी है। एक हिन्दुस्तानी हवाई जहाज से पहुंच गया। उस बुढ़िया के पड़ोस में उसका मित्र रहता था। उसके पास जाने के लिए पूछता हुआ उस बुढ़िया के पास पहुंच गया। उस बुढ़िया ने पूछा कि तुम कहां से आए हो? उसने कहा कि मैं हिन्दुस्तान से आया हूं। बुढ़िया इतना सुनते ही तुरन्त भीतर गई और खाने के लिए कई तरह के साज सामान लेकर आई। उसने कहा, तुम्हारा देश हिन्दुस्तान बहुत गरीब है, तुम भूखे होगे, पहले तुम खाना खाओ। यह हमारी स्थिति है दुनियां में। साधन आपके पास हैं, मैनपॉवर आपके पास है लेकिन जड़ता है। आपकी प्रक्रिया खराब है और उसको सुधारने के लिए बजट में कोई रिफलेक्शन नहीं है। मैं चाहूंगा कि सरकार निश्चित रूप से खनिज उद्योग धन्धों की तरफ ध्यान दें और देश के अन्दर व्याप्त जड़ता को तोड़ें और छोटे-छोटे लोगों को इस उद्योग धन्धे में पनपायें ताकि रोजगार बढ़े और साथ ही इस प्रदेश की दौलत में बढ़ोतरी हो।

श्री सुखलाल सेगाया : उपाध्यक्ष महोदय, इस मामले में माननीय सदस्य ने बड़ी इम्पार्टेन्ट बात कही है लेकिन मंत्री महोदय ध्यान नहीं दे रहे हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, कीमतों की बढ़ोतरी के सम्बन्ध में जिक्र किया जाता है। इस पक्ष में बैठने वालों ने भी जिक्र किया है। वास्तव में हो यह विकट समस्या है। गंभीरता से सोचिये, मैं विपक्ष से यह निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ ऐसे मुद्दे, बुनियादी मुद्दे छांट लें जिसमें आपका और हमारा दृष्टिकोण एक है और जो समाज के उत्थान की दृष्टि से आवश्यक है। ऐसे मुद्दे जिसके अन्दर आप और हम एक मत हो जायं जैसे, भ्रष्टाचार को समाप्त करने का प्रश्न है, इनफ्लेशन का प्रश्न है, प्रशासनिक सेवाओं को काबू में लाने का मुद्दा है, सरकारी अपव्यय को समाप्त करने का मुद्दा है। इस तरह के कुछ मुद्दे छांट लें जिसमें उधर बैठने वाले और हम सब एक मत होकर आवाज उठा सकें। और समाज को गति दे सकें। मैं निवेदन करता हूं कि किसी भी मामले पर हम आप पर आरोप लगायें और आप हम पर आरोप लगायें इससे कुछ मिलने वाला नहीं है यह बात सही है कि इनफ्लेशन बहुत ज्यादा हो रहा है और इससे कीमतें बढ़ रही हैं। हम यह छोटे मोटे आरगुमेन्ट दें कि भाई यह तो हमें आपसे विरासत में मिली हैं। आप यह कहें कि अब तो आप सक्षम हैं। आपका शासन है, आपका बहुमत है। आपसे मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आखिर यह जो कीमतों वाला मामला है, वह इस तरह से तो नहीं निबट पाएगा। डिपार्टमेंटल स्टोर खोलने से भी यह मामला

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

नहीं सुलझने वाला है। छोटे मोटे व्यापारियों पर छापा मार कर भी इस मामले से नहीं निपटा जा सकता है और न बड़े व्यापारियों पर दोष मढ़ने से। इस समस्या के हल के लिए एक ही तरीका है कि एक तो उत्पादन को बढ़ाया जाए और दूसरे मनी सप्लाई में कमी आवे। मनी सप्लाई में कमी नहीं आएगी तो ये जो चीजों की कीमतें बढ़ती हैं, उसको आप नहीं रोक पाएंगे। मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि कई अर्थ शास्त्रियों की यह निश्चित मान्यता रही है कि आज देश में जितनी मनी सप्लाई है उसमें 30/40 पर्सेन्ट अन अकाउन्टेड है। टेंटी अन अकाउन्टेड है। मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार इसकी योजना पर विचार करे। मंत्रीमण्डल इस पर विचार करे और उसके बाद केन्द्रीय सरकार को इस योजना से अवगत करावे। वियतनाम ही आज दुनियां में एक ऐसा मुल्क है जिसने अमेरिका जैसे देश से बीस साल तक लड़ाई लड़ी, दुनियां के पर्दे पर कोई ऐसा देश न तो है और न होगा। बीस साल की लड़ाई के बाद भी वहां पर महंगाई आज दो पर्सेन्ट बढ़ी है। चीन में क्या है ? उस पर कोई विदेशी कर्जा नहीं है। और न वहां पर कीमतें बढ़ रही है। तो इस समस्या का एक ही निराकरण है Total replacement of currency note एक टाइम आप मुकर्रर कर दीजिए की 15 दिन के अन्दर आप करेन्सी को बदलवा लीजिए। करेन्सी को बदल दीजिए। जितनी मनी आज सक्यूं-लेशन में है उसका 1/3 मनी तो अपने आप खत्म हो जाएगी। यह भी रोक लगा दीजिए कि दो हजार रुपये से ऊपर के करेन्सी नोट कोई बदलवाता है तो उसको उसका विवरण देना होगा। तो यह जो ब्लेक मनी है, यह अन्दर के अन्दर ही मर जाएगा। और 30/40 पर्सेन्ट रुपया साफ हो जाएगा। इसके अलावा और कोई उपचार सामने नहीं है। इससे ही यह समस्या सुलझेगी। दूसरी चीजों से समस्या उलझती जाएगी। इसके अलावा दूसरा कोई निराकरण नहीं होगा। देश के अन्दर आज जो सक्यूंलेशन आफ मनी है, उस सक्यूंलेशन आफ मनी के अन्दर अगर कटौती करनी है तो रिप्लेसमेन्ट आफ नोटस करिए। जिन के पास बेईमानी का पैसा है वे अकाउन्ट फार नहीं करा सकेंगे और एक बहुत बड़ी समस्या, जनता की, आपकी अपने आप हल हो जाएगी। इसके सारे पहलूओं पर जनता सरकार जल्द से जल्दी विचार करे। पहले तो बड़े धन्ना सेठ कांग्रेस के साथ थे और अभी वे जनता पार्टी को प्रभावित नहीं कर पाए हैं। जब तक वे हमें प्रभावित नहीं कर पावें, उसके पहले ही तुरन्त फुरन्त आप यह काम कर दीजिए। तुरत फुरत कर देंगे तो यह हो जाएगा वरना यह मामला टलता जाएगा। मेरा निवेदन है कि जनता सरकार इस पर विचार करे और एक निश्चित मत बना कर अपने विचार से केन्द्रीय सरकार को अवगत करादे ताकि हम महंगाई की समस्या से छुटकारा पा सकें। इससे देश में वास्तविक रूप से क्रान्तिकारी परिवर्तन आएगा। यह बात मेरे दिमाग में आई है। मैंने इस पर अध्ययन किया है और प्रेक्टिकल चीज है जो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

जहां तक, उपाध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है,........ ...

श्री मूलचन्द डांगा : जिस दिन शपथ ली उस दिन से ही साफ हो गया।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अभी तो आप बैठे हैं।

जहां तक भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है हम तो उससे डरते हैं। आज भी एक प्रश्न के ऊपर जो एग्रो इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन के सम्बन्ध में था, आप लोग बचाने की कोशिश में थे और हम लोग फसाने की कोशिश में थे। जब तक आप लोग बैठे हैं भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। फिर भी हम कोशिश करेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : आपके सामने बैठे हैं, आपका भाषण सुनने के लिए बैठे हैं। इतनी भी आपकी नजर नहीं है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आपको ठेस लगती है तो मैं नहीं कहूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : मुख्य मंत्री जी ने माणक चौक चौपड़ पर भाषण दिया था, जिस दिन शपथ ली उसी दिन भ्रष्टाचार रफू चक्कर हो गया। तब भ्रष्टाचार कहां रहा। अब तो शिष्टाचार हो गया है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आपके पाले हुए मुर्गे अब भी हमारी छाती पर चारों तरफ बैठे हुए हैं।

एक माननीय सदस्य : आप तो बच कर रहें।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मेरा यह पुरजोर निवेदन है सरकार से और गृह मन्त्री महोदय से जो यहां पर मौजूद हैं, भ्रष्टाचार के उन्मूलन का आप पर दायित्व है। हमारा लक्ष्य है भ्रष्टाचार को मिटाना। राजनैतिक भ्रष्टाचार के समूल रूप से नष्ट हुए बिना कुछ भी काम नहीं हो सकेगा। दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के सेवा नियमों में........

श्री मूलचन्द डागा : यह राजनैतिक भ्रष्टाचार क्या है ?

श्री सूर्य नारायण चौधरी : जिसके सहारे आप तीस साल तक शासन कर चुके हैं। उपाध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार के मामले में कोई व्यक्ति बीच में बोलता है तो आप उसको रोकिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि राजस्थान को प्रशासनिक सेवा नियमों में एक बुनियादी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इसके अच्छे नतीजे भी होंगे। चाहे यू डी. सी. हो, एल. डी. सी. हो या कोई गजेटेड ऑफिसर हो, सब को भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में सीधा सम्पर्क कर के अपने मुद्दों को प्रस्तुत करने का अधिकार आप प्रदान करें। डिपार्टमेन्ट का एक क्लर्क जानता है कि कहां पर उसके विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है, कहां पर नियमों को भंग किया जा रहा है, उसको छूट दीजिये। हो सकता है कि इससे बड़े प्रशासनिक अधिकारी चौंक जाएं। यह कह सकते हैं इससे अनुशासनहीनता आ जाएगी शासन के अन्दर। इस तरह की बात कह कर वे टालने लग जाएं तो मैं निश्चित रूप से निवेदन करूंगा कि आप यह छूट दें तो उनमें एक डर पैदा होगा। वे जानने लग जाएंगे कि क्लर्क निश्चित रूप से हमारा दुश्मन हो जाएगा। भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में हमारी शिकायत करेगा और उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसलिए ऐसा रूल्स में अमेन्डमेन्ट हो तो तीव्र गति से यह भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा। आज क्या होता है। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके बिना

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

पूछे कोई क्लर्क कोई चीज नहीं भेज सकता है अगर कोई क्लर्क ऐसा कर दे तो प्रशासनिक अधिकारी उसकी सी. आर. खराब कर सकता है। डिसीप्लीनरी एक्शन ले सकता है। अगर इस तरह का अमेन्डमेन्ट सर्विस रूल्स में कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से एक नया वातावरण बनेगा। आज भ्रष्टाचार हमारा दुश्मन है। इस देश के हर नागरिक का दुश्मन है। प्रशासनिक सेवा नियमों में अमेन्डमेन्ट कर के, नीचे के लोगों से सरकार को-आपरेशन ले तो यह भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है। यह कुछ लोग, जिन्होंने अपना एक गुट बना लिया है, चांडाल चौकड़ी बना रखी है, के कारण भ्रष्टाचार पनपता रहता है। इसमें एक बुनियादी परिवर्तन मैं चाहता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अभी समाप्त करता हूं।

दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन्डिपेन्डेन्टली अमेन्डमेन्ट के आधार पर तुरंत-फुरत एक आयोग नियुक्त किया जाना चाहिये जिसके ऊपर मन्त्रिमण्डल की कोई दखलन्दाजी नहीं होनी चाहिये। यह मेरा निवेदन है। ये दो चीजें नहीं होंगी तो इस देश से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। यह मेरा निवेदन है कि जैसे ही भ्रष्टाचार खत्म होगा वैसे ही इस देश में एक नयी गति आएगी।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया पृष्ठ मत पलटिये। समय काफी हो चुका है।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इतना समय दिया। मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

एक माननीय सदस्य : हमारे ऊपर भी कृपा दृष्टि होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : कल आपको समय मिल सकता है। मैं प्रयत्न करूंगा।

एक माननीय सदस्य : मेरा यह निवेदन है कि सत्ता पक्ष के तीन-चार सदस्यों के बाद एक सदस्य को इधर से भी मौका दिया जाय तो डिबेट अच्छी रहेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मन्जूर अली।

श्री मन्जूर अली (सवाई माधोपुर) : जनाबे नायब सदर, बजट जिस किस्म का पेश हुआ है, उसके लिए मैं तजवीज-ए-शुक्रिया पेश करता हूं। मैंने इसको सरसरी नजर से देखा है। बजट को देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि इसको गरीब अवाम का पैगाम लिए राहत तो नहीं कहा जा सकता है लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि एक मजदूर पसीना सुखाने को कुछ आराम कर सकता है, किसान भी कुछ तसल्ली की सांस ले सकता है। यह दौलतमन्द और मालदार आदमी को कम और अवाम को किसी कदर फायदा पहुँचाता है, इस बारे में कई तरह से नुक्ताचीनी की गई है। हमारे डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा है कि मालदार आदमियों पर टैक्स बढ़ गया है। यह सोचने की बात है। वैसे जनता पार्टी की सरकार ने इस बजट के जरिये से एक नई फिजां पैदा की है। यह मुझे यकीन है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में मिडिल क्लास को कुछ राहत मिलेगी इसमें एक मद एम्पलायमेन्ट की है। एम्पलायमेन्ट ऑफिसर काम करते हैं इसलिए बहुत से लोग वहां पर अपना नाम दर्ज कराते हैं। लेकिन

(श्री मंजूर अली)

वहां बहुत सों को कुछ नहीं मिल पाता है और नौकरी की उम्र निकल जाती है। इसलिए इसके लिए ऐसा किया जाये कि जो एक बार नाम दर्ज करा ले उसको नौकरी मिल जानी चाहिए। भले ही उसको 7 साल क्यों नहीं हो जायें। एम्पलायमेन्ट एक्सचेन्ज में बहुत से ऐसे आदमी भी गये हैं जो अपनी एज कम कराके ही काम पर लग सकते हैं। जो आदमी एक बार नाम दर्ज करा ले उसको नौकरी नहीं मिलती है तो ऐसे आदमी के बारे में सोचना चाहिए। मेरे पास एक साहब श्री हबीब हसन आये जिन्होंने "अम्दतुल हुक्मा" यूनानी की सबसे बड़ी डिग्री पास की और वह एजूकेशनीस्ट है। उनका नाम सन् 1971 से एम्पलायमेन्ट एक्सचेंज में दर्ज है हांलाकि एसोसियेशन में भी दर्ज है। लेकिन अब तक उनको नौकरी नहीं मिली है इस किस्म के पचासों आदमी आते हैं। एक साहब आये जो एम० ए० थे। उनकी उम्र में एक दिन बाकी था। वह चाहते थे खुदा के वास्ते उनको चपरासी ही बना दिया जाये। मैंने शिक्षा मन्त्री से प्रार्थना की अब उनको कहीं प्राइमरी स्कूल में रखा गया है। मैं तजवीज करता हूं कि ऐसा कानून बनाया जाए कि एक बार नाम दर्ज कराने के बाद रिन्यूअल होता रहे तो उसको एज बार ना माना जावे और नौकरी दी जावे। शिड्यूल कास्टस और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को कान्स्टीट्यूशन में रिजर्वेशन दे रखा है क्योंकि हिन्दुस्तान का अवाम ऊंची और नीची जाति में फंसा हुआ है। मैं बगैर झिझक कह सकता हूं कि अगर यह रिजर्वेशन नहीं होता तो हमने इनको बहुत गहरे पानी में उतार दिया होता। राजस्थान में माइनोरिटी की हालत इससे कम खराब नहीं है। सवाई माधोपुर, झालावाड़ और टोंक ये तीन जिले ऐसे हैं जहां अवाम की हालत बहुत खराब है। इन जिलों की आमदनी पर केपिटा, प्राडक्शन पर केपिटा, और इण्डस्ट्रीज का प्रोडक्शन पर केपिटा देखने के बाद इस मामले पर गुजारिश है कि सवाई माधोपुर, झालावाड़ और टोंक जिले के इन्डस्ट्रीली बेकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स घोषित किया जाये। 20 सालों में माइनोरिटी की हालत कम्पेरिटिवली और खराब हुई है। अगर कम्पेरेटिवली तरक्की की जांच कराई जाए तो जो नतीजे निकलेंगे, उसमें हकीकत यह सामने आयेगी कि उनका स्टेटस, स्टेण्डर्ड आफ लीविंग बढ़ा नहीं है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि इन तीनों जिलों के माइनोरिटीज के लोगों को बेकवर्ड क्लासेज घोषित किया जाये।

बेरोजगारी के मामले में मेरी गुजारिश यह है कि बेरोजगारी का अलाउन्स केवल शिड्यूल्डकास्टस और शिड्यूल्डट्राइब्स को दिया गया है। लेकिन बेरोजगारी भत्ता किसी फिरके पर या किसी जाति पर तय नहीं होना चाहिये बल्कि माली हालत पर तय होना चाहिये। यह जाति के हिसाब से नहीं होना चाहिये। बेरोजगारी अलाउन्स इसीलिए दूसरे गरीबों को नहीं दिया जा रहा है क्योंकि वह एस० सी० या एस० टी० नहीं है जब कि वह माली हालत के लिहाज से शिड्यूल्ड कास्ट्स व एस० टी० से ज्यादा गरीब हैं। बेरोजगारी का अलाउन्स जिसकी माली हालत खराब हो उसको दिया जाना चाहिए।

सवाई माधोपुर में 20 साल से वकील भी हूं। इस जिले में घूमा भी हूं। गूजर

(श्री मंजूर अली)

बिरादरी में बड़ी बेरोजगारी है। वहाँ पर जो गुजरों की जाति है, वह जंगल में रहते हैं। उनको भी बहुत खराब हालत है। डिस्ट्रिक्ट की शिड्यूल्ड ट्राइब्ज में उनको भी शामिल करें।

शराब बन्दी कानून के लिए मैं सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं। उस पर उन्होंने कदम उठाना शुरू कर दिया है। यह बुराई जहाँ पैदा होती है तो आस-पास में भी बुराई पैदा करती है यह बुराइयों को जन्म-दाता है। एक्सीडेन्ट भी इसके कारण से होते हैं, सेक्सुअल जुर्म भी इससे बढ़ते हैं।

उसमें 30 साल से कम उम्र का जो भी मुल्जिम मिले वह आदमी नशे में होने की वजह से एक्सीडेन्ट या जुर्म करते हैं। हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे भी शहरी हैं जो कि इसके लिए मजबूर हो जाते हैं। हम जानते हैं कि वह मरीज है। उनकी आदत पड़ गई है। अपनी सोसाइटी को अपने पैरों पर लाने के लिए यह बन्द होना जरूरी है। आदतन जो पीना चाहें उनके लिए इस पर टैक्स दुगुना या तिगुना कर देना चाहिये।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : फिर तो जो शराब लोग बनाते हैं, वह सस्ती होती है, वह पियेंगे लोग।

श्री मंजूर अली : जब पाँच रुपये की बोतल 15 रुपये में मिलेगी तो पीना बन्द कर देंगे। ट्रान्सपोर्ट के मामले में पेटी आप-रेटर्स को यह धन्धा करने दिया जाये। इसके लिए 50 किलोमीटर का जो फासला है, वह खुला रखा जाये। यानी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स से 50 किलोमीटर तक का रूट नेशनलाइज न किया जाये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक्सपेन्डी-चर साइड आफ दी बजट को भी मैंने सरसरी निगाह से देखा है इस सिल सिले में दो लब्ज माननीय सदस्यों से मुझे अर्ज करना है कि रोड्स और इरिगेशन के बारे में बजट में जो पैसा बढाया गया है उसको मैंने सरसरी तौर से देखा। मैं समझता हूं कि हमारा जो एस्टेब्लिशमेन्ट का और एडमि-निस्ट्रेशन का खर्चा है वह बहुत ज्यादा है। अगर आप इस पर माइन्यूटली गौर करें तो इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि पी. डब्ल्यू.डी. का जो खर्चा है वह ए क्लास आफिसर्स का ज्यादा है। यह उसी तरह से जिस तरह से कि हम का खाने की पैदावार तो कम कर रहे हैं और उस पर वर्कर्स का और आफिसर्स का खर्चा ज्यादा हो रहा है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि पी. डब्ल्यू. डी., इरिगेशन एस्टेब्लिशमेन्ट का एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा कम किया जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस मौके पर उर्दू जुबान के बारे में भी कुछ अर्ज करना है। इसलिए नहीं कि वह मुसलमानों को जुबान हैं, लेकिन वह लश्करी जुबान है, वह हिन्दुस्तान में पैदा हुई है, हिन्दुस्तान की जुबान है, एक जोशीली जुबान है, वह जोशीला जज्बात पैदा करती है। कांग्रेस सरकार ने उर्दू पर जुल्म किया है। गालिब का दिन मनाया गया है लेकिन उर्दू को दफन कर दिया गया है। उर्दू जानने वाले बेरोजगार हो गए हैं। मेरी गुजारिश है कि इस पर भी तवज्जह दी जाय। उर्दू में म्युनिसिपैल्टी और तहसीलों में दरख्वास्त दे सकें तो मैं समझता हूं कि इसको ताकत मिलेगी। पिछली सरकार ने उर्दू की अकादमी कायम की, भले ही वह बराये नाम हो, लेकिन

(श्री मंजूर अली)
जब उर्दू की तरक्की की बात कही गई तो उन्होंने कहा कि यह तो फिरका परस्ती है। यह सरासर उर्दू पर जुल्म था।

"हम आह भी भरते हैं;
तो हो जाते हैं, बदनाम
वह कत्ल भी करते हैं,
तो चर्चा नहीं होता।"

आपने उर्दू अकादमी कायम की है, ठीक है, लेकिन उसमें जान डाली जाय। ताकि इस जुबान को जानने वाला जो राजस्थान का तबका है उसको यह बात मालूम हो सके कि उनके बारे में कुछ हो रहा है। इससे बेरोजगारी को दूर करने भी मदद मिलेगी। मैं समझता हूँ कि मुझे दस मिनट मिलने थे,

श्री अब्दुल अजीज : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य महोदय को बता दूं कि जनता पार्टी के मेनिफेस्टो में जो घोषणा की गई थी उससे इसमें पांच गुना बजट कम कर दिया गया है।

श्री मंजूर अली : मेरी गुजारिश है कि जितनी भी इसमें अच्छी बातें हैं उनकी हम तारीफ करते हैं। इस बजट की तकरीर को सराहते हुए मैं अपनी जगह लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा !

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्रीजी द्वारा प्रस्तुत परिवर्तित बजट का अनुमोदन करते हुए मैं यह कहना चाहूंगी कि वित्त मन्त्री महोदय तथा मन्त्रिमण्डल इस सारे बजट के लिए धन्यवाद के पात्र हैं। प्रस्तुत बजट को देखकर एक बार सुभाष बाबू का दिल्ली चलो नारा "चलो गांव की ओर" के रूप में याद आ गया है। फटे हाल, पिचके पेट, टूटी पनही के दरिद्र नारायण ने ध्यान खींच ही लिया परन्तु क्रियान्विति के सम्बंध में मैं कहना चाहूंगी। इसी प्रकार से अन्त्योदय की योजना जो है, उसके बारे में भी तस्वीर सदन के सामने आनी चाहिए।

इसी प्रकार से एक दूसरा विषय था जिसके बारे में विस्तृत रूप से योजना बनाई जानी चाहिए थी। आय-व्ययक भाषण में वित्त मन्त्री महोदय ने कई समस्याओं के बारे में समुचित विश्लेषण किया है, किन्तु नशाबन्दी, जिस पर कि विशेष बल देना चाहिए था, पर बल नहीं दिया गया। राजघाट पर सभी लोगों ने जनतन्त्र की सुरक्षा की शपथ खाकर इस राज्य को संभाला, उस बापू की पुण्य जन्म तिथि 2 अक्टूबर को, मैं चाहूंगी, यह सरकार घोषणा करे कि देश में अब पूर्ण नशाबन्दी लागू होगी। मैं यह कहना चाहूंगी कि इस आय के पैसे से हमको हाथ खींच लेना चाहिए। लोग यह न कहने लगें कि शराबी की लत नहीं जाती उसी तरह से शराब से होने वाली आय का लोभ भी नहीं छूटता।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगी कि जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान स्थापित करके बहुत अच्छा कार्य हुआ है। पिछले दिनों केन्द्रीय मन्त्री जी द्वारा उसका उद्घाटन भी करवाया गया। इस अनुसंधान केन्द्र में गत सरकार की गलत नीतियों के कारण अभी तक कोई कार्य सुचारु रूप से प्रारम्भ नहीं किया गया है तथा इस अनुसंधान केन्द्र में कार्य करने वाले वैद्यों का चयन भी नहीं किया गया है। अब मैं आशा करती हूं कि इस राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

में शीघ्र ही व्यापक पैमाने पर कार्य शुरु होगा। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगी कि इस सम्बन्ध में जो पैसा रखा गया है वह बिल्कुल अपर्याप्त है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गत वर्ष भी कुछ आयुर्वेदिक अस्पताल खोले गये, इस वर्ष भी कुछ आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने का प्रस्ताव है लेकिन वर्तमान सरकार यह देखे कि गत सरकार की भांति कहीं ऐसा न हो कि कहीं पर वैद्य नहीं है, कहीं पर उप वैद्य नहीं, या कर्मचारी नहीं है।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, भाषण दे रही हैं या भाषण पढ़ रही हैं?

श्री उपाध्यक्ष : वह पढ़ भी सकती हैं, नोट्स हैं और नोट्स के आधार पर बोल रही हैं।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : उपाध्यक्ष महोदय, सदन का टाइम हो गया है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि इस विभाग में उचित व्यवस्था होनी चाहिये। रसायनशाला में उचित जड़ी-बूटियों की व्यवस्था होनी चाहिये। इस सन्दर्भ में मैं यह भी कहना चाहूंगी कि राज्य सरकार की ओर से जो असमान वेतनमान आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा के हैं वे एलोपेथिक के डाक्टरों के समान होने चाहिए। यह बहुत ही दयनीय स्थिति है। इससे उनमें हीन भावना उत्पन्न की जा रही है। इसके साथ ही मैं यह कहना चाहूंगी कि सरकार ने पिछले तीस वर्षों में भिक्षावृत्ति उन्मूलन के बारे में कोई ठोस निर्णय नहीं लिये। 109 में जो सब से ज्यादा गरीब लोग थे, आपातकाल में उनको पकड़ा गया। उनके लिए मेरा निवेदन है कि उचित प्रावधान होना चाहिये। उनके लिये पैसों का नियोजन होना चाहिये। जो पैसा समाज कल्याण विभाग के लिये रखा गया है वह बहुत कम है, मैं चाहती हूँ कि उनको योजना को हाथ में लिया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : समय समाप्त हो चुका है।

सदन की कार्यवाही कल मंगलवार दिनांक 13-9-77 के म. पू. 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 5.00 बजे मंगलवार दिनांक 13 सितम्बर, 1977 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की गई)

———

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 98 का विवरण)

2. मदवार व्यय (रुपयों में)—

	मदवार ब्यौरा	1972-73	1973-74	1974-75	1975-76	1976-77	विशेष विवरण,
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.	सवेतन	2,28,590	2,43,736	3,12,523	3,08,264	3,10,183	
2	यात्रा व्यय	7,309	6,771	11,842	7,623	9,345	
3.	चिकित्सा व्यय	8,234	6,723	6,772	2,818	2,304	
4.	कार्यालय व्यय	51,122	33,724	29,284	33,641	29,746	
	योग प्रशासनिक व्यय....	2,95,255	2,90,954	3,60,421	3,52,346	3,51,578	
5.	नमक का क्रय (उत्पादन व्यय)	7,67,376	36,618	11,08,424	3,57,080	2,67,733	
6.	अनुरक्षण	33,223	15,946	16,307	22,034	21,853	
7.	किराया, रेन्ट व कर/रॉयल्टी	1,34,795	13,543	1,04,445	2,11,552	70,000	
8.	डिस्पेच व्यय	—	—	—	—	—	
9.	लघु निर्माण कार्य	—	—	104	—	5,000	

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	विज्ञापन	—	—	1,337	1,248	—	
11.	वृत्तिक एवं विशिष्ट सेवाओं के लिए संदाय	—	—	32,702	6,973	—	
12.	अवमूल्यन	27,826	28,712	29,645	10,365	30,000	
13.	ब्याज	28,610	48,431	99,562	1,02,601	50,000	
14.	अंकेक्षण शुल्क	6,537	12,209	8,226	8,426	अभी महालेखाकार ने सूचित नहीं किया है।	
15.	अवकाश, वेतन एवं सेवा निवृत्ति अंशदान	12,403	12,103	11,519	10,505	—	
	योग....	10,10,770	1,67,562	14,12,271	7,30,784	4,44,586	
	कुल योग....	13,06,025	4,58,516	17,72,692	10,83,130	7,96,164	

नोट:—वर्ष 1972-73 से 1975-76 तक के आंकड़े प्रोफार्मा लेखों पर एवं 1976-77 के आकड़े महालेखाकार कार्यालय द्वारा बुक किये गये अंकों पर आधारित हैं।

---

(98)

परिशिष्ट—2

(तारांकित प्रश्न संख्या 100 का समझौता)

समझौता फार्म

उपस्थिति—

बैंक की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि—

श्री सम्पत राय जैन, जनरल मैनेजर, दी राजस्थान स्टेट कोआॅप० बैंक लि०, जयपुर यूनियन के प्रतिनिधि:—

1. श्री रामलाल खण्डेलवाल, प्रांतीय अध्यक्ष, राजस्थान बैंक एम्पलाईज यूनियन
2. श्री जीतमल गुप्ता, प्रांतीय उपाध्यक्ष, राजस्थान बैंक एम्पलाईज यूनियन
3. श्री धर्मीचन्द भंसाली, उप-महा मंत्री (प्रांत) राजस्थान बैंक एम्पलाईज यूनियन
4. बैंक के अवार्ड स्टाफ के वेतन व अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में यूनियन व बैंक के बीच 3 वर्ष पूर्व हुये समझौते की अवधि दिनांक 31-8-72 को समाप्त हो जाने पर मंत्री राजस्थान बैंक एम्पलाईज यूनियन, जयपुर, द्वारा दी राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव बैंक लि०, जयपुर को एक मांग पत्र दिनांक 16-8-72 प्रस्तुत किया गया जिस पर दोनों पक्षों के मध्य विचार विमर्श बाद निम्नलिखित समझौता हुआ:—

1. वेतन-श्रृंखला—

   क्लेरिकल स्टाफ—150–6–168–8–200–12–272–15–332–18–350–20–430–25–480/25 वर्ष

   चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी—95–2.1/2–105–3–120–4–140–5–170 21 वर्ष

2. ग्रेज्यूएट्स को एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि (ग्रेड इन्क्रीमेंट) मकान किराया–199/-रु० के मूल वेतन तक 15/-रु० प्रति माह तथा 200/-रु० व इससे अधिक के मूल वेतन पर 25 रु० प्रति माह।

   नोट:—मूल वेतन में विशेष भत्ते भी शामिल होंगे।

4. फिक्सेशन—स्टेज टू स्टेज।

5. वार्षिक वेतन वृद्धि की दिनांक:—पूर्व की भांति रहेगी।

   यह समझौता दिनांक 1 सितम्बर, 1972 से लागू माना जावेगा और इस दिनांक से 3 वर्ष की अवधि के लिये होगा।

(99)

उपरोक्त समझौता आज दिनांक 2-2-1973 को निम्न हस्ताक्षरकर्त्ताओं के मध्य हुआ जो दोनों पक्ष (बैंक एवं कर्मचारियों तथा यूनियन) को मान्य होगा और इसके आधार पर यूनियन के प्रतिनिधियों ने इस समझौते की अवधि तक समझौता दिये गये विषयों पर कोई आन्दोलन न करने का निर्णय लिया; अन्य सेवा नियम व सुविधायें पूर्व की भांति रहेगी।

वास्ते दी राजस्थान स्टेट को-ऑप० बैंक लि०, जयपुर — वास्ते राजस्थान बैंक एम्पलाईज यूनियन

(सम्पत राय जैन)
जनरल मैनेजर

(रामलाल खण्डेलवाल)
प्रांतीय अध्यक्ष

जयपुर, 2-2-1973

गवाह:—

(जी० एस० भटनागर)

(जीतमल गुप्ता)
प्रांतीय उपाध्यक्ष

(धर्मीचन्द भंसाली)
उप महा मंत्री (प्रांत)

(श्यामसिंह सिमसिनवार)

(रामवतार चोमाल)

(श्याम दत्त व्यास)

(हरिनारायण शर्मा)

(केशरलाल)

प्रतिलिपि:—श्रम आयुक्त महोदय, राजस्थान सरकार, जलेबी चौक, जयपुर को वास्ते उक्त समझौते को पंजीकृत करने एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित की जाती है।

(सम्पतराय जैन)
जनरल मैनेजर

(रामलाल खण्डेलवाल)
प्रांतीय अध्यक्ष

———

परिशिष्ट–3

(तारांकित प्रश्न संख्या 103 की सूची)

भीलवाड़ा शहर में सन् 1965-66 में खेती की जमीन औद्योगिक क्षेत्र में परिणत की गई की सूची

क्रम सं०	नम्बर खातेदार	परिणत बीघा	क्षेत्रफल बिस्वा	उद्योग जिस हेतु स्थानान्तरण हुआ
1.	श्री राम पिता ज्वाला प्रसाद एवं रघुनन्दन पिता श्रीराम, निवासी भीलवाड़ा	1	10 1/2	पावरलूम स्थापना हेतु
2.	श्री उत्सव कुमार पिता कनकमल एवं श्री शांतिलाल पिता शोभा लाल बोहरा, निवासी भीलवाड़ा	1	10 3/4	,,
3.	श्री मनोहरलाल पिता नाहरमल एवं श्री रोशन लाल पिता शोभा लाल बोहरा निवासी, भीलवाड़ा	1	10 3/4	,,
4	श्री लालू पिता रोड़ा कुम्हार	3	00	राजस्थान वनस्पति प्रा० लि० उद्योग की स्थापना हेतु
5.	श्री छोगा पिता प्रताप जाट	10	07	,,
6.	श्री रमजान पुत्र बगता पीनारा	3	04	,,
7.	श्री सुलेमान पुत्र बगता पीनारा	1	06	,,
8.	श्री नूरमोहम्मद पुत्र बगता पीनारा	6	03	,,
9.	श्री मांगीलाल पुत्र मूला जाट	6	13	,,
10.	श्री हजारी पुत्र गोकुल, गणेश पुत्र गोपाल जाट	0	02	,,
11.	सर्व श्री संग्रामसिंह हरदयालसिंह रूपसिंह	1	10	,,
12.	श्री मोहन, रामपाल आदि	0	09	,,
13.	श्री मुरलीधर पुत्र रामनिवास महाजन	25	13	,,
	योग....	62	19	

(101)

परिशिष्ट—4

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं पूछे जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर में प्राध्यापकों की नियुक्ति

104. श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भूतपूर्व आयुर्वेद मंत्री द्वारा आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर में प्राध्यापक पद पर तीन ऐसे प्रथम श्रेणी वैद्यों को नियुक्त किया गया जिनकी योग्यता इस पद के अनुरूप नहीं है ?

(2) क्या यह सही है कि प्राध्यापक पद के लिए अध्यापन अनुभव विवेचक (डिमान्स्ट्रेटर) के लिए कम से कम तीन वर्ष चाहिए ?

(3) क्या यह सही है कि नियुक्त प्राध्यापकों में से एक श्री गिरिराज मल्होत्रा की उपाधि राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा मान्य नहीं है ? यदि हां, तो इनकी नियुक्ति किस आधार पर हुई ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा चार प्रथम श्रेणी वैद्यों को राज० आयु० महाविद्यालय, उदयपुर में प्राध्यापक पद पर तदर्थरूप में फरवरी व अप्रेल सन् 1977 में नियुक्त किया गया। इनमें से एक की योग्यता इस पद के अनुरूप नहीं है ?

(2) जी हां।

(3) जी हां। श्री गिरिराज मल्होत्रा की उपाधि सन् 1975 तक राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा मान्य थी जिसके आधार पर इनकी नियुक्ति प्राध्यापक पद पर की गई।

इन्हें पदावनत करने के आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं

सिद्धमुख नहर का कार्य

105. श्री मनीराम (तारानगर) : क्या सिचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने सिद्धमुख नहर का कार्य शुरू करने का निर्णय लिया था ? यदि हां तो कब और इसकी क्या योजना है तथा कौन-कौन सा क्षेत्र इससे लाभान्वित होगा ? मय प्लान के पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री मनीराम)

(2) क्या यह सही है कि उक्त नहर के लिये सर्वे कराया गया ? यदि हां, तो कब किसके आदेश पर ? सर्वे रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) इस नहर के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है और आगे क्या-क्या कार्यवाही कब-कब की जानी है ?

उत्तर

(1) सिद्धमुख परियोजना राज्य सरकार के विचाराधीन है। इस परियोजना से गंगानगर जिले की नोहर और भादरा तहसीलों की 1,50,000 एकड़ सिंचन योग्य भूमि की सिंचाई करने का प्रस्ताव है। योजना का सूचक मानचित्र संलग्न है।

(2) योजना का सर्वे कार्य प्रगति पर है। राज्य सरकार ने इस कार्य के विस्तृत सर्वेक्षण के लिए एक खण्ड जुलाई, 1976 में सृजित किया था जो इस कार्य को कर रहा है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट अभी तक तैयार नहीं है।

(3) इस नहर का सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। इस नहर के लिये जल प्राप्त करने के लिये पंजाब सरकार व केन्द्र सरकार से प्रयत्न किये जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में निर्णय हो जाने पर इस योजना को क्रियान्वित किया जावेगा।

(मान चित्र विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

कोटड़ी में जनता पर गोली चलाने की घटना

106. श्री रामप्रसाद लड्ढा (मांडल) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले के तहसील मुख्यालय कोटड़ी का बाजार 17 दिन तक दिनांक 17-5-74 से 2-6-74 तक, बन्द रहा ?

(2) क्या यह सही है कि कोटड़ी के तत्कालीन कांग्रेसी सरपंच द्वारा जनता पर गोली चलाई गई जिससे 3 निर्दोष बालक घायल हो गये ?

(3) क्या यह सही है कि इस सम्पूर्ण घटना की जानकारी जिला प्रशासन को देने के पश्चात भी प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

(4) क्या जिला प्रशासन ने इस घटना से राज्य-सरकार को अवगत कराया है यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं तथा तत्कालीन जिला प्रशासन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं, दिनांक 19-5-74 को सरपंच के समर्थकों व उनके विरोधियों के बीच आपसी झगड़ा हुआ। इस झगड़े के सम्बन्ध में चार मामले पुलिस थाने में पंजीबद्ध किये गये। उसी रोज सरपंच रामेश्वरलाल व्यास द्वारा टोपीदार बन्दूक से 3 व्यक्तियों को घायल किया गया। इस घटना के लिए उसके विरुद्ध धारा 307 आई० पी० सी० के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया गया। इस घटना के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा दिनांक 21-5-74 को 21 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा विभिन्न आरोपों के जुर्म में इन व्यक्तियों का चालान न्यायालय में किया गया। न्यायालय द्वारा मुल्जिमों को जमानत पर रिहा कर दिया गया ? यह मामला अभी तक न्यायालय भीलवाड़ा में विचाराधीन है ?

(4) जी हां।

इस घटना के सम्बन्ध में जिला प्रशासन द्वारा भी कोई उदासीनता नहीं बरती गई एवं दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश कर दिया गया।

नागौर स्वर्णकार नमक उत्पादक सहकारी समिति लि. नागौर में गबन घोटाले

107. श्री हरजी राम बुरड़क (लाडनू): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नागौर स्वर्णकार नमक उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड,नागौर में किये गये गबन घोटालों एवं धोखाधड़ी की शिकायतें राज्य सरकार को समय समय पर मिली हैं ? यदि हां, तो कब-कब क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुई और उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? पूर्ण विवरण मय शिकायतों की प्रतियों के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सही है कि इस समिति को ताल छापर, जिला चूरू में नमक बनाने के लिए भूमि भी अलाट हुई थी ? यदि हां, तो कब कितनी भूमि और उस पर क्या कार्य हो रहा है तथा कितनी आय सालाना हो रही है ? आय-व्ययक के पूर्ण आंकड़ों सहित सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या इस भूमि में नमक बनाया जाता है ? यदि हां, तो कब से और किसके द्वारा तथा अब यह किस व्यक्ति के कब्जे में है ?

(श्री हुरखीराम बुरडक)

(4) क्या यह समिति औद्योगिक समिति है ? यदि हां, तो इसमें सदस्य भर्ती होने की क्या प्रक्रिया है और अब तक रजिस्ट्रेशन के बाद जो भी सदस्य भर्ती हुये उसमें इस प्रक्रिया का कहां तक पालन हुआ है ?

(5) इस समिति के खिलाफ जो भी शिकायतें प्राप्त हुई वो कहां कहां किस किस अधिकारी के पास कब कब रहीं ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या शिकायतकर्ताओं की यह भी मांग थी कि यह एक औद्योगिक समिति है इसकी कार्य समिति को भंगकर व प्रशासक लगाकर इसको चलाया जावे ताकि जांच आसानी से हो सके और बाद जांच इसका चुनाव कराया जावे ? यदि हां, तो यह कार्यवाही कब तक हो जावेगी ?

(7) क्या इस संस्था के रिकार्ड में हेरा-फेरी की गई तथा दूसरा फर्जी रिकार्ड तैयार किया गया जिसकी जानकारी सरकार को होते हुये भी इस केस को पुलिस को क्यों नही सौंपा गया ?

(8) अब इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का इरादा है ?

उत्तर

(1) जी हां, शिकायतों का विवरण निम्न प्रकार है:—

क्र० सं०	दिनांक शिकायत	अधिकारी जिससे प्राप्त हुई	शिकायतों का विवरण
1.	12-7-74	रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, जयपुर	समिति द्वारा फर्जी रेकार्ड तैयार करने बाबत। 14130-90 पैसे गलत रूप से प्रार्थी के विरुद्ध दिखाना।
2.	14-8-74	जिलाधीश, नागौर	श्री रामकुमार द्वारा धोखा देकर फर्जी कार्यवाही करने बाबत।

शिकायतों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

शिकायतों पर जिलाधीश नागौर ने दिनांक 10-9-74 को राजस्थान सहकारी समितियां अधिनियम 65 की धारा 70 के अन्तर्गत जांच करने हेतु अधिशासी अधिकारी बैंक को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया। बाद में दिनांक 6-2-75 को जिलाधीश द्वारा अधिशासी अधिकारी बैंक के स्थान पर सहायक रजिस्ट्रार नागौर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया।

Page No 105

(105)

(सहकारिता मंत्री)

(2) जी हां। 30 एकड़ भूमि लीज पर आवंटन वर्ष 1963 में किया गया है। इस भूमि पर समिति द्वारा नमक उत्पादन कार्य किया जाता है। समिति के गत तीन वर्षों के आय-व्यय के आंकड़े निम्न प्रकार हैं:—

वर्ष	आय	व्यय	हानि
73-74	22314-16	23441-84	1127-68
74-75	11509-97	17124-86	5614-89
75-76	13491-61	10593-46	2898-15 (लाभ)

आय व्यय के आंकड़े सदन की मेज पर रख दिये गये हैं।

(3) जी हां। नमक का उत्पादन वर्ष 1964 से किया जा रहा है। उत्पादन स्वयं समिति द्वारा कराया जा रहा है। वर्त्तमान में समिति के व्यवस्थापक की देखरेख में समिति का उत्पादन कार्य होता है।

(4) जी हां। समिति के उपनियमों के अनुसार सदस्य बनाये जाते हैं। हां, सदस्य बनाते समय उपनियमों की उल्लंघना की गई है।

(5) प्रश्न संख्या 1 पर उत्तर दिया जा चुका है।

(6) जी नहीं।

(7) जी नहीं। पुलिस में केस रजिस्टर कराने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

(8) प्रशासनिक दृष्टि से किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। (शिकायतों की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राज्य में कानून की व्यवस्था

108. श्री माधवसिंह (सोजत) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में कानून व व्यवस्था की जिम्मेवारी पुलिस पर अधिक है ?

(2) क्या यह भी सही है कि पुलिस द्वारा कई मामलों में सही तफतीश नहीं करने से कई अपराधी अदालत से छूट जाते हैं व कई गैर गुनाहगार व्यक्तियों का चालान कर दिया जाता है जो अदालत द्वारा निर्दोष करार कर दिये जाते हैं ?

(श्री माधव सिंह)

(3) क्या यह भी सही है कि पुलिस को तफतीश में इतनी अधिक छूट दी जाने व अदालतों द्वारा दिये गये निर्णयों पर तफतीश करन्दा पर किसी तरह की जिम्मेदारी न थोपी जाने से कानून व व्यवस्था के नाम पर जनता का शोषण व बरबादी को बढ़ावा मिलता है व अपराध की सही जांच नहीं की जाती ?

(4) क्या यह भी सही है कि सर्किल ऑफिसर, जो चालान की स्वीकृति देते हैं, भी अपने दायित्व को नहीं निभाते हैं व तफतीश सही की गई या नहीं, को देखने का यत्न नहीं करते जिससे गलत तफतीश शुदा मुकदमों का चालान होता है ?

(5) क्या यह भी सही है कि इस्तगाशा की गवाहों से पुलिस केवल वे ही बयान लिखती है जिनसे मुकदमा बनता हो लेकिन वे सब तथ्य जो मुकदमा खुलाने के लिए जरूरी हों नहीं पूछते हैं।

(6) क्या यह भी सही है कि कुछ मामलों में, जो केवल मात्र दीवानी नेचर के होते हैं पुलिस की मिलावट से उन्हें फौजदारी मुकदमा बना दिया जाता है जिससे कानून व व्यवस्था के नाम पर जनता को खुली तौर से लूटा जाता है ?

(7) क्या यह भी सही है कि पुलिस इज्जतदार नागरिकों को हथकड़ी डाल कर नगर में घुमा कर उन्हें बेइज्जत करती है जिन्हें रोका जाना निहायत जरूरी है ?

(8) राज्य सरकार कानून व व्यवस्था सही ढंग से जनहित में हो, को उपरोक्त खामियों के निराकरण हेतु क्या विचार रखती है ?

(9) क्या राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी जिससे गलत तफतीश करने वालों को व सही तफतीश नहीं करने वालों को दंडित कर सके व उन्हें ऐसी तफतीश की वजह से दंडित हुए व्यक्तियों को कम्पेनसेट कराने का प्रावधान करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। यह सही नहीं है।

(3) जी नहीं। अदालतों द्वारा तफतीश कुनिन्दाओं के खिलाफ दिये गये निर्णय पर दोषी पाये गये पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ उचित विभागीय कार्यवाही की जाती है।

(4) सर्किल आफिसर चालान की स्वीकृति देने से पूर्व अनुसंधान पत्रावली तथा अभियोजक द्वारा दी गई टिप्पणियों का अध्ययन कर चालान के आदेश देते हैं।

(5) जी नहीं।

(गृह मंत्री)

(6) जी नहीं।

(7) जी नहीं।

(8) प्रश्न नहीं उठता।

(9) गलत तस्दीक करने वालों के खिलाफ नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जाती है तथा दोष प्रमाणित होने पर उन्हें उचित दण्ड दिया जाता है।

सांचोर तहसील में अतिवृष्टि से क्षति

109. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या बाढ़ एवं अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील सांचोर में जून एवं जुलाई, 77 में बहुत अधिक वर्षा हुई ? अगर हां, तो अब तक इस क्षेत्र में कुल कितनी वर्षा हो चुकी है ?

(2) क्या यह सही है कि अत्यधिक वर्षा एवं बाढ़ से उक्त तहसील में अनुसूचित जाति एवं जन जाति तथा गरीब वर्ग के लोगों का बहुत अधिक नुकसान हुआ है ? अगर हां, तो कुल कितना तथा क्या-क्या नुकसान वास्तव में हुआ है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) राज्य सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र के प्रभावित व्यक्तियों को अब तक क्या-क्या सहायता प्रदान की गई है ? रकम दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) उक्त क्षेत्र में हुए नुकसान एवं सहायता के रूप में दी गई रकम का तुलनात्मक विवरण भी सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) क्या यह भी सही है कि नेनोल को बांध टूटने के कारण भी काश्तकारों को बहुत नुकसान हुआ है ? अगर हाँ, तो किस-किस का कितना-कितना नुकसान हुआ है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(6) उक्त बांध के टूटने से प्रभावित होने वाले काश्तकारों को राज्य सरकार द्वारा अब तक क्या-क्या सहायता प्रदान की गई है ? सहायता पाने वाले लोगों की सूची मय रकम दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(7) क्या यह भी सही है कि लूनी, जवाई एवं सूकड़ी आदि नदियों में बाढ़ आने के कारण ग्रामीण लोगों का बहुत नुकसान हुआ है ? अगर हां, तो कहां-कहां पर किस-किस का क्या-क्या नुकसान हुआ है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(8) उक्त प्रभावित लोगों को राज्य सरकार द्वारा कितनी-कितनी सहायता दी गई है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(9) क्या यह भी सही है कि उक्त तहसील में अत्यधिक वर्षा एवं बाढ़ के कारण खरीफ की फसल बिल्कुल खत्म हो गई है एवं अकाल की स्थिति पैदा हो गई है ? अगर हां, तो राज्य सरकार द्वारा अब तक काश्तकारों एवं अन्य गरीब लोगों को क्या-क्या राहत पहुंचाई गई है एवं भविष्य में क्या-क्या राहत दी जावेगी ?

(10) क्या यह भी सही है कि उक्त तहसील में अत्यधिक वर्षा के कारण भेड़-बकरियों एवं मवेशी का भी काफी नुकसान हुआ है ? अगर हां, तो कितना एवं इस बारे में राज्य सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) जी हां। तहसील सांचोर में माह जून व जुलाई, 77 में 676·8 मिली-मीटर वर्षा हुई है एवं अब तक इस वर्ष में कुल 864 मि. मी. वर्षा हो चुकी है।

(2) यह भी सही है कि तहसील सांचोर में अत्यधिक वर्षा एवं बाढ़ से अनुसूचित जाति एवं जन-जाति तथा गरीब वर्ग के लोगों को अधिक नुकसान हुआ है। इस तहसील में कुल 11,66,670) रु. का निम्न प्रकार नुकसान हुआ है:—

1.	मकानों की क्षति	2,40,170) रु.
2.	निजी सिंचाई कुओं की क्षति	45,000) रु.
3.	खरीफ फसल को क्षति	8,81,500) रु.
	योग....	11,66,670) रु.

(3) राज्य सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र में बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों के परिवारों को कुल 18975) रु. की सहायता निम्न प्रकार दी गई है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है:—

1.	नकद सहायता	17,975) रु.
2.	भोजन व्यवस्था	1,000) रु.
	योग....	18,975) रु.

(109)

(बाढ़ एवं अकाल सहायता मंत्री)

(4) तहसील सांचोर में हुए नुकसान एवं सहायता का तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है:—

विवरण	नुकसान	सहायता
1. मकानों की क्षति	2,40,170	18,975 रु.
2. निजी सिंचाई कुए	45,000	—
3. खरीफ फसल की क्षति	8,81,500	—
योग....	11,66,670	18,975 रु.

(5) इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने जालोर जिले हेतु 4,00,000) रुपये की रकम तकाबी वितरण हेतु भी स्वीकृत कर दी है। सरकार के सीमित साधनों को देखते हुए हानि की शत-प्रतिशत क्षतिपूर्ति किया जाना राज्य सरकार के लिए संभव नहीं है। नैनोल बांध टूटने से काश्तकारों का जो नुकसान हुआ है उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(6) उक्त बांध से प्रभावित व्यक्तियों को कुल 1075) रु. की नकद सहायता दी गई है। सहायता पाने वालों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(7) इस जिले में जवाई एवं सूकड़ी नदियों में इस वर्ष कोई बाढ़ नहीं आई है और इनसे कोई नुकसान नहीं हुआ है। सिर्फ लूनी नदी ने अपना बहाव केरीया गांव के पास बदल लेने के कारण ग्राम केरिया, तहसील सांचोर के पास 7 ढाणियां पानी में बह कर चली गई जिससे 18,400) रु० का नुकसान हुआ है। नुकसान की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(8) प्रभावित लोगों को राज्य सरकार की ओर से 1650) रु. की नकद सहायता अब तक प्रदान की गई है। राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता का विस्तृत विवरण सूची में उपलब्ध है।

(9) जी हां। प्रारम्भ में अति वर्षा एवं बाढ़ के कारण बोई हुई फसलों को क्षति हुई और काश्तकारों को दो-तीन बार अपने खेतों में बाजरे की बुआई करनी पड़ी लेकिन 2 से 4 सितम्बर, 77 के मध्य अच्छी वर्षा हो जाने के कारण फसल की स्थिति में सुधार आ गया है और इस समय वहां अकाल की स्थिति नहीं है।

(10) यह सही है कि तहसील सांचोर में अधिक वर्षा हुई है परन्तु इससे भेड़, बकरियों एवं अन्य मवेशी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। सिर्फ ग्राम दुगावा में नदी के दल-दल में फंस कर एक गाय के मर जाने की सूचना प्राप्त हुई है।

सूची

(प्रश्न संख्या 109)

सूची बाढ़ पीड़ित जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए एवं सहायता प्रदान की गई

क्र०सं०	नाम बाढ़ पीड़ित	ग्राम	अनुमानित नुकसान	सहायता राशि
1	2	3	4	5
1.	श्रीमती पेपी स्त्री उका तरीगर	मैंडा	450/-	150/-
2.	श्रीमती सानी स्त्री पीरा तरीगर	,,	200/-	100/-
3.	श्री प्रभुदास पुत्र पुनमदास	,,	100/-	50/-
4	श्री रुपा पुत्र हेमा भांड	,,	100/-	50/-
5.	एजना पुत्री इसरा भील	,,	100/-	50/-
6.	बीना पुत्र सारेबारी	,,	150/-	50/-
7.	यदा पुत्र हाजा गांधी	,,	2000/-	150/-
8.	रुपा पुत्र केव भील	बीरोल	200/-	50/-
9.	बजीया पुत्र पना भावी	,,	200/-	50/-
10.	भंवरसिंह पुत्र सूरतसिंह	,,	200/-	50/-
11.	धर्मा पुत्र जगू लूहार	,,	200/-	50/-
12.	रवा पुत्र रणछोड भील	,,	300/-	100/-
13.	अचला राम पुत्र रुपाराम कुम्हार	,,	200/-	75/-
14.	रतना राम पुत्र बालाराम	पलावर	300/-	50/-
15.	सावताराम पुत्र बालाराम	,,	300/-	50/-
16.	भारता पुत्र सोमा भील	सुरावा	400/-	100/-
17.	सोना पुत्र माधा भील	,,	300/-	100/-
18.	हरसन पुत्र सोना भील	,,	300/-	100/-
19.	दीवाली स्त्री चमना भील	,,	400/-	100/-
20.	तमा पुत्र माघा भील	,,	400/-	100/-
21.	रायमल पुत्र भाव भील	,,	400/-	100/-
22.	गोगला पुत्र मोधा मेघवाल,	,,	500/-	150/-
23.	हरसन पुत्र पूंजा	,,	300/-	50/-
24.	मना पुत्र चेा वलांवी	,,	1000/-	100/-
25.	वाहता पुत्र घूडा भावी	पुरावा	150/-	25/-
26.	श्री बमरा पुत्र माता भावी	,,	150/-	25/-
27.	श्री सालू पुत्र भानजी	,,	150/-	25/-
28.	श्री ममा पुत्र जंगा	,,	150/-	25/-

Page No 111

(111)

1	2	3	4	5
29.	श्री हीरा पुत्र दरोगा	पुरावा	800/-	25/-
30.	श्री हस्या पुत्र पीठा दरोगा	,,	300/-	100/-
31.	श्री हजारी पुत्र रुपा दरोगा	,,	500/-	50/-
32.	श्री रुगनाथ पुरी पुत्र गणेश पुरी स्वामी	,,	1000/-	100/-
33.	श्री काना पुत्र अमदा रेवारी	,,	500/-	100/-
34.	श्रीमती काना पुत्र रामा मल मीना	,,	500/-	100/-
35.	उका पुत्र केवा भील	,,	400/-	100/-
36.	सुरता पुत्र लखमा भांबी	,,	3800/-	300/-
37.	हंसा पुत्र सूरता भांबी	,,	2800/-	300/-
38.	हिंगोला पुत्र लखमा	,,	3500/-	300/-
39.	दीपा पुत्र लखमा भांबी	,,	3600/-	300/-
40.	सबीया पुत्र हका भांबी	,,	3200/-	300/-
41.	उपा वेवा गमना भांबी	,,	2800/-	300/-
42.	उका पुत्र मादा भांबी	,,	3300/-	300/-
43.	रावता पुत्र राजा भांबी	,,	3000/-	300/-
44.	पूजा पुत्र मेवा भांबी	,,	2800/-	300/-
45.	पीथा पुत्र पूजा भांबी	,,	3000/-	300/-
46.	मनजी पुत्र हाजा भांबी	,,	3200/-	300/-
47.	शंकरा पुत्र मनजी भांबी	,,	3000/-	300/-
48.	रतना पुत्र हाजा भांबी	,,	3500/-	300/-
49.	सामती पुत्र रतना	,,	3500/-	300/-
50.	रेवाडी पुत्र नींबा भांबी	,,	3500/-	300/-
51.	धाना पुत्र नींबा भांबी	,,	3400/-	300/-
52.	हमीरा पुत्र खेमा भांबी	सुराबा	3400/-	300/-
53.	मसरा पुत्र खेमा भांबी	,,	3400/-	300/-
54.	केसा पुत्र परखा भांबी	,,	3400/-	300/-
55.	बेना पुत्र नरान भांबी	,,	2800/-	300/-
56.	गणेश पुत्र मादा भील	,,	3500/-	300/-
57.	दला पुत्र चमन भील	,,	2800/-	300/-
58.	श्री जेला पुत्र बेदा भील	,,	3300/-	300/-
59.	श्री ओमा पुत्र रामजी भील	,,	2600/-	300/-
60.	श्री नारदा पुत्र सूरा भील	,,	3300/-	300/-
61.	श्री उका पुत्र सूरा भील	,,	2800/-	300/-
62.	श्री खेमपुरी पुत्र श्री गणेशपुरी स्वामी	,,	3000/-	300/-

1	2	3	4	5
63.	श्री करसनपुरी पुत्र श्री गणेशपुरी स्वामी	सुरावा	3000/-	300/-
64.	श्री पुनमा पुत्र सोना लुहार	,,	3700/-	300/-
65.	श्री दरगा पुत्र सोमा लुहार	,,	3500/-	300/-
66.	श्री छोगा पुत्र सोमा लुहार	,,	3200/-	300/-
67.	श्री चुनी बेवा दाना कुम्हार	,,	3000/-	300/-
68.	श्री हरचंद पुत्र उका कुम्हार	,,	3000/-	300/-
69.	श्री छमना पुत्र मन्डा वजीर	,,	3000/-	300/-
70.	श्री केसा पुत्र उका कुम्हार	,,	3000/-	300/-
71.	श्री सोमा पुत्र जेठा माली	केरीया	2500/-	250/-
72.	श्री भावा पुत्र रखा माली	,,	2000/-	200/-
73.	श्री राम मल पुत्र मनरेवा	,,	2000/-	200/-
74.	श्री रखा पुत्र जेठा माली	,,	2500/-	200/-
75.	श्री प्रह्लाद पुत्र करणू माली	,,	3400/-	300/-
76.	श्री नरसीजा पुत्र गंगाराम	,,	3500/-	300/-
77.	श्री चिमना पुत्र राजा कुम्हार	,,	2500/-	200/-
78.	श्री बाडेला पुत्र धुंडा भांबी	सुराया	4000/-	275/-
79	श्री अगरा पुत्र पाता भांबी	,,	3000/-	275/-
80.	श्री सालू पुत्र भनजी भांबी	,,	3000/-	275/-
81.	श्री कमा पुत्र सागा भांबी	,,	2500/-	275/-
82.	श्री पीरा पुत्र माला दरोगा	,,	3500/-	275/-
83.	श्री हुरसन पुत्र पूजा भांबी	,,	3500/-	250/-
84.	श्री हजारी पुत्र रूपा दरोगा	,	4500/-	250/-
85.	श्री मला पुत्र सवा रबारी	दुबाणा	3000/-	300/-
86.	श्री लोजों बेवा सोना रबारी	,,	3000/-	200/-
87.	श्री राव देवा मजा रबारी	,,	1500/-	150/-
88.	श्री केहर गर पुत्र दवेगर रबारी	,,	3000/-	100/-
89.	श्री जोवा पुत्र तोला रबारी	,,	1000/-	100/-
90.	श्री लछमा पुत्र गजा रबारी	,,	850/-	50/-
91.	श्री धूडा पुत्र रडया रबारी	,,	800/-	50/-
92.	श्री देवा पुत्र रूगा रबारी	,,	800/-	50/-
93.	श्री लूया राम पुत्र रायता रबारी	सुराया	2000/-	300/-

(113)

ग्राम नैनोल का बांध टूटने से निम्नलिखित ग्रामों में निम्नलिखित क्षति हुई एवं सहायता दी गई

क्र. सं.	नाम मय सकूनत	भूमि का रकबा बीघों में	पैरा बीघा में	विशेष
	जमीन का नुकसान			
1.	रणछोड़ा कलदा सग नैनोल	15।।)	—	जमीन में क्षति हुई है
2.	रामा पुत्र मूला कलवी नैनोल	4)	—	मगर काश्तकार अपनी
3.	भाजा पुत्र मूला ,,	4)		जमीन का इस्तीफा देना
4.	हीरा पुत्र सवा ,,	4)		नहीं चाहते और नहीं
5.	हेमराज वगेरह पी. धना रबारा	—	0)2	जमीन छोड़ना चाहते है
6.	लससा, सावला पीउका कलवी	2)	0)2	
7.	प्रेमा पुत्र सला कलवी नैनोल	1)	—	
8.	नवा पुत्र सवा कलवी	1)	—	
9.	भजा पुत्र सवा	1)	—	
	योग....	32।।)	0)4	

मकानों की क्षति

क्र. सं.	नाम मय वल्दीयत व सकूनत	अनुमानित नुकसान रुपयों में	सहायता जो दी गई रुपयों में
1	2	3	4
1.	श्री रूपा पुत्र केवा भील, सा. बीरोल	200)	50)
2.	,, वजीया पुत्र पना भावी ,,	200)	50)
3.	,, भंवर सिंह पुत्र सूरतसिंह ,,	200)	50)
4.	,, धरमा पुत्र जगू कुम्हार ,,	200)	50)
5.	,, रवा पुत्र रणछोड़ा भील ,,	300)	100)
6.	,, अमला पुत्र रूपाराम कुम्हार बीरोल	200)	75)
7.	,, पेपी जोभे उका सरीगर मेड़ा	400)	150)
8.	,, सोनी बेवा मीरा ,,	200)	100)

1	2	3	4
9.	श्री प्रभूदास पुत्र पुनामदास मीला का साद	100)	50)
10.	,, रूपा पुत्र हेमा भाट ,,	100)	50)
11.	,, सुजना पुत्र ऊसरा भील ,,	100)	50)
12.	,, वीमा पुत्र रवा रबारी ,,	150)	50)
13.	,, वदा पुत्र हाजा गोंची ,,	2000)	150)
14.	,, रतना रामा पुत्र बागराम कुमार मालदा	300)	50)
15.	,, सामला राम पुत्र बाला राम ,,	300)	50)
	योग....	4650)	1075)

सूची

ग्राम केरिया तहसील सांचोर में लूनी नदी के बहाव बदलने से जिन व्यक्तियों की ढाणियाँ नदी में बह गई उनकी सूची तथा उनको दी गई सहायता।

क्र. सं.	नाम मय वल्दीयत	अनुमानित नुकसान	दी गई सहायता
1.	श्री सीमा पुत्र जेठा माली	2500/-	250/-
2.	श्री मावा पुत्र रमा माली	2000)-	200/-
3.	श्री रायमल पुत्र मय रूप माली	2000/-	200/-
4.	श्री रवा पुत्र जेठा माली	2500/-	200/-
5.	श्री प्रहलाद पुत्र करपू माली	3400/-	300/-
6.	श्री नरलीमा पुत्र गंगाराम कुम्हार	3500/-	300/-
7.	श्री चिमना पुत्र राजा कुम्हार	2500/-	200/-
	योग.....	18400/-	1650/-

साइकिल रिक्शा के लिए स्वचालित इंजिन

111. श्री शिवचरण सिंह (बयाना) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि देश की मशहूर कम्पनी ने साइकिल रिक्शा के लिये स्वचालित इंजिन का आविष्कार किया है और उसका प्रदर्शन भी जयपुर में तत्कालीन यातायात मंत्री के समक्ष दि० 29-10-75 को किया गया था जिसकी विस्तृत सूचना दैनिक

(115)

(श्री शिवचरणसिंह)

राजस्थान पत्रिका व राष्ट्रदूत अखबारों में दिनांक 30-10-75 व 3-11-75 को क्रमशः छपी ? यदि हां, तो क्या इस प्रकार के इंजिन युक्त साइकिल रिक्शाओं को राज्य में चलाने की अनुमति दी गई या नहीं ? यदि नहीं, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त इंजिन युक्त साइकिल रिक्शाओं को केरल, महाराष्ट्र, तामिलनाडू, पंजाब, आन्ध्र प्रदेश व दिल्ली आदि प्रान्तों की सरकारों ने यातायात नियमों में छूट दी है और कर से मुक्त कर दिया है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त इंजिन युक्त साईकिल रिक्शाओं से गरीब रिक्शा चालकों को शारीरिक राहत, बीमारियां कम व अधिक आमदनी मिलेगी ? यदि हां, तो इस विषय में राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार की जानकारी में मैसर्स रेलेज इंडिया व किर्लोस्कर कम्पनी द्वारा स्वचालित साइकिल रिक्शा इंजिन का निर्माण किया गया है। मैसर्स रेलेज कम्पनी द्वारा निर्मित इंजिन का प्रदर्शन तत्कालीन परिवहन मंत्री महोदय के समक्ष किया गया था। इस प्रकार के स्वचालित इंजिन युक्त रिक्शाओं को राज्य में चलने की अनुमति देने के आदेश दिनांक 8-9-77 को प्रसारित कर दिये गये हैं ?

(2) जी हां। कुछ राज्य सरकारों ने इस प्रकार के इंजिन युक्त साइकिल रिक्शाओं को छूट दी है। राज्य सरकार ने भी इस प्रकार के मोटराइज्ड साइकिल रिक्शाओं को अनुज्ञा-पत्र लेने के प्रावधानों से मुक्ति प्रदान की है।

इन रिक्शाओं के चालकों को लर्नर्स लाइसेंस एवं ड्राइविंग लाइसेंस की फीस में भी पूर्णतया मुक्ति दी है। यदि वे छूट के दिनांक को साधारण साइकिल रिक्शा के मालिक थे और वे अपने रिक्शाओं को मोटराइज्ड साइकिल रिक्शा में परिवर्तित करायें। ऐसे मोटराइज्ड रिक्शाओं को पंजीकरण शुल्क,योग्यता प्रमाण-पत्र शुल्क, सड़क कर व यात्री एवं माल कर में भी आंशिक छूट प्रदान की गई है। संबंधित आदेशों की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(3) जी हां। राज्य सरकार द्वारा आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं।

(आदेशों की प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

हरिजनों एवं अन्य पिछड़े वर्गों पर हुए अत्याचारों के मामले

114. श्री शंकरलाल (जैतारण): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत तीन माह में हरिजनों व अन्य पिछड़े वर्गों पर हमलों, अत्याचारों, मारपीट व हत्याओं के कितने मामले विभिन्न पुलिस थाने में दर्ज किये गये और कितने

(श्री शंकरलाल)

मामले काबिले दस्तन्दाजी पुलिस न मानकर दर्ज नहीं किये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) थानों में दर्ज शुदा मामलों में क्या क्या कार्यवाही की गई ? कितनों को गिरफ्तार किया गया, कितनों का चालान पेश किया गया और कितने मामले तफ्तीश में पड़े हुए हैं ?

(3) ऐसे मामलों को तुरन्त निपटाने हेतु और हरिजन व पिछड़े वर्गों को शीघ्र न्याय दिलाने हेतु उनकी सुरक्षा का सरकार द्वारा क्या प्रबन्ध किया गया है ?

उत्तर

(1) कुल मामले 172 दर्ज हुए हैं व 157 मामले काबिले दस्तन्दाजी पुलिस न होने से दर्ज नहीं किये गये केवल रोजनामचे में ही रपटें दर्ज की गई।

(2) दर्ज हुए मामलों में से 59 मुकदमों में चालान किया गया और 103 मुकदमें जेर तफतीश हैं। 290 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाकर चालान पेश किया जा चुका है तथा 446 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है लेकिन चालान अभी पेश नहीं हुए हैं। 13 मुकदमों में एफ० आर० अदम वकू दिये गये हैं।

(3) पुलिस अधीक्षकों व जिलाधीशों की बैठक बुलाकर उनको इस वर्ग के केसेज शीघ्र निपटाने व सुरक्षा सम्बन्धी विशेष निर्देश दिये गये हैं। मुख्य सचिव की ओर से तमाम जिलाधीशों को एक विशेष आदेश दिनांक 6-9-77 को फिर भेज कर उनके उत्तरदायित्व को निश्चित किया गया है।

सहकारिता के आधार पर चलाये जा रहे लघु उद्योग

115. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सहकारिता के आधार पर जो लघु उद्योग विभिन्न जिलों में पिछले दस सालों से चलाये गये एवं चलाये जा रहे हैं उनकी सूची प्रत्येक जिले की अलग से सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उन लघु उद्योगों में से कितने सफल रहे और कितने असफल रहे ? सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उन लघु उद्योगों की असफलता के क्या कारण रहे हैं ? क्या राज्य सरकार उन कारणों को जिनके कारण लघु उद्योग असफल रहे हैं मिटाने के लिये गम्भीरता से सोच रही है ?

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

(4) क्या यह सही है कि इस असफलता का मुख्य कारण सहकारिता विभाग और उद्योग विभाग में सहयोग की भारी कमी है ? यदि हां, तो दोनों विभागों में सहयोग कायम करने के लिये राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) लघु उद्योगों की सहकारी समितियों की असफलता के मुख्य रूप से निम्न कारण रहे हैं:—

1. उद्योग सम्बन्धी तकनीकी ज्ञान का पूर्ण अभाव।
2. उत्पादित माल के विक्रय के लिये समुचित व्यवस्था नहीं होना।
3. कच्चे माल की अनुपलब्धता।
4 समयानुसार वित्तीय सहायता का अभाव।
5. सदस्यों में पारस्परिक सहयोग की भावना की कमी एवं कार्य के प्रति रुचि का अभाव।
6. पारस्परिक प्रतिस्पर्धा।
7. उत्पादित माल का कम मूल्य में विक्रय होने के कारण समितियों में हानि के कारण सदस्यों का समिति के कार्य के प्रति निरुत्साहित हो जाना।

उपरोक्त कमियों के निराकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

(4) जी नहीं। सहकारिता विभाग और उद्योग विभाग में पूर्ण सामंजस्य और सहयोग है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बारां नगर में बाढ़ से क्षति

116. श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : क्या बाढ़ व अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बारां नगर में अगस्त 75 में भयंकर बाढ़ आई थी और उसमें भारी नुकसान हुआ था ?

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए एक कमेटी का गठन किया था ? यदि हां, तो उस कमेटी में कौन-कौन सदस्य थे ? सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि बाढ़ पीड़ितों की सहायतार्थ धन संग्रह किया गया था। यदि हां, तो धन संग्रह किस कमेटी या संस्था के द्वारा किया गया और उन रुपयों को किस प्रकार से खर्च किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही है कि बारां नगर में सन 1957, 1967 एवं 1976 में भी भयंकर बाढ़ आई थी ? यदि हां, तो बारां में आये दिन आने वाली बाढ़ के कारणों की क्या राज्य सरकार ने जांच करवाई है और उसे रोकने के लिए राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) जी हां !

(2) जी हां ! राज्य सरकार ने बाढ़ पीड़ितों की सहायतार्थ और पुनर्वास हेतु सितम्बर, 1975 में एक उप-समिति का गठन किया था जिसके सदस्य तत्कालीन वित्त मन्त्री, राज्य मन्त्री अकाल सहायता तथा सिंचाई एवं सहायता आयुक्त थे। मई, 1976 में इस समिति को भंग कर दिया गया।

(3) जिलाधीश कोटा की सूचना के अनुसार स्थानीय रेड क्रास ने बाढ़ सहायता हेतु लगभग 3, 50,000 रु० की राशि एकत्र की थी तथा यह चन्दा जिला रेड क्रास ने अपने प्रयत्नों से ही किया था और इसके लिए संस्था की ओर से रसीदें जारी की गई थी। इस सम्बन्ध में सरकार या जिला प्रशासन के द्वारा कोई राशि एकत्र नहीं की थीं। जिला रेडक्रास, कोटा ने एकत्र की हुई 3,50,000 रु० की राशि में से बाढ़ से प्रभावित लोगों के उपयोग हेतु जनरेटर, रोगी वाहन (एम्बूलैंस गाड़ियां) इत्यादि की खरीद की एवं बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को निःशुल्क भोजन, दूध कम्बल वितरण एवं बिजली के खम्भों आदि के लिए खर्च की गई थी। इसकी विगत सदन की मेज पर रखी जा रही है।

(4) जी हां, बारां में बाढ़ की स्थाई रोकथाम हेतु राज्य सरकार ने कारणों की जांच और निदान सुझाने हेतु माह जुलाई, 1976 में सिंचाई विभाग के मुख्य अभियन्ता की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने अपना कार्य समाप्त कर दिया है और प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। प्रतिवेदन के प्राप्त होते ही राज्य सरकार उस पर विचार कर आवश्यक कदम उठायेगी।

(119)

प्रश्न संख्या 116 की सूची

बारां बाढ़ सहायतार्थ जिला रेडक्रास कोटा द्वारा एकत्रित की गई धनराशि का विवरण

क्र० सं०	विगत का विवरण	विगत की गई राशि
1.	एक माह तक बाढ़पीड़ित व्यक्तियों को निःशुल्क भोजन, वस्त्र तथा कम्बल उपलब्ध कराने की व्यवस्था तथा दूध व्यवस्था।	50,000 रुपये
2.	जनरेटर	46,000 रुपये
3.	पोर्टेबल जनरेटर	15.000 रुपये
4.	दो एम्बूलेन्स गाड़ियां	1,73.000 रुपये
5.	बिजली के खम्बे तथा अन्य सहायता हेतु	66,000 रुपये
	योग	3,50,000 रुपये

जालोर केन्द्रीय सहकारी बैंक के मैनेजर पद पर नियुक्ति

117. श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जालोर और सिरोही जिले की मार्केटिंग सोसायटियों, भूमि विकास बैंकों, जिला केन्द्रीय बैंकों के पदाधिकारियों में कितने लोग उन्हीं संगठनों से नियुक्त हैं और कितने विभाग द्वारा भेजे गये हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि जालोर केन्द्रीय सहकारी बैंक के मैनेजर रिटायर्ड व्यक्ति मनोनीत किये गये हैं और जब कि उस पर सहकारी विभाग ने दूसरे व्यक्ति को नियुक्त किया है और दोनों ही नियुक्तियां जारी हैं ?

(3 क्या यह भी सही है कि वे रिटायर्ड व्यक्ति पुरानी सरकार के समय के किसी विशिष्ट व्यक्ति के चहेते रहे हैं और उनको जबरदस्ती बैंक में रखा गया है ?

उत्तर

(1) जालोर एवं सिरोही जिलों की क्रय विक्रय सहकारी समितियों, भूमि विकास बैंकों एवं जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों की सहकारी संस्थाओं में स्वयं संस्थाओं एवं प्रति नियुक्ति पर नियुक्त अधिकारियों का विवरण निम्न प्रकार है:—

क्रमांक	नाम सहकारी संस्था	पदाधिकारियों की संख्या	
		स्वय सस्था के	प्रतिनियुक्ति पर
1	2	3	4
	जिला सिरोही		
1.	शिवगंज को० मार्के० सोसायटी लि०, शिवगंज	1	कोई नहीं

(सहकारिता मंत्री)

1	2	3	4
2.	स्वरूप गंज कृषि क्रय-विक्रय सहृ० स० लि०, स्वरूप गंज	1	कोई नहीं
3.	आबूरोड कृषि क्रय-विक्रय सहृ० स० लि०, आबूरोड	1	1
4.	सिरोही भूमि विकास बैंक लि०; सिरोही	4	3
5.	सिरोही सी० सी० बी०, सिरोही	7	10
	जिला जालोर		
1.	जालोर कोप० मार्केटिंग सोसायटी लि०, जालोर	1	कोई नहीं
2.	भीनमाल कोप० मार्केटिंग सोसायटी लि०, भीनमाल	कोई नहीं	1
3.	जालोर सहकारी भूमि विकास बैंक लि०, जालोर	5	4
4.	जालोर सी० सी० बी०, जालोर	5	6

(2) जी हां, यह सही है कि जालोर केन्द्रीय सहकारी बैंक के मैनेजर, रिटायर्ड अधिकारी हैं। सहकारी विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अधिकारियों को वापस लिये जाने के आदेश जारी किये जा चुके हैं।

(3) उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार ऐसी कोई सूचना नहीं है। जालोर केन्द्रीय सहकारी बैंक की स्थिति में सुधार के लिये यह आदेश दिया गया।

कडाना पुनर्वास विभाग के अन्तर्गत बकाया कार्य

118. श्री नन्दलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कडाना पुनर्वास विभाग के अन्तर्गत कितने डिवीजन डूंगरपुर जिले में कार्यरत थे ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त डिवीजनों में से एक डिवीजन समाप्त कर दिया है ? यदि हां, तो कौनसा ?

(3) क्या यह सही है कि समाप्त किये हुए डिवीजन के अधिकारी को वहीं रखा गया है जब कि कार्यरत डिवीजन के अधिशासी अभियन्ता को अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया ?

(4) कडाना पुनर्वास विभाग के अन्तर्गत अब तक डूंगरपुर जिले में कितना कार्य बकाया है और कितना पूरा हो गया ? कृपया कालोनीवाइज सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) सागवाड़ा जिला डूंगरपुर में निम्नांकित दो खण्ड कार्यरत थे ।

1. कडाना पुनर्वास खण्ड-2, सागवाड़ा

2. वास्तुखण्ड गलिया कोट, सुरक्षा कार्य, सागवाड़ा ।

(2) जी हां, वास्तु खण्ड गलिया कोट, सुरक्षा कार्य, सागवाड़ा ।

(3) जी हां ।

(4) डूंगरपुर जिले में कडाना पुनर्वास के बकाया कार्य व अभी तक पूर्ण किये गये कार्य का कालोनीवाइज विवरण संलग्न सारणी में अंकित है ।

(प्रश्न संख्या 118 की सूची)

कडाना पुनर्वास के अंतर्गत डूंगरपुर जिले में अब तक जितना काम हो चुका है एवम् बकाया है का कालोनीवाइज विवरण

क्र. सं.	कालोनी	पीने के पानी के कुए			सड़क निर्माण (कि.मी.)			प्राथमिक शाला			पंचायत घर		
		स्वीकृत	पूर्ण	बकाया	स्वीकृत	पूर्ण	बकाया	स्वीकृत	पूर्ण	बकाया	स्वीकृत	पूर्ण	बकाया
1.	डूंगर सारन	20	18	2	20.00	16.00	4.00	10	7	3	2	2	—
2.	भादर	21	18	3	5.00	9.50	—	10	6	4	2	1	1
3.	वाहुला	6	3	3	10.00	4.50	5.50	3	1	2	—	—	—
4.	सिसेटिया (पंचकुंडी)	4	2	2	5.00	5.50	—	2	2	—	1	1	—
5.	कांठल	20	8	12	9.00	5.00	4.00	10	6	4	1	1	—
6.	सिसोठ	10	5	5	5.50	5.00	0.50	5	2	3	1	1	—
	योग....	81											

क्र. सं.	कालोनी का नाम	चिकित्सालय			वृक्ष चबूतरे			ट्रक			हैण्ड पम्प		
		स्वीकृत	पूर्ण	बकाया	स्वीकृत	पूर्ण	बकाया	स्वीकृत	पूर्ण	बकाया	स्वीकृत	पूर्ण	बकाया
1.	डूंगर सारन	1	1	—	20	20	—	20	19	1	—	—	8
2.	भादर	1	1	—	21	20	1	21	10	11	—	—	7
3.	बाहला	1	1	—	6	3	3	6	3	3	—	—	1
4.	लिखेटिया (पंचकुंडी)	—	—	—	4	8	—	4	2	2	—	—	—
5.	कांटल	1	1	—	20	5	15	20	6	14	—	—	2
6.	सिसोठ	—	—	—	10	6	4	10	5	5	—	—	3

गांव कागदी में हत्या का मामला

119. श्री हरिश कुमार (रामगंज मण्डी): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्रीमती रमादेवी पत्नी श्री नन्दकिशोर, गांव कागदी देवरा, जिला बून्दी की हत्या दिनांक 4-6-77 को उसके ससुराल वालों ने खाट से बांधकर जला कर की है ?

(2) क्या यह भी सही है कि श्रीमती रमा देवी को जली हुई अवस्था में उनके पड़ोसी ने ही अस्पताल में भर्ती करवाया था ?

(4) क्या पुलिस ने उसकी हत्या की सही रिपोर्ट प्रस्तुत की है ? यदि हां, तो क्या रिपोर्ट प्रस्तुत की है ?

(3) सरकार द्वारा अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी नहीं। दिनांक 4-7-77 को श्रीमती रमा देवी पत्नी श्री नन्दकिशोर की जल जाने पर अस्पताल में मृत्यु हुई। जिसकी जांच जारी है।

(2) जी हां।

(3) श्रीमती रमादेवी की मृत्यु के बारे में अभी पुलिस द्वारा जांच जारी है।

4) अन्वेषण जारी है। अपराध प्रमाणित होने पर ही कार्यवाही सम्भव हो सकती है।

स्कूटर कारखाने पर खर्चा

120. श्री गोविन्दसिंह शक्तावत (कुम्भलगढ़) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान खनिज व औद्योगिक विकास निगम के द्वारा अलवर में स्थापित किये गये स्कूटर के कारखाने पर अभी तक कितना खर्चा हुआ और अभी स्कूटर का वार्षिक उत्पादन कितना है ?

उत्तर

स्कूटर कारखाने पर अभी तक 227 लाख रुपया खर्चा हुआ है। 1977-78 में वार्षिक उत्पादन करीब 2000 स्कूटर होने की सम्भावना है।

ग्राम गोरधनपुरा, थाना छीपाबड़ोद में बर्जे तेली की मृत्यु का मामला

121. श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (पीपलखूंट) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 2-5-76 को ग्राम गोरधनपुरा, थाना छीपाबड़ोद में श्री मन्नालाल तेली की मृत्यु हुई है और उसकी मृत्यु कुछ लोगों के मारने से हुई है ?

(श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा)

(2) उक्त मृतक की आयु क्या थी एवं उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है ?

(3) क्या यह सही है कि अपराधियों ने पुलिस को पैसे देकर हत्या के आरोप से बचने का प्रयास किया है ?

(4) उक्त मामले का चालान किस कोर्ट में किस धारा के अन्तर्गत किया गया ?

(5) क्या यह सही है कि मृतक के पुत्र श्री मांगीलाल ने इस पुलिस भ्रष्टाचार के विरुद्ध एस. पी., कोटा, डी. आई. जी., कोटा एवं कलेक्टर, कोटा को भी प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये थे किन्तु कहीं भी उसे न्याय नहीं मिला ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) उक्त मृतक की आयु 70-75 वर्ष थी। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण Cardio Respiratory Failure होना दर्ज है।

(3) जी नहीं।

(4) इस मामले में मुकद्मा नं० 40/76 जेर दफा 304 आई. पी. सी. थाना छीपाबड़ोद दर्ज किया गया जो तफतीश से अदम बकू पाया गया। अतः चालान करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(5) जी नहीं। मृतक के पुत्र द्वारा प्रस्तुत परिवाद-पत्र में अंकित आरोप जांचोपरान्त असत्य पाये गये।

वीसा एवं पासपोर्ट से सम्बन्धित धोखाधड़ी के मामले

122. श्री जगदीशचन्द्र शर्मा (रतनगढ़) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में विदेशों के लिए वीसा एवं पासपोर्ट बनाने के सम्बन्ध में धोखाधड़ी एवं ठगी के गत दो वर्षों में कितने मामले दर्ज हुए एवं ऐसे मामलों में कितनी गिरफ्तारियाँ की गई हैं ?

(2) क्या राज्य-सरकार इस तथ्य से अवगत है कि इस प्रकार का धन्धा करने वाले व्यक्तियों के अनेक अन्तर्राज्यीय गिरोह राजस्थान में भी सक्रिय हैं ? यदि हां, तो ऐसे गिरोहों से निपटने के लिए राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) राज्य में विदेशों के लिए वीसा एवं पासपोर्ट के सम्बन्ध में धोखाधड़ी एवं ठगी के गत दो वर्षों में 6 मुकदमे दर्ज हुए एवं 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई।

(2) जी नहीं।

बिलाड़ा तहसील के गांवों का विद्युतीकरण

123. श्री रामनारायण (बिलाड़ा) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बिलाड़ा तहसील के कितने गांवों में विद्युतीकरण नहीं हुआ है और क्या इस वर्ष के अन्त तक इन शेष गांवों का विद्युतीकरण हो जायेगा ?

(2) बिलाड़ा तहसील के कितने ऐसे ग्राम हैं जहां विद्युत होते हुए भी ग्रामीणों की मांग पर घरों में विद्युतीकरण नहीं किया ?

उत्तर

(1) बिलाड़ा तहसील के 92 गांवों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है। इन गांवों का विद्युतीकरण कब तक हो सकेगा, निश्चित रूप से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

(2) बिलाड़ा तहसील के 8 ग्रामों में घरेलू कनेक्शनों की मांग है। इन्हें कनेक्शन देने की कार्यवाही जारी है।

———